ISSN-0971-8397

विकास को समर्पित मासिक

योजना

अप्रैल : 2004

मूल्य : 7 रुपये

खाद्य सुरक्षा

महिलाओं की समस्याओं के बारे में सूचना देने में सरकारी संस्थाओं की विशिष्ट भूमिका : गोष्ठी का विचार

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार श्रीमती दीपा जैन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक विचार गोष्ठी को संबोधित किया। प्रकाशन विभाग के निदेशक प्रो. उमाकांत मिश्रा (दाहिने से तीसरे) उनके विचार ध्यान से सुनते हुए।

सूचना एक दो–धारी तलवार है; यह बहुत अच्छा भी कर सकती है और बहुत बुरा भी। महिलाओं के मामले में सूचनाओं का सकारात्मक ढंग से प्रचार–प्रसार हमारे दृष्टिकोण को बदलने में सहायक हो सकता है और नीति–निर्माताओं को इस दिशा में प्रेरित कर सकता है कि वे महिलाओं को न चुनाव करने बल्कि अपनी आवाज उठाने का मार्ग प्रशस्त करें।

यह विचार सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार श्रीमती दीपा जैन सिंह ने व्यक्त किया। वह विगत 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रकाशन विभाग द्वारा आयोजित एक विशेष गोष्ठी में बोल रही थीं। गोष्ठी में 'महिला समस्याएं: सरकारी सूचना तंत्र का दायित्व' विषय पर चर्चा की गई।

भारत में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की घटती संख्या की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस असमानता का कारण आर्थिक नहीं है। अभी स्त्री–पुरुष का अनुपात प्रति एक हजार पर नौ सौ पैंतीस महिला है। उन्होंने कहा कि स्त्रियों की घटती संख्या के पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सर्वाधिक विकसित पंजाब और चंडीगढ़ है जहां पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का अनुपात अत्यंत शोचनीय है। इसका निदान सूचनाओं का उपयोग बुद्धिमत्तापूर्वक करने पर निर्भर करता है। एक निदान लिंग आधारित बजट भी है जिसमें महिलाओं से संबंधित समस्त योजनाओं के लिए धन मुहैया कराया जा सकता है।

इससे पूर्व, प्रकाशन विभाग के निदेशक प्रो. उमाकांत मिश्रा ने अपनी आरंभिक टिप्पणी में महिलाओं की समस्याओं को उजागर करने के लिए चर्चा और बहस कराने पर जोर दिया। पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की घटती संख्या, संसद में अधर में लटका महिला आरक्षण विधेयक, जन–संचार माध्यमों द्वारा स्त्रियों को एक ही सांचे में ढालने की प्रवृत्ति तथा पश्चिम अवधारणाओं की बाढ़ और उनसे जूझते भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महत्व के इन मसलों पर बहस छेड़ने का सही वक्त आ गया है।

गोष्ठी में पूर्वी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त श्रीमती नुजहत हसन ने कहा कि भारतीय नारी का पुरुषों के बराबर दर्जा पाना एक सपने की तरह है। या तो इसे देवी बना दिया जाता है या घृणा के योग्य। श्रीमती हसन ने कहा कि उनके विचार में महिलाओं को आत्म रक्षा के उपायों का प्रशिक्षण देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की समस्याओं को सम्पूर्णता में देखना जरूरी है न कि टुकड़े–टुकड़े में।

महिला और बाल विकास विभाग की उप सचिव श्रीमती वसुधा गुप्ता ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में जहां सामाजिक–सांस्कृतिक वातावरण में काफी विविधताएं हैं महिलाओं की समस्याओं के प्रति एक समान दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता। हमें क्षेत्र विशेष की समस्याओं को इस बात को ध्यान में रखकर सुलझाना होगा। उन्होंने बताया कि महिला और बाल विकास विभाग के

(आवरण III पर जारी)

योजना

वर्ष : 48 अंक 1 अप्रैल, 2004 चैत्र–वैशाख, शक–संवत् 1926

प्रधान संपादकीय सलाहकार – **प्रो. उमाकांत मिश्रा**

प्रधान संपादक – **महादेव पकरासी**

संपादक – **राजेन्द्र राय**

उप संपादक – **रेमी कुमारी**

संपादकीय कार्यालय

कमरा नं. 538 ए, योजना भवन, संसद मार्ग,

नई दिल्ली–110 001

दूरभाष : 23096738, 23717910

23096666 / 2508, 2566

ई–मेल : yojana@techpilgrim.com

www.publicationsdivision.nic.in

a) dpd@nic.in

b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)

डी.एन. गांधी

व्यापार प्रबंधक

दूरभाष : 24367260, 2436509, 24365610

आवरण – **ऋतिका मैत्रा**

रेखांकन – **संजीव शाश्वती**

इस अंक में

• ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाएं	ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	5
• खाद्य सुरक्षा के मुद्दे	सुरिन्दर सूद	11
• खाद्यान्न बैंकों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा	जे. भाग्यलक्ष्मी	14
• ग्रामीण भारत में सहकारी ऋण	के.के. त्रिपाठी	17
• हस्तशिल्प का खजाना : भारत	नवीन पंत	23
• समुद्र भी खाद्य एवं औषध का स्रोत बन कर उभरने लगे हैं	शिवेन्द्र कुमार पांडे	27
• बर्ड फ्लू बना नई आपदा	संजय वर्मा	31
• इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस	माधव भास्कर जोशी	34
• उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 मील का पत्थर	जी.सी. सुराना	37
• विज्ञान : बन रही है चिर यौवन की संभावनाएं	चंद्रशीला गुप्ता	40
• मंथन : तुम्हारा धर्म	आरती 'ऋतु' भारतीय	42
• जहां चाह, वहां राह : महिलाओं ने की मिसाल कायम	राकेश मोहन कण्डारी	43
• ज्ञान सागर	–	44
• स्वास्थ्य चर्चा	–	45
• नए प्रकाशन	–	47

योजना हिन्दी के अतिरिक्त **असमिया, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलगू** तथा **उर्दू** भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। **पत्रिका मंगवाने हेतु, नई सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :–**

विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 टेलीफोन : 26100207, 26105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 70 रु.; **द्विवार्षिक** : 135 रु.; **त्रैवार्षिक** : 190 रु.; विदेशों में **वार्षिक** दरें : **पड़ोसी देश** : 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश** : 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से सम्बद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

संपादकीय

साल, मौसम की तरह 'योजना' अप्रैल अंक का रुख भी पाठकों को कुछ अलग नगर आएगा। जाहिर–सी बात है जहां प्रत्येक वर्ष 'योजना' का अप्रैल अंक बजट एवं देश के आर्थिक परिदृश्य से रू–ब–रू कराता था वहीं इस बार के चुनावी मौसम की वजह से एवं आम बजट पेश नहीं होने के कारण हमने अपना रुख 'खाद्य सुरक्षा' की तरफ कर लिया है। वो इसलिए भी कि विश्व की जनसंख्या में से 1.3 अरब लोग भुखमरी की हालत में रहते हैं। करीब 80 करोड़ लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और 50 करोड़ कुपोषण की समस्या का शिकार हैं। बावजूद इसके प्रोफेसर डी. सैक्स (कोफी अन्नन के विशेष सलाहकार) का कहना है कि 'भारत इतनी मजबूत स्थिति में है कि 2007 से ही पहले वह भारी गरीबी और भुखमरी की स्थिति से उबर सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि केवल कृषि में ही नहीं बल्कि समूचे ग्रामीण जीवन में निवेश बढ़ाया जाए।'

इसी क्रम में सी–फूड (समुद्री खाद्यों) की विस्तृत चर्चा भी अंक में की गई है। भारत 2001–02 के दौरान 424470 टन समुद्री आहार का निर्यात विश्व के 70 देशों को किया था जिसका मूल्य था 5957.05 करोड़ रुपये। भारत में अब ये उत्पाद एक प्रमुख निर्यात बनकर उभर रहे हैं। लेकिन हमें इस लुभावने आर्थिक परिदृश्य के मद्देनजर समुद्री तंत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को बनाए रखना होगा क्योंकि इसी में सबका हित निहित है।

हाल ही में एशिया के बड़े भूभाग पर फैली बर्ड फ्लू ने शेष दुनिया को भीषण चिंता में डाल दिया है क्योंकि इससे बचाव का टीका बनने में भी छह माह का समय लगने की संभावना है। इससे कई एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है।

भारतीय हस्तशिल्प का भंडार विपुल है। हजारों वर्षों से यहां के शिल्पियों ने अपनी कला से देश–विदेश में लोगों का दिल जीता है। अंक में आपको हस्तशिल्प से जुड़ी कई जानकारियां मिलेंगी।

बुढ़ापा किसे अच्छा लगता होगा? सभी हमेशा जवान दिखना चाहते हैं। तो जनाब! यह अब असंभव नहीं। क्योंकि अब 'जीन थैरेपी' के माध्यम से बुढ़ा चुकी मांसपेशियों में हरकत पैदा की जा सकती है। अर्थात अब विज्ञान की कृपा से आप अपने जवानी के सूरज को ढलने से रोक सकते हैं। यह कैसे संभव हुआ इसकी रोचक जानकारी अंक में आपको 'विज्ञान' कॉलम में मिलेगी।

आधुनिक जीवन शैली और आधुनिक समाज जिसे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है – हमारा स्वास्थ्य। आज की तनावपूर्ण जिंदगी में मानसिक रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मानसिक तनाव एक ऐसी आम एवं विध्वंसक किस्म की बीमारी है जो आज अमेरिका सरीखे विकसित देशों तक में व्यापक रूप से पाई जाती है। ऐसे रोगियों का आधुनिक औषधियों से सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। 'स्वास्थ्य चर्चा' में मानसिक तनाव की विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

जहां चाह – वहां राह में इस बार 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बंजर भूमि पर महिलाओं द्वारा एक घने मिश्रित वन तैयार करने की कहानी है।

'योजना' का रुख कुछ अलग इसलिए भी नजर आएगा क्योंकि इस बार एक नया कॉलम शुरू किया जा रहा है। एक लंबे अरसे से हमारे कुछ पाठकों की मांग रही है कि 'क्विज' अथवा प्रमुख घटनाओं की जानकारी भी पत्रिका में शामिल की जाए। पाठकों की मांग एवं सुझावों पर इस अंक से हम **'ज्ञान–सागर'** नामक एक नया कॉलम शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत 'सामान्य ज्ञान' की बातें होंगी। हमें विश्वास है पाठकों को हमारा यह प्रयास पसंद आएगा।

'योजना' का आगामी अंक विश्व मजदूर दिवस एवं विश्व परिवार दिवस पर केन्द्रित होगा।

आपकी राय

(संदर्भित अंक–दिसंबर 2003)

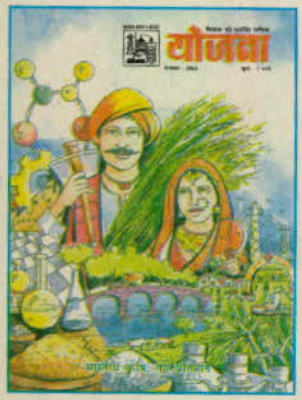

'योजना' हर पंचायत में पहुंचे

'योजना' के दिसम्बर, 2003 अंक में आवरण विषय 'भारतीय कृषि : नए प्रतिमान' से संदर्भित आलेख बेहद ज्ञानवर्द्धक लगें। पराजीनी फसलों का भारत में औचित्य पर मन मस्तिष्क सोचने पर विवश हो गया। पराजीनी फसलों के लाभ–हानि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई इसके साथ ही 'मानवाधिकार के प्रति जागरूकता' लेख प्रेरणापूर्ण एवं ज्ञानवर्द्धक लगा।

विकलांगों को प्राप्त होने वाली सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर विकलांग बंधु अवश्य लाभ उठाएंगे। कितना अच्छा होता अगर यह पत्रिका हर पंचायत, गांव–गांव में लोगों को उपलब्ध हो पाती और वे अपना भविष्य संवार सकते।

प्रदीप शर्मा, गोविन्दवन, रायपुर, (छ.ग.)

आवश्यकता सार्थक प्रयास की

"भारतीय कृषि : नए प्रतिमान" पर केंद्रित 'योजना' 2003 का अंतिम अंक भारतीय कृषि की संरचना, विकास, उत्पादन, उत्पादकता एवं उत्पादकता वृद्धि व इसकी संभावना जैसे प्रमुख विचारणीय एवं ध्यातव्य मुद्दों को उद्घाटित करता है।

भारतीय कृषि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उल्लेखनीय प्रगति की है, नए प्रतिमान हासिल किए हैं परंतु अभी भी भारतीय कृषि की चुनौतियां समाप्त नहीं हो सकी हैं। अपने अस्तित्व को बनाए रखने तथा वैश्विक प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए भारतीय कृषि को आगे और नए प्रतिमान हासिल करने होंगे तथा नए कीर्तिमान भी स्थापित करने होंगे। आज भी भारतीय कृषि की उत्पादकता विकसित देशों की उत्पादकता की अपेक्षा कम है। ऐसा नहीं कि भारतीय कृषि में इतनी दक्षता नहीं, इसकी उत्पादकता अभी भी 1.5 से 2 गुना आसानी से बढ़ाई जा सकती है। इसी दिशा में प्रयत्नशील हमारी सरकार ने नई कृषि नीति–2000 की घोषणा की जिसमें 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि दर का लक्ष्य घोषित किया गया।

परंतु; मात्र वृद्धि से ही वैश्विक प्रतियोगिता में टिके रहना संभव न होगा, इसके लिए अपनी गुणवत्ता भी बढ़ानी होगी। खाद्य–प्रसंस्करण क्षेत्र व डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में हम विश्व बाजार में अपना महत्वपूर्ण स्थान अर्जित कर सकते हैं।

कृषि क्षेत्र में प्रगति होने पर हमारे उद्योगों में भी वृद्धि दर तेज होने की संभावना है। इससे उद्योगों को साधन, कच्चा माल आदि लागत मूल्य में प्राप्त होंगे। इस तरह प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र परस्पर सहसंबंधित हैं। इससे हमारी संवृद्धि दर तेज होगी, जी.डी.पी. वृद्धि दर तेज होगी। निर्यात बढ़ेगा बाह्य संतुलन पक्ष में आ सकेगा।

इसकी पर्याप्त संभावना भी मौजूद है। बस जरूरत है सही दिशा में सार्थक प्रयास की।

सत्येंद्र त्रिपाठी,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

ज्ञानवर्द्धक अंक

दिसबंर 2003 अंक प्राप्त हुआ। अंक में सभी लेख अपने–आप में सराहनीय हैं। ज्ञानवर्द्धक लेखों के प्रकाशन के लिए प्रकाशक, संपादक को धन्यवाद एवं लेखकों को भी धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार विजय एवं बरखा गर्ग द्वारा लिखित लेख – "पंचगव्य एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था" ने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनः एक नई दिशा दी है।

सुशील कुमार गौतम लिखित लेख – "भारत में औषधीय फसलों की खेती–एक विकल्प" ज्ञानवर्द्धक होने के साथ–साथ ग्रामीण भाईयों को रोजगार के नए विकल्प भी सुझाता है। आशा है, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड औषधीय कृषि के क्षेत्र में कृषकों को पूरा–पूरा सहयोग देगा।

डा.वी.के. तिवारी एवं मानवेंद्र तिवारी लिखित लेख – "डेगूं ज्वर" एक सूचनाप्रद लेख है, संबंधित लेख के माध्यम से हम पाठकों को भारत में डेगूं के परिदृश्य की विस्तृत जानकारी मिलती है। लेखक द्वारा सुझाए गए रोग बचाव के तरीके यदि प्रत्येक नागरिक अमल में लाएं तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश "डेगूं मुक्त राष्ट्र" होगा।

कुल मिलाकर पूरा अंक सराहनीय एवं संग्रहणीय है।

डा. अलकेश खत्री
ब्यौहाराबाग, जबलपुर (म.प्र.)

सर्वश्रेष्ठ पत्र

दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता

भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए दिसंबर अंक काफी लाभप्रद व सामयिक है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत में एक दूसरी 'हरित क्रांति' की आवश्यकता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जहां हमें जोत योग्य भूमि को घटाना होगा वहीं पैदावार को भी दोगुनी करने की चुनौती को भी अपनाना होगा। ऐसे में आधुनिक प्रौद्योगिकी, खाद व उर्वरक के साथ पारंपरिक पंचगव्य और गोपालन का अद्भुत सामंजस्य स्थापित करना होगा। कृषि की ज्वलंत समस्याओं जैसे – भूमिक्षरण, कीटों का दुष्प्रभाव, बाढ़ व सूखा को नियंत्रित करना होगा। साथ ही वैश्वीकरण के इस दौर में पारंपरिक फसलों के साथ–साथ नकदी, व्यावसायिक (औषधीय फसलें) फसलों को भी उत्पादन में प्रोत्साहन व आवश्यक जरुरतों को पूरा करना होगा।

अंक में 'मानवाधिकार के प्रति जागरूकता' लेख काफी पसंद आया। ऐसे समय में जब मानवाधिकार हनन की घटनाएं नित्य–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है मानवाधिकार के प्रति जागरूकता व इसके प्रति सद्भावना सामयिक एवं जरूरी है। परंतु दुख इस बात पर होती है कि 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' जैसी संस्था मानव के अधिकारों को समग्र रूप से दिलाने में प्रयत्नशील नजर नहीं आती। बैस्ट बेकरी कांड जैसे घटनाओं पर मानवाधिकार आयोग की सतर्कता उचित है, परंतु कभी कश्मीरी पंडितों के अधिकारों के पूर्ति के लिए भी वे कमर कसें। आतंकवादियों एवं अपराधियों के मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले इन आयोगों से मेरा आग्रह है कि पूर्व तत्परता से कभी इनके द्वारा पीड़ित लोगों के अधिकारों की भी चिंता कर लिया करें।

धीरज वशिष्ठ, बरारी, भागलुर (बिहार)

ADMISSION OPEN
FROM 31st MAY

लोक प्रशासन

By (हिन्दी माध्यम)

Atul Lohiya

(A person who believes in hard work and scientific approach)

UGC-NET

QUALIFIED IN TWO SUBJECTS

HISTORY & PUB. ADMINISTRATION

Course Offered:
* Mains
* Mains + Prelims (Foundation Course)
* Test Series for Mains
* Answer Formating Session for Mains
* Test Series with Answer Formating Session
* Mains Special for UPSC Mains-04.

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध
(पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड नोट्स)

MAINS - 2500/-**
MAINS + PRE. - 3500/-**
डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त

***UPSC* के साथ *UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS* की भी तैयारी**

NEW BATCH STARTS FROM 6th JUNE

'अतुल लोहिया'

शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र भी

Director - Alok Lall

*** 1 April से प्रभावी*

"PRABHA"

AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

IPA — DOUBTLESS KNOWLEDGE, DEGREELESS SERVICE

FLAT No. 105, 1st FLOOR, VIRAT BHAWAN COMMERCIAL COMPLEX, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009 • Ph.: 27655134. CELL.: 9810651005

At Allahabad : "INSEARCH", Opp. D.J. Hostel, Near Anand Bhawan. Ph.: 0532-2467708

ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाएं

❍ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के भाषण के अंश जो उन्होंने डा. एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउन्डेशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा शिखर बैठक के समापन समारोह में दिया।

खाद्य सुरक्षा का तीन विभिन्न दृष्टिकोण से अध्ययन किया जा सकता है। पहला, खाद्यान्नों की उपलब्धता जो उत्पादन और बिक्री पर निर्भर करती है; दूसरा, खाद्यान्न प्राप्त करना जो खरीदने की शक्ति पर निर्भर करती है; और तीसरा खाद्यान्नों का विलयन।

हमारे देश ने यह दिखा दिया है कि खाद्य सुरक्षा हमारी आर्थिक सुरक्षा का आधार है और आर्थिक सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है। यही नहीं, इससे स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार के अवसर जैसी अन्य सामाजिक सुरक्षाएं प्राप्त होती हैं। मैं आपको दो घटनाओं के बारे में बताना चाहूंगा जो कुछ वर्ष पहले हुईं। एक मामले में, मैं टेक्नालाजी के विकास के साथ सीधे जुड़ा था; दूसरे में, मैं सरकारी नीति बनाने और प्रबंध में था। एक का संबंध दूर तक मार कर सकने वाली मिसाइल, अग्नि के परिचालन से और दूसरे का लगातार किए गए पांच परमाणु परीक्षणों से था, जो 11 मई, 1998 को किए गए। इन दो घटनाओं के कारण भारत स्वयं को परमाणु शस्त्र संपन्न देश घोषित कर सका। हमारी घोषणा के तीन दिन के भीतर एक–दो को छोड़कर सभी विकसित देशों ने भारत पर प्रौद्योगिक और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसके परिणामस्वरुप ठेके और समझौते, जिनमें भारत और ये देश मिलकर काम कर रहे थे, जैसे कि एल.सी.ए. ठेका स्थगित कर

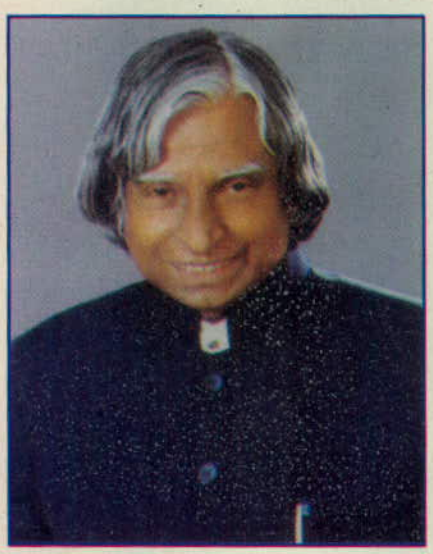

राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

दिए गए।

विश्व बैंक के ऋण रोक दिए गए। प्रतिबंधों के कारण उद्योगों के लिए हिस्से–पुर्जे प्राप्त करना मुश्किल हो गया। कंप्यूटर सिस्टम, साफ्टवेयर, उनकी मरम्मत और उन्हें बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कलपुर्जों की सप्लाई रोक दी गई। अनेक भारतीय कंपनियों के नामों की घोषणा कर दी गई, और उन पर पहले मंगाई गई मशीनों के रखरखाव के लिए आवश्यक सामान्य सामग्री आयात करने पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। मैं अपने युवकों को बताना चाहूंगा कि विकसित देशों द्वारा पैदा की गई इस स्थिति का सामना भारत ने कैसे किया। तीन शक्तियों ने, यानी प्रौद्योगिक शक्ति, नेतृत्व शक्ति और भारतीयों द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों ने देश को इस स्थिति से उबारा। यह कैसे संभव हुआ आइए इसके प्रमुख तत्वों पर विचार करें।

पहले, हमारे पास देश में पर्याप्त खाद्य भंडार थे और हमारी उत्पादन क्षमता सर्वोत्तम थी। दूसरे, हमारी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने प्रतिबंधों के बावजूद बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। तीसरे, विदेशों में रहने वाले भारतीय (अनिवासी भारतीय) हमारी मदद को आए उन्होंने स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी रिसरजेंट इंडिया बांड (आर.आई.बी.) बड़ी मात्रा मात्रा में खरीद की। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में नेताओं ने जिनमें सत्तारूढ़ और विपक्ष शामिल थे, भारत की विदेश नीति का समर्थन किया और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए वे चट्टान की भांति दृढ़ रहें। इसलिए हम अग्नि परीक्षा में सफल हुए। आज, अपने सिद्धांतों और आदर्शों पर मजबूती से जमे रहने के कारण न केवल हमारा देश राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में पहले से मजबूत है, हम आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हो गए हैं। यह घटना हमारी 'हम कर सकते हैं' भावना को प्रकट करती है, जिसके परिणामस्वरुप हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति पथ पर है, जिसका हम आज अनुभव कर रहे हैं। मेरा अपना विषय है 'पूरा' में कार्य निष्पादन।

जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में 26 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे

रह रहे हैं। देश को उन्हें ऊंचा उठाना है। आज सकल घरेलू उत्पादन (जी.डी.पी.), की विकास दर लगभग 6 प्रतिशत है, इसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक लाना होगा और अनेक वर्षों तक इस स्तर पर बनाए रखना होगा। तब देश आर्थिक दृष्टि से विकसित होगा। तभी एक अरब लोग देश की समृद्धि अनुभव करेंगे। इसके लिए निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में समन्वित कार्रवाई करनी होगीः

कृषि और खाद्य परिरक्षण – हमें 36 करोड़ टन खाद्यान्न और कृषि उत्पादन का लक्ष्य रखना होगा। कृषि के अन्य क्षेत्रों और कृषि उपज के परिरक्षण से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आएगी और आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होगी।

देश के सभी भागों के लिए विश्वसनीय और उत्तम गुणवत्ता वाली बिजली।

शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा – हमने अनुभव के आधार पर पाया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा एक–दूसरे से जुड़े हैं।

सूचना संचार प्रौद्योगिकी – यह हमारी योग्यता का मूल क्षेत्र है। हमारा विश्वास है कि इसका इस्तेमाल दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय संपदा बनाने के लिए किया जा सकता है।

सामरिक क्षेत्र – इस क्षेत्र ने सौभाग्यवश परमाणु (नाभिकीय) प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी में विकास देखा है।

समन्वित मिशन

इन क्षेत्रों को मिशन में परिवर्तित कर दिया गया है जैसे कि नदियों को आपस में जोड़ना, बिना बाधा के उच्च गुणवत्ता की बिजली की उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, दूसरी हरित क्रांति सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ज्ञान उत्पाद और पर्यटन में रूपान्तरित होगी। ये निश्चित समन्वित मिशन क्षेत्रवार देश को आत्मपोषित विकास की ओर ले जाएंगे। ये मिशन निश्चित समय के भीतर विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दबाव बनाएंगे। वे विभिन्न किस्म के उद्योगों की स्थापना और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे का विस्तार करके युवकों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। व्यावसायिक योग्यता वाले अनेक युवक स्वयं भी उद्यमी बन सकते हैं। इस प्रकार वे आर्थिक विकास में योगदान करने के साथ रोजगार के नए साधन पैदा कर सकते हैं।

देश को अब दूसरी हरित क्रांति शुरू करनी है, जो उसे उत्पादकता बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में विविधता लाने में सहायता देगी। दूसरी हरित क्रांति में किसानों पर ध्यान दिया जाएगा, खेती की प्रौद्योगिकी को मित्र बनाया जाएगा, खाद्य परिरक्षण और बिक्री को भागीदारी बनाया जाएगा और उपभोक्ताओं को देवदूत माना जाएगा, जिन्हें संतुष्ट करना है।

खाद्य सुरक्षा का तीन विभिन्न दृष्टिकोण से अध्ययन किया जा सकता है। पहला, खाद्यान्नों की उपलब्धता, जो उत्पादन और बिक्री पर निर्भर करती है। दूसरा, खाद्यान्न प्राप्त करना, जो खरीदने की शक्ति पर निर्भर करती है; और तीसरा खाद्यान्नों का विलयन। खाद्य विलयन का अर्थ है कि स्वस्थ और दीर्घ जीवन जीने के लिए आप जो कुछ भी भोजन करें उसे पचा लें। यह तभी हो सकता है, जब साफ–सफाई की अच्छी सुविधाएं हों और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा हो। अधिक उत्पादन और बिक्री के लिए हमें तत्काल दूसरी हरित क्रांति शुरू करनी होगी।

कृषि और खाद्य परिरक्षण

देश को अब दूसरी हरित क्रांति शुरू करनी है, जो उसे उत्पादकता बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में विविधता लाने में सहायता देगी। दूसरी हरित क्रांति में किसानों पर ध्यान दिया जाएगा, खेती की प्रौद्योगिकी को मित्र बनाया जाएगा, खाद्य परिरक्षण और बिक्री को भागीदारी बनाया जाएगा और उपभोक्ताओं को देवदूत माना जाएगा, जिन्हें संतुष्ट करना है। आज से 2020 तक देश को धीरे–धीरे खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर 40 करोड़ टन करना होगा। उत्पादन में यह वृद्धि 17 करोड़ हेक्टेयर के स्थान पर 10 करोड़ हेक्टेयर भूमि से प्राप्त करनी होगी। इसके लिए पानी भी कम उपलब्ध होगा। हमें उपभोक्ताओं की निश्चित पसंद पूरी करने, निर्यात व्यापार और परिवेश संतुलन बनाए रखने के लिए फसल चक्र में विविधता लानी होगी। यह लक्ष्य केंद्रीय नियंत्रण या कृषि उत्पादों के लाने ले जाने में प्रतिबंध लगाकर नहीं बल्कि सभी किसानों को आवश्यक सूचना जानकारी उपलब्ध कराकर प्राप्त किया जाएगा।

वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी को बीजों के विकास की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। उन्हें ऐसे बीज विकसित करने होंगे जो कम भूमि और कम पानी में भी अधिक उपज दे सकें। उन्हें खेती करते समय परिवेश विज्ञान के सन्तुलन की ओर भी ध्यान देना होगा। वास्तव में वैज्ञानिकों को मिट्टी के गुणों का बीज, उर्वरक, जल प्रबंध के साथ ताल मेल करना होगा यानी ऐसे बीजों का विकास करना होगा, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक उत्पादन दें। खेती का क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन से बढ़कर खाद्यान्न परिरक्षण और बिक्री हो जाएगा। किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए नए तरह की सहकारी समितियों की जरुरत पड़ेगी।

किसानों को बिक्री में विकल्प उपलब्ध कराने के लिए ई–मार्केटिंग का विचार व्यवहार में लाना होगा। कुछ क्षेत्र जिन पर ध्यान देना आवश्यक है वे हैं – भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना, बारानी खेती, तापमान और लवणता से प्रभावित न होने वाले बीजों का विकास और न्यूनतम पानी में खेती। टाईफेक (टी.आई.एफ.ए.सी.) टीम बिहार में सफल प्रयोग किए हैं, जहां कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके गेंहूं की उपज प्रति हेक्टेयर तिगुनी कर दी गई है। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर इस तरह के प्रयोग देश के सभी भागों में दोहराए जा सकते हैं। इस तरह के प्रयोगों में भाग लेने वाले किसानों की आय में काफी वृद्धि हुई है। यह निर्णायक सामाजिक–आर्थिक आवश्यकता है। भोजन उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण और शहरी जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि करनी होगी। ऐसा केवल उद्यमशीलता के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करके और 'टाइफेक' टीम द्वारा अपनाई गई तकनीक इस्तेमाल करके, वर्तमान किसानों की आय बढ़ाकर किया जा सकता है। इसका उल्लेख संक्षेप में पहले किया जा चुका है।

रोजगार के अवसर और उद्यमशीलता

उच्च शिक्षा कि क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। और हमारे विश्वविद्यालयों से प्रति वर्ष 30 लाख स्नातक निकल रहे हैं। लेकिन हमारे देश की रोजगार व्यवस्था विश्वविद्यालयों से पास होने वाले स्नातकों को रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। इससे हर वर्ष शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल और अधिकांश विद्यार्थियों को दी जा रही शिक्षा में कोई मेल नहीं है। इससे सामाजिक ढांचे में अस्थिरता पैदा होगी। हमारी आवश्यकता है कि उच्च शिक्षा का ध्यान और उसकी दिशा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर हो। शिक्षा को अधिक आकर्षक और साथ ही रोजगार की क्षमता पैदा करने के लिए एक बहुमुखी समर नीति आवश्यक है। हम ऐसा कैसे करें?

पहले, शिक्षा व्यवस्था को उद्यमशीलता के महत्व पर जोर देना चाहिए और कालेज शिक्षा के दिनों से ही छात्रों को उद्यम स्थापित करने की दिशा में ले जाना चाहिए, जो उन्हें सृजनात्मकता, स्वतंत्रता और सम्पत्ति पैदा करने के अवसर प्रदान करेंगे। कौशल की विविधता और निरंतर श्रम करने का स्वभाव उद्यमी बनाता है। सभी छात्रों को यह सिखाया जाना चाहिए। इसके अलावा, कालेज पाठयक्रम में अब चाहे वह कला, विज्ञान और वाणिज्य का क्यों न हो ऐसे विषय और कार्य–प्रणाली शामिल की जानी चाहिए जिसमें इस तरह की उद्यमशीलता संभव हो। दूसरे, बैंक व्यवस्था को गांव स्तर से लेकर संभावी उद्यमियों को नए उद्यम स्थापित करने के लिए जोखिम पूंजी देनी चाहिए। युवा उद्यमियों को सम्पति पैदा करने के प्रयासों को सफल बनाने के लिए बैंकों को नए उत्पादों की सहायता के वास्ते अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्हें "परम्परागत ठोस परिसम्पत्ति की मानसिकता" को छोड़ना होगा। निश्चय ही इसमें कुछ जान बूझकर उठाई गई जोखिम है, जिसे सफल जोखिम पूंजी के उद्यमों का विश्लेषण करके समाप्त किया जा सकता है। तीसरे, बिक्री योग्य उत्पादों के निर्माण या उन्हें पैदा करने और जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए मानवीय संसाधनों का एक आर्थिक निकाय होना चाहिए। यह कार्य 'पूरा' (पी.यू.आर.ए.) नदियों को जोड़ने, बुनियादी आधार विकसित करने के मिशन, बिजली मिशन और पर्यटन जैसे बड़े कार्यक्रमों को कार्यान्वित करके दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर सभी क्षेत्रों में हमारी सीमाएं मैत्रीपूर्ण हों तो वास्तविक एवं प्रतियोगी सीमा व्यापार में भी वृद्धि हो सकती है।

पहले, शिक्षा व्यवस्था को उद्यमशीलता के महत्व पर जोर देना चाहिए और कालेज शिक्षा के दिनों से ही छात्रों को उद्यम स्थापित करने की दिशा में ले जाना चाहिए, जो उन्हें सृजनात्मकता, स्वतंत्रता और सम्पत्ति पैदा करने के अवसर प्रदान करेंगे।

शिक्षा संस्थाओं, सरकारी और निजी उद्यमों को सहायता के जरिए उद्यमशीलता योजना तैयार करने और बैंकिग व्यवस्था और बिक्री व्यवस्था की सुविधा प्रदान करने वाला बनना चाहिए। रोजगार की खाई को पाटने और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 28 करोड़ लोगों को उठाने का यह एक तरीका है।

'पूरा' विचार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी 20 जनवरी, 2004 की बैठक में 'पूरा' अथवा ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्रम को सिद्धांत रूप से सहमति प्रदान की। यह सहमति वर्तमान बजट प्रावधानों के अन्तर्गत ग्रामीण शहरी अन्तर को कम करने और संतुलित सामाजिक–आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए है। प्रस्ताव है कि इस योजना को देश भर के 4130 ग्रामीण समूहों में अगले पांच वर्षों के दौरान लागू किया जाए। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य, योजना आयोग द्वारा चिह्नित अन्य विशेष वर्ग के राज्यों और पिछड़े क्षेत्रों को इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता दी जाएगी।

आर्थिक संयोजन

'पूरा' में चार संयोजन शामिल हैं : भौतिक इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान और ग्रामीण

क्षेत्रों में गांव समूहों की समृद्धि को बढ़ाने के लिए आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक संयोजन से बाजार और उसकी मांग पूरी करने वाले उत्पादन करने वाले प्रतिष्ठान पैदा होंगे। 'पूरा' में व्यापारिक प्रतिष्ठान बनने के सभी आयाम हैं, देश के हर कोने में कार्यरत इसके वैश्विक आयाम भी हैं। 'पूरा' के उद्यमी के पास इतना कौशल होना चाहिए कि वह बैंकों के साथ मिलकर व्यवसाय योजना बना सकें और सहायता के लिए बुनियादी आधार तैयार कर सके जैसे कि क्षेत्र में शिक्षा संस्थाएं, स्वास्थ्य केंद्र और लघु उद्योग, परिवहन सेवाएं, टेलीएजुकेशन, टेली मेडिसन, ई–गवर्नेस सर्विसेज। ये सेवाएं क्षेत्र में सरकार की ग्रामीण विकास की योजनाओं जैसे – सड़क, संचार और परिवहन और अपने उत्पाद और सेवाएं बेचने के लिए राष्ट्रीय एवं विश्व बाजार के साथ घनिष्ठ सहयोग करेंगी।

'पूरा' माडल

क्षेत्र विशेष और वहां विकास की वर्तमान अवस्था को देखते हुए 'पूरा' का वर्गीकरण तीन विभिन्न वर्गों में किया जा सकता है यानी वर्ग ए, टाइप बी, टाइप सी, 'पूरा' समूह। इन वर्गों की विशेषता नीचे दी जा रही है:

उदाहरण के लिए वर्ग 'ए' समूह किसी शहरी क्षेत्र के समीप होता है। वहां न्यूनतम सड़क संयोजन, सीमित बुनियादी आधार, सीमित समर्थन–स्कूल, प्रारम्भिक स्वास्थ्य केंद्र। टाइप 'बी' समूह शहरी क्षेत्र के समीप होता है लेकिन वहां अपर्याप्त बिखरा बुनियादी आधार और कोई संयोजन नहीं होता है। वर्ग 'सी' समूह भीतरी क्षेत्र में दूर स्थित होता है, वहां कोई बुनियादी आधार कोई संयोजन और कोई बुनियादी सेवाएं नहीं होती।

'पूरा' समूह के लिए कसौटी

वर्ग 'ए' समूह 30,000 से 1,00,000 जनसंख्या वाला 10 से 15 गांव समूहों का जहां 4 लेन की वृत्ताकार सड़क बनाने के लिए पर्याप्त जमीन हो, लेकिन रुकावट पैदा करने के लिए नहरें, रेल पटरी, और बिजली की लाइनें न हो, जिससे कम से कम लोगों का विस्थापन हो और अधिक अच्छा हो कि यह क्षेत्र जिले के अधिकार क्षेत्र में हो। इसी तरह की कसौटी वर्ग 'बी' और 'सी' समूह के लिए बनाई जा सकती है। नमूने के 'पूरा' समूह में नीचे लिखा विवरण हो सकता है।

'पूरा' उद्यम

देश के छोटे और मझौले उद्योगों को विभिन्न क्षेत्रों में तरह–तरह के छोटे और मझौले उद्योगों के संचालन का अनुभव है। यह क्षेत्र देश में व्यापक रूप से फैला है और एकीकृत रूप में 'पूरा' परिसरों का नेतृत्व और प्रबंध संभाल सकता है। इसके अलावा देश के प्रमुख व्यावसायियों के पास व्यापक ग्रामीण सेवा–तंत्र हैं, उन्हें ग्रामीण–शहरी क्षेत्रों में विशाल संगठन बनाए रखने का अनुभव है। 'पूरा' उद्यम स्कूलों स्वास्थ्य केंद्रों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों शीत भंडारण, 'साइलों', बाजार निर्माण स्थानीय उद्योग। आई.सी.टी. पार्कों का निर्माण, पर्यटन सेवाओं, बैंकिंग व्यवस्था, क्षेत्रीय व्यवसाय और औद्योगिक इकाइयों का निर्माण कार्य हाथ में ले सकता है।

इस तरह के 'पूरा' उद्यमों के संचालन के लिए एक नई प्रबंध शैली विकसित होनी चाहिए। नए 'पूरा' उद्यमों को बैंकों, शिक्षा संस्थाओं, सरकार और निजी उद्यमियों की भागीदारी की जरुरत है। प्रबंध व्यवस्था में इतना लचीलापन होना चाहिए कि वह प्रतियोगिता में ठहर सके और देश को स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए अनेक माडलों के साथ प्रयोग करना होगा।

'पूरा' के लिए ढांचागत सहायता

प्रमुख औद्योगिक घरानों को अपने समीप के क्षेत्र में 'पूरा' परिसरों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें फौरन अपना लेना चाहिए ताकि उनका समन्वित विकास किया जा सके। उन्हें उत्पादनों और सेवाओं कौशल और उद्यमशीलता की याथार्थवादी योजना तैयार करनी चाहिए। उत्पाद और सेवाओं का निर्णय क्षेत्र की मूल शक्ति के आधार, कच्चे माल की उपलब्धता, आधारभूत ढांचे और तुलनात्मक लाभ को देख कर किया जाना चाहिए।

एक बार उत्पाद का निर्धारण होने के बाद उसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिए आकर्षक बनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी का उपयोग जरूरी हो जाएगा। क्रिया विधि और काम करने की प्रक्रिया की स्थापना के बाद स्थानीय जनता की कुशलता को सुधारने–बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पैकेज जरूरी होगा। निस्संदेह देश के अन्य भागों से भी कुछ लोग लाए जा सकते हैं, क्योंकि विकास दर बढ़ाने के लिए ज्ञान और कौशल का आदान–प्रदान जरूरी है। यही समय नेतृत्व के गुणों वाले उद्यमी विकसित करने का है, जो उद्यम स्थापित करेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। यह अच्छा होगा कि उद्यमियों का चयन क्षेत्र के उच्च शिक्षा संस्थानों से किया जाए। लेकिन हमेशा ऐसा करना जरुरी नहीं है। इससे क्षेत्र में संयोजन की स्थापना के साथ–साथ ग्रामीण स्तर की उद्योगों की स्थापना होगी।

क्षेत्र को देखते हुए प्रत्येक 'पूरा' की लागत 100–200 करोड़ रुपये के बीच आएगी। निर्माण आदि अवधि के दौरान प्रारम्भिक अल्पावधि रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना बनानी होगी। अगर औद्योगिक आईसीटी पार्कों की विपणन व्यवस्था अच्छी रहीं, वे सेवा और अन्य सहायक क्षेत्रों में 10,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते है। रोजगार की खाई को कम करने का यह एक तरीका है। इसके परिणामस्वरूप

वैकल्पिक विषय के रूप में / इतिहास / का वैज्ञानिक तरीके से अध्यापन
जिससे प्री० में 90 से 100 प्रश्न सही, मुख्य परीक्षा में न्यूनतम 350 अंक

G.S.

IAS/PCS (फाउंडेशन + मुख्य + प्रारम्भिक)

By

R. Kumar & Team

क्लास रूम कोचिंग के साथ जीवंत पत्राचार पाठ्यक्रम एवं
आवासीय सुविधा उपलब्ध

अन्य विषय : लोक प्रशासन, हिन्दी साहित्य, Zoology

1 जून से प्रारम्भ होने वाली कक्षा के लिए नामांकन ज़ारी

IAS TUTORIALS

102-103, Jaina House, Mukherjee Nagar, Delhi-9
Ph.: (O) 27651392, (R) 27252444
Cell.: 9810664003

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 26 करोड़ लोगों के जीवन में सुधार आएगा और लाखों लागों को जो तकनीकी दृष्टि से गरीबी की रेखा के ऊपर है, लेकिन अन्य मानकों से गरीब है, बेहतर काम मिलेगा।

संक्षेप में, हमें 'पूरा' के लिए व्यवसाय योजना बनानी चाहिए और काम करने की ऐसी आदर्श व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जो :

- मूल योग्यता का आंकड़ा आधार (डाटा बेस) और चुने गए क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ दर्शाए।
- 'पूरा' को कार्यान्वित करने की लागत का अनुमान लगाए।
- 'पूरा' के क्रियान्वयन के पहले और बाद में लोगों की आर्थिक समृद्धि को मात्रात्मक रूप में स्थापित करने के उपाय।
- आर्थिक त्याग और आत्मपोषण क्षमता।
- 'पूरा' को आत्मनिर्भर बनाने के और निवेश आकृष्ट करने के लिए विपणन विधियां।
- उन प्रमुख व्यापारियों, सार्वजनिक जीवन से जुड़े लागों और दूसरों की पहचान कीजिए जो पूरा को सफलता से चला सकते है और निवेश भी पा सकते हैं।

क्रियान्वयन

'पूरा' का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन एक शीर्ष संस्था बना कर किया जा सकता है। उसके अध्यक्ष देश के चोटी प्रबंधक होंगे। कुल मिलाकर 'पूरा' योजना इस शीर्ष संस्था के अन्तर्गत कार्य करेगी। यही संस्था विभिन्न क्षेत्रों में 'पूरा' को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश देगी। पांच क्षेत्रीय पूरा निगम बनाए जा सकते हैं; जो अपने क्षेत्रों में जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य क्षेत्र में पूरा की गतिविधियों का क्रियान्वयन करेंगे। प्रत्येक 'पूरा' में एक क्षेत्रीय निगम से शक्तियां ग्रहण करेगा।

प्रत्येक 'पूरा' निम्नलिखित माडल अपना सकता है : पूरी तरह से सरकार द्वारा संचालित, संयुक्त उद्यम द्वारा संयुक्त रूप से संचालित, उद्योगों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं और अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किसानों, ग्रामीणों और उद्यमियों का ज्ञान संयोजन प्रदान करने के लिए संचालित। लेकिन मुख्य बात यह है कि प्रबंध का ढांचा व्यावसायिक और वचनबद्ध हो, लचीलेपन के साथ स्थानीय प्रचालन स्तर पर शक्ति सम्पन्न हो।

'पूरा' का खर्च सरकार उठा सकती है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित राशि मंत्रालय 'पूरा' गैर सरकारी संगठनों, कुछ क्षेत्रों में 'पूरा' की योजनाओं को लागू करने के उत्सुक अप्रवासी भारतीयों, व्यापारिक घरानों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को विशेष आवंटन करके उठाया जा सकता है। 'पूरा' के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा हर छठे महीने क्षेत्रीय निगम द्वारा की जाएगी। इस समीक्षा के आधार पर अलग–अलग 'पूरा' मिशन के निर्बाध क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए मध्यावधि सुधार और नीति संबंधी निर्देश दिए जाएंगे। मिशन के निदेशक 'पूरा' का कार्य सम्पूर्ण होने और लाभदायक निष्पादन तक उसके साथ रहेंगे। एक क्षेत्र में विभिन्न 'पूरा' निगमों कार्य अनुभवों का आदान–प्रदान करने के लिए सम्मेलन आयोजित किए जा सकते हैं।

'पूरा' की समृद्धि का सूचक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उसके योगदान, आय स्तर में वृद्धि, खाद्यान्नों की उपलब्धता, बिजली की उपलब्धता, शुद्ध जल, सफाई सुविधाओं और रहने योग्य आवास से मापा जाएगा। समय–समय पर इसको मापा जाएगा और शीर्ष संगठन को सूचना और मार्गदर्शन के लिए भेजा जाएगा।

देश में कुल 'पूरा' की संख्या सात हजार के आस–पास हो सकती हैं। मिशन का कार्य जटिल गतिविधियों से युक्त है जिससे देश के सभी नागरिकों की भागीदारी और उद्यमियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और शिल्प विज्ञानियों, समाजशास्त्रियों, उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों का सृजनात्मक योगदान आवश्यक है। 'पूरा' के कार्य निष्पादन के लिए प्रबंध, परिचालन और गांव स्तर से लोगों की भागीदारी जैसी व्यवसाय की मिशन प्रणाली आवश्यक है। हमारे अध्ययन से पता चलता है कि देश के दक्षिणी भाग और गुजरात में निजी संस्थाएं और सरकार 'पूरा' के कुछ कार्यक्रमों को जैसे स्वास्थ्य की देखभाल और शिक्षा को लागू कर रहे हैं। वे खाद्य परिरक्षण क्षेत्र और रोजगार के अवसर पैदा करने के कार्य में भी लगे हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि 'पूरा' की व्यावसायिक योजना सर्वव्यापी नहीं हो सकती और उसका निर्धारण केन्द्रीय स्तर पर नहीं हो सकता। इसे विशेष और असाधारण होना चाहिए और इसकी रचना ऐसी होना चाहिए कि वह स्थानीय जनता के आदर्शों, संस्कृति और आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। 'पूरा' का प्रबंध करने के लिए नेतृत्व, वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी और बाजार का विकास क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए। जिसे लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। जिनकी सत्यनिष्ठा और जनता के प्रति वचनबद्धता अत्यन्त उच्च सार ही हों। 'पूरा' परियोजना का विकास वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण काम है और यह कार्य प्रगतिशील उद्यमियों का है। 'पूरा' का कार्य निष्पादन उसके असली मिशन कार्य, ज्ञान, अधिकार संपन्न बनाना, आर्थिक संयोजन, विपणन पहलू, निधि और निधि जुटाने और उसका उपयोग करने की विधि के साथ अधिकार प्राप्त ढांचा। मुझे विश्वास है कि एटलस आफ ससटेनिबिलिटी आफ फूड सिक्युरिटी 2004 की सिफारिशें 'पूरा' मिशन की सहायक होंगी।

खाद्य सुरक्षा के मुद्दे

○ सुरिन्दर सूद

***भा**रतीय नीति निर्माताओं ने खाद्य सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता का मुद्दा माना है और इसी वजह से आरम्भ ही से इसे खाद्य नीति का एक अभिन्न अंग बनाया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति त्रि–सूत्रीय है : उत्पादन में लगातार वृद्धि, खाद्य पूर्ति बनाए रखना और सभी को, खासकर गरीब और वंचित वर्गों को खाद्य उपलब्धता।*

1960 की हरितक्रांति के बाद से भारत का अनाज उत्पादन, साल–दर–साल की घट–बढ़ के बावजूद बढ़ता रहा है। हरितक्रांति से पहले के दौर में पैदावार में वृद्धि का मुख्य कारण खेती के क्षेत्र का विस्तार था, लेकिन हरित क्रांति के बाद, पैदावार में बढ़ोत्तरी का जो रुख बना रहा, उसके पीछे पैदावार बढ़ाने वाली टेक्नोलाजी और समर्थक सेवाओं तथा ढांचे के कारण उत्पादकता में होने वाली वृद्धि थी।

परिणाम स्वरूप, देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन जो 1950–51 में मात्र 5 करोड़ टन था, उसमें नवीनतम अनुमानों के अनुसार 8 गुना से अधिक वृद्धि हुई और यह उत्पादन 21.2 करोड़ के आंकड़ें को पार कर गया। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता भी, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के बावजूद 395 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर लगभग 500 ग्राम प्रतिदिन हो गई है।

यह ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान परिदृश्य में मानक आधारित वार्षिक खाद्य मांग 19.5 से 20 करोड़ टन के बीच है और वास्तविक मांग इससे काफी कम है, देश खाद्यान्न उत्पादन में न केवल आत्म–निर्भर है, बल्कि थोड़ी बहुत अधिशेष बनाए रखने की स्थिति में है। लेकिन पोषण प्राप्त करने का वर्तमान स्तर पर्याप्त है या नहीं, इस मुद्दे पर अभी बहस चल रही है।

दरअसल दिसंबर 2000 में, जब सार्वजनिक खाद्यान्न माल सूची को बनाए रखना मुश्किल हो गया था, तब से ही भारत नियमित रूप से चावल और गेहूं का निर्यात करता आ रहा है और यह निर्यात 3.1 करोड़ टन का आंकड़ा पार कर गया है। तब अधिशेष स्टाक को निपटाने के लिए सरकार ने निर्यात के लिए अनाज उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था। तब से भारत चावल का दुनिया का दूसरे नंबर का और गेहूं का सातवां निर्यातक बन गया है। हालांकि बाद के सूखे और इसके

बाद से घरेलू अनाज खपत के कारण निर्यात में कमी आई। लेकिन निर्यात अधिशेष निरंतर बना हुआ है। अब तक, चार अरब डालर मूल्य के चावल और गेहूं के निर्यात का अनुमान लगाया गया है। लेकिन, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता का अर्थ हर वक्त सम्पूर्ण जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा जरूर मिल जाती है। इसलिए जरूरी है कि खाद्य सुरक्षा अपने सभी स्वरूपों में प्रकट हो, जिसमें सभी प्रदेश और समाज के सभी आर्थिक वर्ग आएं। दरअसल, आज जो असली मुद्दा है, वह खाद्य उपलब्धता नहीं, बल्कि गरीबों तक इसकी सुलभ पहुंच है। यह मुद्दा, उच्च पोषण क्वालिटी वाले आहार संबंधी आकलन पर आधारित खाद्य और पोषण सुरक्षा का भी है। इस दृष्टिकोण से, खाद्य सुरक्षा की वर्तमान अवधारणा का आधार व्यापक हो गया है, जिसमें भोजन खरीदने की आर्थिक क्षमता सुनिश्चित करने वाले साधनों के रूप में आजीविका सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन शामिल किया गया है। इतना हो जाने के पश्चात, तब सवाल पर्याप्त पोषण का आता है। भारत में इसका महत्व बढ़ चला है क्योंकि भारत में भुखमरी से भी कहीं गंभीर समस्या अब कुपोषण की है। भुखमरी पर तो काफी हद तक काबू पा लिया गया है।

इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा की व्यापक अवधारणा के लिए स्वच्छ पेयजल का अनुमान लगाना भी जरूरी है। अभी भी देश की अधिकांश जनसंख्या को पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है और फिर, बिना पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के खाद्य सुरक्षा के भी कोई मायने नहीं हैं।

और फिर, व्यक्तिगत स्तर पर खाद्य सुरक्षा से लेकर परिवार, समाज, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक खाद्य सुरक्षा कई स्तरों पर मौजूद है। फिर परिवार के भीतर भी खाद्य सुरक्षा को देखें तो स्त्री–पुरुष, बच्चों तथा बूढ़ों और कमजोरों से जुड़े मुद्दे भी हैं। महिलाओं और बेरोजगार वृद्धों के प्रति अक्सर, परिवार के स्तर पर भोजन की खपत में भेदभाव होता है। इसलिए खाद्य सुरक्षा के अवधारणा मूलक पहलुओं पर बहस, कभी खत्म नहीं हो सकती। नतीजा यह हुआ है कि खाद्य सुरक्षा की परिभाषा में भी निरंतर बदलाव आ रहा है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि परिभाषा को किन परिस्थितियों के तहत देखा जा रहा है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्य सुरक्षा को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता माना है और इसलिए शुरू से ही इसे खाद्य नीति का अभिन्न अंग बनाया गया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने की रणनीति त्रि–आयामी रही है : उत्पादन में सतत वृद्धि, खाद्य आपूर्ति बनाए रखना, और सभी के लिए, विशेषतौर पर गरीब और वंचित वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करना। इस प्रकार, खाद्य सुरक्षा प्रणाली केवल खाद्य आत्मनिर्भरता तक ही सीमित नहीं रही, हालांकि यह प्रमुख उद्देश्य था, लेकिन इससे भी आगे निकल गई और इसमें बाजार स्टाक व्यवस्था और वितरण भी शामिल हो गया। इस उद्देश्य के लिए, इन वर्षों में एक व्यापक खाद्य प्रणाली विकसित की गई है, जो काफी सफल सिद्ध हुई है और इसमें नीति के सभी तीनों तत्वों को ध्यान में रखा गया है। इसमें, उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में न्यूनतम परंतु लाभकारी समर्थन मूल्यों पर खाद्यान्न खरीद सरकारी खर्च पर खाद्यान्न का भंडारण; और केन्द्र द्वारा पोषित परंतु, राज्य सरकारों द्वारा संचालित देशव्यापी व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरण पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, भंडारित अनाज का गरीबी उन्मूलन और रोजगारजनक कार्यक्रमों के लिए भी अक्सर इस्तेमाल होता है ताकि काम के बदले अनाज कार्यक्रमों के तहत खासकर सूखे, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसी प्राकृतिक विपदाओं के दौरान गरीबों तक आसानी से अनाज पहुंचाया जा सके। और फिर, खाद्य सुरक्षा उपाय के तौर पर रखे गए बफर स्टाक से खाद्यान्न के बाजार मूल्यों में स्थिरता आई है।

विभिन्न दृष्टिकोण

गरीबी से उत्पन्न खाद्य असुरक्षा की समस्याओं से निपटने के लिए, समय–समय पर विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जाते रहे हैं। एक ओर तो, गरीबी पर सीधे हमले के लिए रोजगार पैदा करने का एक व्यापक कार्यक्रम चल रहा है, तो दूसरी तरफ लक्षित समूहों को काफी अधिक सब्सिडी पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने और स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने जैसी अवधारणाओं पर अमल किया जा रहा है ताकि भुखमरी से मौतों और कुपोषण से सुरक्षा प्रदान की जा सके।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी परिवारों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। एक दूसरे कार्यक्रम, अंत्योदय अन्न योजना के तहत, निर्धनतम लोगों को सस्ती दरों पर अनाज दिया जाता है। इसके तहत गरीबी की रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले परिवारों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलाग्राम चावल दिए जाते हैं। लेकिन, इस सबका यह मतलब नहीं है कि भारत ने खाद्य सुरक्षा की लड़ाई निर्णायक तौर पर जीत ली है। शहरी इलाकों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में तो कई रूपों में खाद्य असुरक्षा के बड़े–बड़े क्षेत्र मौजूद हैं। चेन्नई के एक एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सहयोग से प्रकाशित एक 'फूड इनसिक्यूरिटी एटलस आफ रूरल इंडिया' में भारत में खाद्य सुरक्षा में अभी भी व्याप्त कमियों को दर्ज करने की कोशिश की गई है।

इस एटलस में खाद्य असुरक्षा को इसकी व्यापकता (प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1890 किलो कैलोरी ग्रहण करने वाली जनसंख्या का अनुपात) और गहराई (जनसंख्या के निम्नतम 10 प्रतिशत की कैलोरी खपत) के रूप में मापा गया है। इससे पता चला है कि उत्पादन की कमी वाले इलाकों तथा केरल, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों की अधिक संख्या वाले इलाकों में इसका विस्तार और गहराई अधिक है, जब कि देखा जाए तो ये चारों राज्य निर्धनतम राज्यों की श्रेणी में नहीं आते हैं। भूख की गहराई को प्रभावित करने वाले अन्य कारणों में गैर–कृषि रोजगार अवसरों की कमी और मध्य प्रदेश और बिहार के मामले में मजदूरों की कम मजदूरी को गिना जा सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि इस एटलस से पता चलता है कि जिन राज्यों में अधिक जमीन और दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भरता है, वे भूख से बचे हुए हैं। इन राज्यों में भूख का फैलाव और गहराई काफी कम है, जैसे कि सामान्य परिस्थितियों में राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्य। लेकिन सूखे या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के चलते इन राज्यों को गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है।

कुछ भी हो, टिकाऊ और एक समान खाद्य सुरक्षा का यह संघर्ष उतना ही गतिशील सिद्ध होगा, जितना कि इस अत्यंत जटिल मुद्दे का स्वरूप है। यह इसलिए भी है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा या खाद्य असुरक्षा की जरूरतों का स्वरूप, बदलते सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य के अनुसार बदलता रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादन और खपत के बीच का संबंध कमजोर होना शुरू हो गया है। बाजार को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है और यह बाजार तथा मूल्यों से प्रेरित होता है। उच्च आय स्तरों के बावजूद इससे स्थानीय स्तर पर खाद्य उपलब्धता, और नतीजतन खाद्य असुरक्षा के बारे में अनिश्चितताएं उत्पन्न हो सकती हैं। और फिर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विशेषकर बागवानी फसलों में कृषि विविधीकरण या गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मवेशी उत्पादों में विविधीकरण से आजीविका के अवसरों में वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप खाद्य सुरक्षा उत्पन्न होती है। यहां भी बाजारी शक्तियां उत्पादक को अपने उत्पादन की घरेलू खपत को घटाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। आज भी, कई भूमिहीन परिवार बिक्री के लिए दूध निकालते हैं और घरेलू खपत के लिए तो न के बराबर ही दूध रखते हैं। इन पहलुओं के अलावा, पर्यावरण क्षरण से भी उच्च स्तर पर खाद्य उत्पादन की निरंतरता और उसकी उपलब्धता भी खतरे में पड़ सकती है। उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य प्राकृतिक संसाधनों, खासकर पानी का और मिट्टी के पोषक तत्वों का इतनी तेजी से दोहन कर रहे हैं, जितनी तेजी से इन तत्वों की प्रतिपूर्ति संभव नहीं हो पाती है। नतीजा यह हुआ है कि कई इलाकों में भूजल स्तर तेजी से नीचे गिर गया है और मिट्टी की उर्वरता घटी है, जिससे फसल की उत्पादकता को खतरा पैदा हो गया है। दूसरी तरफ, असम और बिहार जैसे कुछ अन्य राज्य हैं, जहां इस्तेमाल किए जा सकने वाले प्राकृतिक संसाधनों तक का कम उपयोग किया जा रहा है, जिससे उत्पादन की व्यापक क्षमता अछूती पड़ी हुई है।

इस प्रकार, इस परिस्थितियों में खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने से काम नहीं चलेगा। जरूरत, खाद्य उत्पादन के प्रति एक लचीली और सम्पूर्ण दृष्टिकोण की है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों समेत उपलब्ध उत्पादन संसाधनों की क्षमताओं को ध्यान में रखा जाए और जो बदलते सामाजिक–आर्थिक तथा रोजगार और बाजार–सम्बद्ध परिदृश्य के साथ तालमेल बैठा सके। ❑

(श्री सुरिन्दर सूद बिजनेस स्टैंडर्ड में कृषि संपादक हैं।)

आवश्यक सूचना

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। आवश्यक नहीं है कि ये, सरकार के या जिन संगठनों के लिए वे काम करते हैं, उनके विचारों की अभिव्यक्ति हो।

'योजना' में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु संगठन या उसके प्रतिनिधियों के बारे में है। इस विज्ञापनों की विषयवस्तु पाठ से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए 'योजना' किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं है।

खाद्यान्न बैंकों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा

○ जे. भाग्यलक्ष्मी

गरीबी उन्मूलन और सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नन के विशेष सलाहकार प्रो. डी. सैक्स का कहना है कि 'भारत इतनी मजबूत स्थिति में है कि 2007 से पहले ही वह भारी गरीबी और भुखमरी की स्थिति से उबर सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि केवल कृषि में ही नहीं बल्कि समूचे ग्रामीण जीवन में निवेश बढ़ाया जाए।'

संयुक्त राष्ट्र ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्य के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनमें से एक 2015 तक दुनिया में भीषण गरीबी में गुजर–बसर करने वालों का अनुपात घटाकर आधा करना भी है। विश्व की जनसंख्या में से 1.3 अरब लोग भुखमरी की हालत में रहते हैं। करीब 80 करोड़ लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और 50 करोड़ कुपोषण की समस्या का शिकार हैं।

भारत में गरीब लोगों की संख्या देश की जनसंख्या के 22 प्रतिशत के बराबर है। देश में समय–समय पर शहरी और ग्रामीण गरीबी की समस्या से निपटने के लिए रणनीति तैयार की गई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्य पदार्थों के पर्याप्त स्तर को भी महत्व प्रदान किया गया है। इसमें साफ–सफाई की बुनियादी सुविधाओं के साथ–साथ शिक्षा और पेयजल सुलभ कराने पर जोर दिया गया है।

पिछले वर्षों में खाद्य सहायता के रूप में सरकार जो मदद कर रही है उसके माध्यम से तीन तरह की असुरक्षाओं को दूर करने पर जोर दिया गया है : (क) लंबे समय से चली आ रही खाद्य असुरक्षा; (ख) पौष्टिक आहार से संबंधित असुरक्षा; और (ग) अस्थायी खाद्य असुरक्षा।

लंबे अरसे से चली आ रही असुरक्षा को दूर करने के लिए खास लोगों के लिए खाद्यान्न वितरण और काम के लिए अनाज जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। पूरक और मध्याह्न भोजन के माध्यम से भोजन में पौष्टिकता की कमी से उत्पन्न असुरक्षा को दूर करने का प्रयास किया गया है। जहां तक अस्थायी खाद्य असुरक्षा का सवाल है प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं के समय खाद्य सहायता का वितरण आपदा राहत के तौर पर भी किया जाता है। इसके अलावा दीर्घकालीन आपदा निवारण और तैयारी कार्यक्रमों के माध्यम से भी चुनौती से निपटने का प्रयास किया जा रहा है।

समन्वित बाल विकास सेवा, मध्याह्न भोजन योजना और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का फायदा भारत की करीब एक तिहाई आबादी के लिए उपलब्ध है। इसके माध्यम से हर साल करीब 2 करोड़ टन अनाज बांटा जाता है। फिर भी आवश्यकता और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर है जिसे दूर करना आवश्यक है।

अप्रैल 2001 में 'फूड इनसिक्योरिटी एट लास्ट ऑफ रूरल इंडिया' के विमोचन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भारत 15 अगस्त, 2007 तक भुखमरी की समस्या से काफी हद तक छुटकारा पा लेगा। यह वर्ष दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत और भारत की स्वतंत्रता की 60वीं जयंती का है।

जैसा कि प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा है : "खाद्य सुरक्षा के तीन आयाम हैं। पहला है खाद्यान्न की उपलब्धता जो अनाज के उत्पादन और आयात पर निर्भर है। दूसरा है खाद्यान्न तक पहुंच जो लोगों की क्रय शक्ति पर निर्भर है और तीसरा, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना जो स्वच्छ पेयजल, पर्यावरण की स्वच्छता, प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर निर्भर है।"

भारत सरकार, एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 24–26 अप्रैल, 2001 तक नई दिल्ली में संयुक्त रूप से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जिसका विषय था 'भारत को भुखमरी से मुक्त करने के

प्रयास'। इसमें भाग लेने वालों ने 15 अगस्त, 2007 तक भारत से भुखमरी का अंत करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति के लिए 10 सूत्री कार्यसूची का सुझाव दिया। इसमें निम्नलिखित प्राथमिकताएं रेखांकित की गई हैं :

- भुखमरी और कुपोषण की स्वाभाविक समस्या का सामना कर रहे परिवारों और व्यक्तियों की पहचान करना;
- लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए उन्हें जानकारी देना;
- भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले कुपोषण और ऊर्जा की कमी को दूर करना;
- सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों की कमी की वजह से उत्पन्न अप्रत्यक्ष भूख को दूर करना;
- स्वच्छ पेयजल और पर्यावरण संबंधी स्वच्छता सुनिश्चित करना;
- रोजी रोटी की पक्की व्यवस्था करके लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना;
- महिलाओं और बच्चों की ओर विशेष ध्यान देना;
- खाद्य पदार्थों पर आधारित सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना;
- आपदा राहत को विकास के साथ जोड़ना;
- कृषि उत्पादों के लिए विपणन सुविधा बढ़ाना।

स्थानीय स्तर पर खाद्यान्न बैंकों की स्थापना के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण और विश्व खाद्य कार्यक्रम के महत्वपूर्ण निष्कर्षों तथा इससे संबद्ध अन्य अध्ययनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब तक अनाज उत्पादन, भंडारण और वितरण केन्द्रकृत तरीके से संचालित की जाने वाली गतिविधि रहा है जिसमें अनाज उत्पादन को इसके उपभोग से अलग करके रखा गया है। ऐसा समझा जाता है कि स्थानीय अनाज बैंकों की अवधारणा को अपनाने से केन्द्रीकृत खाद्यन्न प्रबंधन से जुड़ी कई कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। इसे उत्पादन और बाजार संपर्क बढ़ाने का एक उपाय भी माना जा रहा है। इन बैंकों को जो स्व सहायता समूह चलाएंगे उनकी मदद के लिए रिवाल्विंग फंड की व्यवस्था के साथ–साथ

अब तक अनाज उत्पादन, भंडारण और वितरण केन्द्रकृत तरीके से संचालित की जाने वाली गतिविधि रहा है जिसमें अनाज उत्पादन को इसके उपभोग से अलग करके रखा गया है। ऐसा समझा जाता है कि स्थानीय अनाज बैंकों की अवधारणा को अपनाने से केन्द्रीकृत खाद्यन्न प्रबंधन से जुड़ी कई कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। इसे उत्पादन और बाजार संपर्क बढ़ाने का एक उपाय भी माना जा रहा है।

सरकारी खर्च पर भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे खाद्यान्न असुरक्षा, किसानों द्वारा औने पौने दामों में अपने उत्पादों की बिक्री और ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता की समस्याओं का भी समाधान हो सकेगा।

भारत सरकार की पहले से ही ग्राम अनाज बैंक योजना है। जनजातीय इलाकों में अनाज बैंक बनाने की केन्द्रीय योजना 1996–97 में प्रारंभ हुई थी। दूर दराज के कुछ चुने हुए ग्रामीण इलाकों में बच्चों में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए इसे परीक्षण के तौर पर प्रारंभ किया गया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) के माध्यम से इसके लिए धनराशि जारी की। 2002 तक देश भर में 645 अनाज बैंक बनाए जा चुके थे।

दिसम्बर 2001 में खाद्य और कृषि संगठन, एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसका विषय था : 'खाद्यान्न बैंकों की वास्तविक स्थिति की जांच'। इसमें एक व्यावहारिक अनाज बैंक के मॉडल के बारे में चर्चा की गई। कार्यशाला में भारत सरकार के अधिकारियों ने भी भाग लिया। कार्यशाला में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की खाद्यान्न बैंक योजना के विस्तार सहित इसके संचालन की विशेषताओं, इसके टिकाऊपन और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई।

पूंजी और संसाधन के रूप में खाद्यान्न

इसमें भाग लेने वाले इस बात से सहमत थे कि अनाज को पूंजी और संसाधन के रूप में मानने से एक व्यावहारिक अनाज बैंकिंग प्रणाली बनाने में मदद मिल सकती है। यह खाद्य असुरक्षा और खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए मजबूत संस्थागत ढांचा उपलब्ध हो सकता है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम ने स्व सहायता समूहों द्वारा सामुदायिक अनाज बैंकों के प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की है। यह भी महसूस किया गया कि महिलाओं के समूहों या व्यक्तिगत रूप से महिलाओं को अनाज बैंकों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है क्योंकि वे रोजमर्रा की खाद्य सुरक्षा में पहले से लगी रहती हैं। इस संबंध में कराए गए विभिन्न अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि

अनाज बैंक उन इलाकों में सफल हुए हैं जहां महिलाओं का सशक्त नेतृत्व पहले ही अपनी जड़ें जमा चुका है।

जनजातीय इलाकों में खाद्यान्न बैंकों की सफलता के कुछ खास कारण हैं जो इस प्रकार हैं :

- पहले से विद्यमान परम्पराओं, संस्थाओं या तौर–तरीकों का उपयोग;
- जिन इलाकों में अनाज बैंक नहीं हैं वहां के उदाहरण के जरिए कमी वाले मौसम की स्थिति स्पष्ट करना;
- किसी समुदाय के मुख्य आहार में उपयोग में लाए जाने वाले अनाज के घरेलू लेन–देन और बचत को बढ़ावा देना;
- अनाज का लेन–देन पैसे की तरह किया जाता है इसलिए इससे सूदखोरी को दूर किया जा सकता है;
- समाज अनाज की आवश्यकता महसूस करता हो और खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए कुछ भी करने को उद्यत हो;
- अनाज बैंक से लेन–देन में चूक को रोकने के लिए पारदर्शिता और समूचे समुदाय की भागीदारी;
- अनाज का उपयोग बीज की खरीद और बुआई संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा फसल प्रणाली को सुदृढ़ करने में किया जा सकता है।

सरकार ने हाल में 13 राज्यों में अनाज बैंकों के लिए 230 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अनुमान है कि देश भर के 25,800 गांव इसके दायरे में होंगे। गैर–सरकारी एजेंसियों की इस खाद्य असुरक्षा दूर करने के इस कार्यक्रम में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और वे जनजातीय और अन्य इलाकों में भुखमरी के कारण होने वाली मौतों को रोकने में जरूरतमंद लोगों को मदद देंगे।

संचालन प्रणाली

गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले लोग इन बैंकों से अनाज उधार ले सकते हैं और इसके लिए बाद में भुगतान कर सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय अनाज के भंडारण की व्यवस्था करेगा और भंडारण सुविधा का निर्माण करेगा। अनाज बैंक का संचालन गांव का कोई स्थानीय व्यक्ति ही करेगा और वही अनाज रखे जाएंगे जो स्थानीय लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। इस कार्य में राज्य सरकारों को शामिल करने के लिए केंद्र ने फैसला किया है कि वह अनाज की ढुलाई में आने वाली लागत का 50 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेंगी। अनुमान है कि हर अनाज बैंक में 80 कुंतल अनाज रहेगा जिसकी कीमत करीब 80,000 रुपये होगी। हर बैंक को बाट, तराजू और भण्डारण में काम आने वाले करीब 5,000 रुपये मूल्य के अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के बारे में विचार के लिए 4–5 फरवरी, 2004 को नई दिल्ली में दो दिन का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर 'भारत में खाद्य सुरक्षा के टिकाऊपन की एटलस' जारी की गई। इसमें हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए नौ सूत्री कार्य योजना बनाई गई है। इसमें कार्रवाई के लिए जो मुद्दे सुझाए गए हैं उनमें जनसंख्या में वृद्धि की रफ्तार को स्थिर करना, भूमि संसाधनों का संरक्षण और इनमें बढ़ोत्तरी, जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, सामुदायिक भागीदारी से जंगलों का संरक्षण और उन्हें फिर से हरा–भरा बनाना, जैव विविधता में सुधार, वायुमंडल में सुधार, साझा संसाधनों की प्रबंधन, फसलों और मवेशियों के उत्पादन में टिकाऊ तौर पर बढ़ोत्तरी और हर राज्य में टिकाऊ खाद्य सुरक्षा के लिए विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं का गठबंधन बनाना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने सन् 2007 तक देश से भुखमरी का अंत करने के कार्यक्रम की रूपरेखा बतायी। उन्होंने बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं नाम के इस कार्यक्रम को अगले पांच वर्षों में देश के 4,130 गांवों में लागू किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष श्रेणी वाले अन्य राज्यों के साथ–साथ ऐसे इलाकों के गांवों को इस कार्यक्रम में प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी पहचान योजना आयोग ने पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में की है।

जैसा कि गरीबी उन्मूलन और सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नन के विशेष सलाहकार प्रो. जेफ्री डी. सैक्स ने कहा है : "भारत इतनी मजबूत स्थिति में है कि 2007 से पहले ही वह भारी गरीबी और भुखमरी की स्थिति से उबर सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि केवल कृषि में ही नहीं बल्कि समूचे ग्रामीण जीवन में निवेश बढ़ाया जाए।" ❑

(डॉ. जे. भाग्यलक्ष्मी स्वतंत्र पत्रकार और मीडिया सलाहकार हैं।)

भूल सुधार

'योजना' फरवरी 2004 अंक में संपादकीय के चौथे पैरा में भूलवश इस्लामाबाद की जगह जिनेवा प्रकाशित हुआ है। पाठकों को हुई असुविधा का हमें खेद है। इसमें जिनेवा को इस्लामाबाद पढ़ा जाए।

संपादक

ग्रामीण भारत में सहकारी ऋण

○ के.के. त्रिपाठी

ऋणों में विविधता वक्त की जरूरत है। भारी संख्या में किसानों और कमजोर वर्गों के लोगों को डेयरी, मुर्गी पालन, जल कृषि, रेशम कीट पालन, बकरी और भेडों के पालन, मछली पालन आदि क्षेत्र–विशेष व्यावहारिक गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के वास्ते ऋणों में विविधता लाना बहुत जरूरी है और इसके एक बड़े ऋण आधार की आवश्यकता है। संबद्ध कुटीर उद्योगों के साथ–साथ कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि इससे कृषि के विविधीकरण के लिए 'पिछले और अगले' सम्पर्कों में मदद मिलेगी।

भारत में दो तिहाई जनसंख्या आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। इसलिए भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) से ही कृषि के लिए विकास को जो महत्व दिया जाता रहा है, वह उचित ही है। दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में अधिकांश तथा गरीब, छोटे और सीमांत किसानों तथा समाज के कमज़ोर वर्गों द्वारा की जाने वाले खेती की सबसे बड़ी समस्या वित्त व्यवस्था की है। इसलिए प्रत्येक योजनावधि में गरीब, छोटे और सीमांत किसानों तथा समाज के कमज़ोर वर्गों को आधारित कृषि टेक्नोलाजी तथा उन्नत कृषि और तरीकों के इस्तेमाल लायक बनाने के लिए समय पर और पर्याप्त मांग में ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध कराने के वास्ते और अधिकाधिक संस्थागत व्यवस्था करने पर जोर दिया जाता रहा है। इसका उद्देश्य उत्पादन, और उत्पादकता को बढ़ाना रहा है।

31 मार्च, 2000 को, 600 जिलों के अधीन 6,28,861 गांव आते हैं, जिनमें 10.60 करोड़ जोतें हैं। जोत का औसत आकार मात्र 0.88 हेक्टेयर है। इसलिए ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने जो नीतिगत पहलें की हैं, उनमें उपयुक्त ऋण नियोजन, क्षेत्र–विशेष रणनीतियां अपनाने और उधार देने की नीतियों तथा तरीकों को तर्कसंगत बनाने के जरिए जमीनी स्तर पर ऋण प्रवाह को बढ़ाने पर ज़ोर दिया है। व्यापारिक बैंकों, ग्रामीण बैंकों, आय सहित विभिन्न बैंकों के बहुएजेंसी नेटवर्क में मात्र सहकारी संस्थान ही ऐसे हैं, जिनका कृषि समुदाय को कृषि ऋण दिलाने का एक व्यापक नेटवर्क है।

गांवों में पारिवारिक तौर पर ऋण प्रदान करने वाले हथियाने वाले सिद्ध हुए, क्योंकि वे ऋणी किसानों की जमीन हथिया लेते थे और कुशल तथा पेशेवर किसान को बेदखल कर देते थे। नतीजा यह हुआ कि कृषि का विकास थम ही नहीं गया, बल्कि उसमें जबर्दस्त गिरावट आई। और फिर, आधुनिक बैंकिंग प्रणाली बुनियादी तौर पर शहरीमुख हैं और वह अच्छे–खासे ब्याज के साथ तत्काल वसूली पर विश्वास करती है। यह प्रणाली भी, गांवों में पारम्परिक साहूकारों की जगह लेने के लिए उचित नहीं पाई गई। इसलिए विकास विशेषज्ञों और योजनाकारों ने सही सोचा कि वंचित वर्गों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले, विशेषकर गांवों में रहने वाले ऐसे लोगों का आर्थिक विकास तब ही संभव है, जब उनमें सहकार की भावना और सहकारिताओं के जरिए समाज की भागीदारी की संस्कृति पैदा की जाए। उन्होंने सहकारिताओं के पीछे की भावना और उनके गैर–शोषक चरित्र, सदस्यता के स्वैच्छिक स्वरूप, विकेन्द्रीकृत निर्णय के सिद्धांत के महत्व को समझा क्योंकि इनके लिए वे सहकारिता को ग्रामीण विकास का एक अनिवार्य साधन

सहकारी ऋण आंदोलन ने इस साल मार्च में अपनी शताब्दी मनाई है।

मानते थे। छोटे और सीमांत किसानों तथा दूसरे जरूरतमंदों को कम ब्याज दर पर संस्थागत ऋणों की आपूर्ति बढ़ाने और ग्रामीण परिदृश्य से साहूकारों तथा दूसरे गैर–संस्थागत बिचौलियों का सफाया करने के लिए आजादी के बाद से सहकारिता आंदोलन बड़े जोर–शोर से शुरू किया और बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी ऋण की अधिक से अधिक प्रावधान करने की व्यवस्था की गई।

मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार सभी एजेंसियों के ग्रामीण ऋण प्रदाता केंद्रों की कुल संख्या 1,39,533 थी। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा, 94663 (67.8 प्रतिशत) का सहकारी संस्थाओं का जबकि क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों और व्यापारिक बैंकों की आउटलेटों की संख्या क्रमशः 12,223 (8.8 प्रतिशत) और 32637 (23.4 प्रतिशत) थी। जहां तक ग्रामीण ऋण के लिए उधार खातों का सवाल है, 8.38 उधार प्राप्तकर्ताओं में से 5.74 करोड़ ऋण सहकारी संस्थाओं के (68.5 प्रतिशत) 40 लाख (4.8 प्रतिशत) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 2.24 करोड़ (26.7) व्यापारिक बैंकों के उधार प्राप्तकर्ता थे।

सहकारी ऋण ढांचे को दो उप–शीर्षों में बांटा जा सकता है – अल्पावधि ऋण और दीर्घावधि ऋण।

अल्पावधि ऋण ढांचा: सहकारिताओं का अल्पावधि ऋण ढांचा त्रिस्तरीय होता है: प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाएं (पीएसी), सबसे निचले स्तर पर होती हैं और चोटी पर राज्य सहकारी बैंक (एससीबी) होते हैं, जबकि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) मध्यवर्ती स्तर पर होते हैं। अलग–अलग राज्य में एससीबी, सहकारी ऋण ढांचे के शीर्ष पर होते हैं और ये डीसीसीबी के कामकाज को नियंत्रित करते हैं। एससीबी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), डीसीसीबी और पीएसी के बीच सम्पर्क के रूप में भी काम करते हैं। डीसीसीबी का काम ग्रामीण प्राथमिक संस्थाओं को उधार देना और आम जनता से जमा लेते हैं और एससीबी तथा पीएसी के बीच सम्पर्क की भूमिका भी निबाहते हैं।

एसीबी: 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार 29 एससीबी अपनी 823 शाखाओं के माध्यम से कार्यरत थे। इन बैंकों के पास 1999–2000 में 29,557 करोड़ रुपये के जमा थे और इनसे 10860 करोड़ रुपये उधार लिए गए थे। 1999–2000 के अंत तक इन बैंकों में 25,708 करोड़ रुपये का बकाया हो गया था और संचित हानि 497 करोड़ रुपये पहुंच गई थी।

डीसीसीबी: देश में 2000 में 367 डीसीसीबी कार्यरत थे, जिनकी शाखाओं की संख्या 12,407 थी। इन बैंकों में 29557 करोड़ रुपये जमा थे, और इनसे 14,640 करोड़ रुपये का उधार लिया गया था। 1999–2000 के अंत तक इन बैंकों में बकाया 44,201 करोड़ रुपये का हो गया था और संचित हानि 28.7 करोड़ रुपये पहुंच गई थी।

पीएसी: देश भर में 1999–2000 में 92,000 पीएसी कार्यरत थीं। 31.03.2000 को इन सोसाइटियों की कुल सदस्य संख्या 1,085 लाख थी। इनमें से उधार लेने वाले सदस्य 425 लाख थे, जो कुल सदस्यों का 39 प्रतिशत बैठते थे। हालांकि पिछले 5 सालों में इनकी सदस्यता लगभग स्थिर बनी हुई है, फिर भी संस्थाओं की कुल सदस्यों की संख्या की तुलना में उधार लेने वाले सदस्यों का प्रतिशत, आंध्र प्रदेश (29

संगठनात्मक ढांचा

ढांचे को रेखांकन के रूप में नीचे दर्शाया गया है।

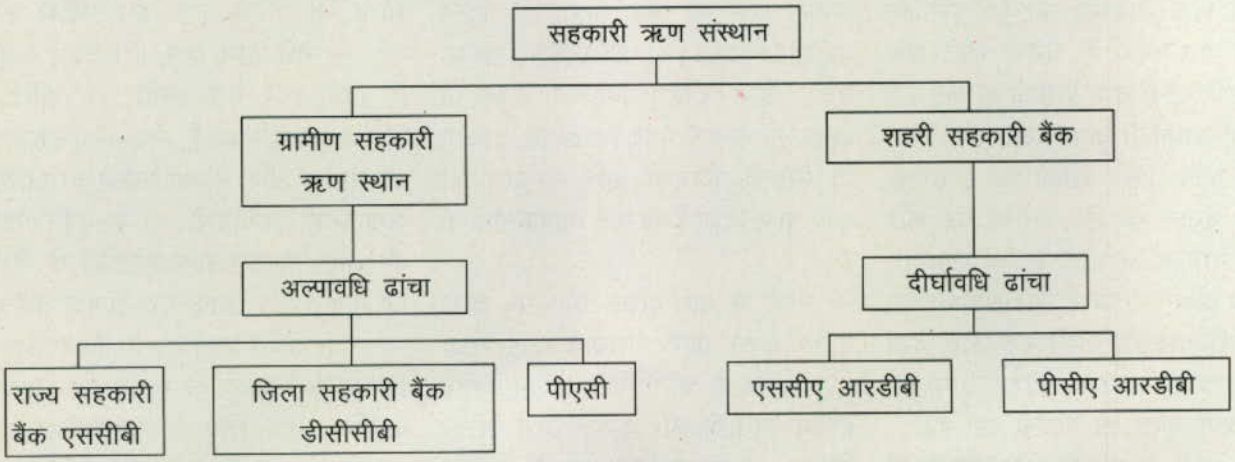

सहकारी ऋण ढांचे को दो उप–शीर्षों में बांटा जा सकता है – अल्पावधि ऋण और दीर्घावधि ऋण

31.03.2000 को सहकारिताओं की वित्तीय और भौतिक स्थिति

तालिका–1

(करोड़ रुपयों में)

बैंक	बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या	कुल जमा	उधार	विलम्बित	संचित हानि
1	2	3	4	5	6	7
एससीबी	29	823	29,557	10,860	25,708	497
डीसीसीबी	367	12,407	53,888	14,640	44,201	2,817
पीएसी	–	92,000	12,284	22,343	28,275	अनुपलब्ध

स्रोतः नाबार्ड

प्रतिशत), असम (2 प्रतिशत), गुजरात (35 प्रतिशत), मेघालय (23 प्रतिशत), उड़ीसा (32 प्रतिशत), पांडिचेरी (22 प्रतिशत), राजस्थान (28 प्रतिशत), त्रिपुरा (6 प्रतिशत) है, जैसे राज्यों में 44 प्रतिशत की और भारतीय औसत से कम है। इसलिए, इससे पता चलता है कि इन राज्यों के ग्रामीण इलाकों में ऋण का प्रवाह कम हो रहा है। इसका कारण सोसाइटियों की तरफ भारी बकाया हो सकता है, जिसकी वजह से लोग ऋण लेने के हकदार नहीं रहे हैं। लेकिन हरियाणा, मध्य प्रदेश, नगालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कुल सदस्यों की तुलना में उधार लेने वालों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। इनमें से पश्चिम बंगाल की प्रगति सराहनीय है। उसके 92 प्रतिशत सदस्यों ने सहकारिता ऋण का फायदा उठाया है।

दीर्घावधि ऋण ढांचाः छोटे और सीमांत किसानों की दीर्घावधि जरूरतों को पूरा करने के लिए सोचा गया कि किसानों की दीर्घावधि ऋण जरूरतों को पूरा करने वाले विशेष संस्थान के जरिए जरूरत के वक्त किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाए। इस मामले में ब्याज की दर भी कम कराना जरूरी था और ऋण प्राप्तकर्ता को आसान किस्तों में धन जुटाने को कहा जा सकता था। मूल रूप से स्थापित दीर्घावधि वित्त व्यवस्था संस्थान के स्वरूप में कई बदलाव आए हैं। यह भूमि बंधक बैंक से भूमि विकास बैंक बना और अब यह कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बन गया है। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक एसडीबी का होना जरूरी है। 19 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडी) थे, जिनकी 19 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में 1219 शाखाएं थीं। इन्होंने 422 करोड़ रुपये का धन जुटा लिया था। जहां तक प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का सवाल है ऐसे 755 बैंक थे, जिन्होंने 218 करोड़ का जमा जुटा लिया था। एससीएआरडी बैंकों ने 1999–2000 में 7532 करोड़ रुपये के ऋण जारी किए, जबकि पीसीएआरडी बैंकों ने 1818 करोड़ रुपये का कर्जा दिया था। एससीएआरडी बैंकों का बकाया 565 करोड़ रुपये का और पीसीएआरडी का 7611 करोड़ रुपये था। लेकिन एससीएआरडी बैकों की वसूली दर 60 प्रतिशत और डीसीएआरडी की 62 प्रतिशत थी जबकि इनके कुल बकाया क्रमशः 1516 करोड़ रुपये और 1384 करोड़ रुपये थी। 1999–2000 में एससीएआरडी बैंकों की

31.03.2000 को दीर्घावधि सहकारिता ढांचे के विकास की स्थिति

तालिका–2

(करोड़ रुपयों में)

वृद्धि संकेतक	एससीएआरडीबी	पीसीएआरडीबी
बैंकों की संख्या	19	755
जमा	422	218
उधार	12,390	7,653
ऋण और पेशियां (जारी)	2,532	1,818
बकाया ऋण	11,565	7,611
संचित हानि	776	896

स्रोतः नाबार्ड

संचित हानि 776 करोड़ रुपये और पीसीएआरडी बैंकों की 896 करोड़ रुपये थी।

सहकारिताओं का फैलाव

हर राज्य में सहकारी संस्थाओं का फैलाव अलग–अलग है। देशभर में 6,20,000 से अधिक गांवों में 92,000 प्राथमिक कृषि ऋण संस्था (पीएसी) थी। (अनुपात 7:1 है)। केरल के हर गांव में एसी पीएसी थी, जबकि अरूणाचल प्रदेश में हर गांवों के पीछे एक पीएसी थी। केरल में 1452 गांव हैं, जबकि सहकारी संस्थाओं की संख्या 1593 थी। महाराष्ट्र और गुजरात में 22 प्रतिशत पीएसी हैं। देश में कुल पीएसी का केरल 3 प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्यों में है। देश के दो बड़े राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, देश की कुल जनसंख्या का एक चौथाई हिस्सा रहता है, लेकिन कुल पीएसी का केवल 17 प्रतिशत की इन राज्यों में कार्यरत है।

मुद्दे और समस्याएं

हालांकि ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में सहकारी ऋण अदायगी संस्थाओं को एक ऐसे अपरिहार्य उधार आउटलेट के रूप में गठित किया गया है, जो ग्रामीण इलाकों के जरूरतमंद और गरीब किसानों को समय पर ऋण दे सके और इन्होंने ग्रामीण संस्थागत ढांचे के तेजी से विकास में योगदान भी किया है, फिर भी अर्थव्यवस्था के खुलने और वित्तीय क्षेत्र के वर्तमान सुधारों के चलते, इन सहकारिताओं पर अन्य प्रतिस्पर्द्धी वित्तीय संस्थानों का भारी दबाव पड़ रहा है। भारतीय वित्तीय व्यवस्था में उभरते प्रतिस्पर्द्धी परिदृश्य में सहकारिताओं को अपनी निहित संभावनाओं को प्रकट करना होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावहारिक ऋण संस्थानों के रूप में अपनी कार्य प्रणाली को सुधारना होगा।

ऋण सहकारी : संस्थाओं के कामकाज की सभी समीक्षा करने और उनमें सुधार करने के उद्देश्य से विभिन्न समूह और समितियां गठित की गई हैं। उत्तराधिकार प्राप्त समिति, 1999 (अध्यक्ष – श्री के. माधव राव) टास्क फोर्स, 2000 (अध्यक्ष – श्री जगदीश कपूर) और विशेषज्ञ समिति, 2001 (अध्यक्ष – प्रोफेसर वीएस व्यास) जैसे समूह और समितियां गठित की गई थीं और इन्होंने भारत में सहकारी ऋण ढांचे के वित्तीय, स्वास्थ्य और निरंतरता के बारे में अपनी–अपनी रिपोर्टें दे दी हैं। इन समूहों और समितियों ने सहकारी ऋण संस्थानों की जिन आम समस्या की चर्चा की है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- कमजोर वसूली
- विलंबित और गैर–निष्पादक परिसम्पत्तियों में वृद्धि
- व्यापारिक कामकाज में विविधीकरण के कम स्तर
- अपर्याप्त ऋण आकलन व्यवस्था और ऋण नियोजन
- निम्न पूंजी आधार

सहकारिताओं की कुछ निहित समस्याओं को संक्षेप में नीचे दिया गया है:

- सहकारिताओं के समस्याओं में सामंजस्य की कमी और उनमें सहकारिताओं के स्वरूप और फायदों के बारे में पर्याप्त हानि का न होना।
- एसीबी और डीसीसीबी अपनी सहकारिताओं में जमाएं जुटाने की कमी पाई जाती है और जुटाई गई जमाओं को जारी ऋणों की तुलना में अनुपात कम होता है। 1997–98 में सहकारी संस्थाओं ने 48,177 करोड़ रुपये की जमाएं जुटाईं जबकि 2000–01 यह राशि 83,794 करोड़ रुपये की थी। सहकारिताओं द्वारा जुटाई गई कुल ग्रामीण जमा का हिस्सा 1997–98 में 36.58 प्रतिशत था और 2000–01 में 31.88 प्रतिशत था, जबकि 2000–01 के दौरान आरआरबी तथा सीबी का हिस्सा क्रमशः 14.56 और 53.56 प्रतिशत था।
- काश्तकारों, बटाईदारों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण दस्तकारों जैसे सर्वाधिक जरूरतमंदों को सहकारी ऋण का भी कम मात्रा में मिल पा रहा है: कुल वित्तीय ऋण का केवल उसे 5 प्रतिशत इनलोगों को जाता है।
- जरूरी सामान खरीदने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को ऋण उपलब्धता अपर्याप्त है।
- राज्यों में सहकारी संस्थाओं के असमान वितरण से कुछ राज्यों को ही फायदा पहुंचता है। प्रति व्यक्ति दिए गए ऋणों में भी भारी अंतर होता है।
- बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के किसानों को अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु के किसानों से अधिक ऋण मिलता है।
- देश के अधिकांश जनजातीय और पर्वतीय जिलों को नगण्य सहकारी ऋण मिल रहा है।
- सहकारिताओं की कम सदस्यता
- ऋण लेने वाले सदस्यों की घटती संख्या
- उच्च प्रबंध लागत
- निम्न कौशल वाले कर्मचारियों में व्यावसायिकता की कमी
- निम्न ब्याज अर्जित और उच्च ऋण लागत

सुझाव और उपाय

सहकारिता ऋण संस्थानों की निहित और बुनियादी समस्याओं के समाधान और कारगर ढंग से उनकी कार्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2000–07) के दौरान कृषि ऋण ढांचे के पुनर्पूंजीकरण

और सुधार का एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत, समाज के जरूरतमंद किसानों को आसानी से, समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण मिलने पर काफी हद तक निर्भर करता है, सहकारी ढांचे की व्यापकता को देखते हुए, ग्रामीण भारत में गतिशील और प्रभावी ऋण प्रवाह के लिए विभिन्न स्तरों पर सहकारी ऋण संस्थाओं की मजबूती जरूरी है। सहकारिता विकास कार्यक्रमों का सबसे बड़ा लक्ष्य कमजोर वर्गों छोटे और सीमांत किसानों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों समेत) को ऋण प्रवाह में पर्याप्त वृद्धि करना है। सहकारी ऋण संस्थानों के लक्षित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, निम्नलिखित तरीकों पर विचार किया जा सकता है:

- **पूंजी निर्माण और ऋण आकलन** – सहकारिताओं का पूंजी आधार बढ़ाने के साथ–साथ उपयुक्त ऋण नियोजन और सही ऋण आकलन का होना बहुत जरूरी है, ताकि उधार लेने वाले सदस्यों में ऋण वितरण में व्यावहारिकता और उपयुक्तता बनी रहे।
- **ऋण वसूली** – अपने सदस्यों से सामूहिक दबाव के माध्यम से क्रय वसूली के अपने तरीके अपनाने के लिए सहकारिताओं को पर्याप्त छूट होनी चाहिए।
- **लोकतंत्रीकरण** – सहकारी ऋण संस्थानों को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर सदस्य–प्रेरित बनाए रखने के लिए कदम उठाना जरूरी है।
- **स्वसहायता** – देश में स्वसहायता समूह क्रांति के जरिए सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रति एक आकलन दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार, नाबार्ड सहित बैंक, गैर–सरकारी संगठन तथा देश की और विश्व की दूसरी स्वैच्छिक संस्थाएं भी स्वसहायता समूहों के जरिए सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही हैं। यदि मौजूद सहकारिताएं स्वसहायता समूहों के गठन, उन्हें अपनाने, बढ़ावा देने और धन देने के जरिए माइक्रो–वित्त संस्थानों के रूप में काम करने लग जाएं, तो गांवों में रहने वाले गरीबों को सामाजिक एकजुटता और आर्थिक सक्रियता द्वारा अधिकार–सम्पन्न बनाकर उनकी आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।
- **नए लाभप्रद उपक्रमों के लिए ऋणों का विविधीकरण** – वक्त की ज़रूरत है। डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, जल कृषि, बकरी व भेड़ पालन, रेशम कीट पालन आदि क्षेत्र–विशिष्ट व्यावहारिक क्रियाकलापों के लिए भारी संख्या में किसानों और कमजोर वर्गों को ऋण दिलाने के लिए ऋण विविधता के लिए ऋण समर्थन की जरूरत है। लेकिन देखा गया है कि बैंक, इन क्रियाकलापों को बढ़ावा देने में हिचकिचाते हैं। देश में खेती और फसल के स्वरूप में विविधता लाने की ज़रूरत हैं, ताकि गरीब किसानों की उत्पादकता और आमदनी दोनों बढ़ें। संबद्ध कुटीर उद्योगों के साथ–साथ कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर विचार किया जा सकता है, ताकि कृषि के विविधीकरण के लिए पूर्व और पश्चात सम्पर्क सुनिश्चित हो सकें। एससीएआरडीबी और पीसीएआरडीबी जैसी सहकारिताओं को कृषि से जुड़ी विविध गतिविधियों के लिए धन जुटाने तथा कृषि और ग्रामीण विकास की क्षमता वाले क्षेत्र के दोहन की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए।
- **व्यावसायिकता** – परिचालन पद्धतियों के आधुनिकीकरण के साथ–साथ, सहकारिताओं को पेशेवर बनाना भी अत्यंत आवश्यक है ताकि वे आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम ग्रामीण वित्तीय संगठनों के रूप में विकसित हो सकें। इसके लिए बेहतर प्रबंधकीय कौशल की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कुशल जोखिम प्रबंध, बाजार की गड़बडियों से सुरक्षा, पारदर्शिता, जवाबदेही, उच्च स्तरीय सेवाएं और उच्च वसूली दर प्राप्त करना भी शामिल किया जाएगा।
- **निर्यात संवर्द्धन क्रियाकलापों में विविधीकरण** – सहकारी क्षेत्र में चाय, मसालों, काजू, पटसन, नारियल रेशे, चीनी और अन्य गौण उत्पादों जैसी कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों में विविधता लाने की जबर्दस्त क्षमता है। इस बारे में बेहतर सीमाओं के लिए सहकारी कृषि संस्थान और विपणन में उचित तालमेल बनाना जरूरी है।
- **खाद्य प्रसंस्करण क्षमताएं** – सहकारिताओं को भारतीय खाद्य क्षेत्र में नए भावों या अवसरों का फायदा उठाना होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में खाद्य वस्तुओं की ग्रेडिंग, प्रसंस्करण और पैकेजिंग में रोजगार पैदा करके चिर–प्रतीक्षित विकास की भारी संभावनाएं हैं।
- **समर्पित प्रतिभा को आकर्षित करना** – जब पूर्णकालिक ग्रामीण व्यवसायों के लिए प्रतिभाशाली और समर्पित व्यक्तियों को नहीं लाया जाएगा या नहीं प्रायोजित किया जाएगा, ग्रामीण पुनर्जागरण या विकास में व्यावसायिकता लाई ही नहीं जा सकेगी। ❑

(श्री के.के. त्रिपाठी भारतीय आर्थिक सेवा से सम्बद्ध हैं)

उत्कर्ष I.A.S.

हिन्दी माध्यम का सर्वोत्तम संस्थान

हिन्दी साहित्य :- भारत का सर्वोत्तम संस्थान।

पिछले 10 वर्षो में I.A.S. परीक्षा में 90% सफलता ।

प्रथम बैच I.A.S. 95 के सफल प्रत्याशी

राजेन्द्र कुमार कटारिया
8th: Rank (S.C.)

तुषार धवलसिंह
100th Rank

संजीव कुमार
261 Rank

1996 से 2000 तक I.A.S. में 70 से अधिक व P.C.S. में सैकड़ों सफलताएं। I.A.S. 2001-2002 में उच्च स्थान पर चयनित कुछ अभ्यार्थी।

मनीष गोतम (376)

रवि कुमार अरोड़ा (351)

विवके कुमार दक्ष (325)

आनंद कुमार सोमानी (378)

1998 **I.A.S.** परीक्षा में उच्च स्थान पर चयनित

धनजंय सिंह भदोरिया (356)

निमेष कुमार (340)

अशोक कुमार (337)

अलोक कुमार (337)

संस्कृत साहित्य :- दि. वि. के प्राध्यापक के द्वारा, संस्कृत लेखन पर विशेष बल।

राजनीति विज्ञान :- दि. वि. के अनुभवी एवं विश्व विख्यात प्राध्यापक के द्वारा जिन्होने राजनीति विज्ञान पर कई पुस्तकें लिखी है। हिन्दी माध्यम में हमारा कोई विकल्प नहीं है।

इतिहास :- डा. रघुवंशी, विश्वविद्यालय प्रोफेसर के द्वारा।

दर्शनशास्त्र :- दि. वि. के प्राध्यापकों के द्वारा।

भूगोल :- एस. कृष्णा के द्वारा।

सामान्य अध्ययन :- आर. कृष्णा, एस. कृष्णा एवं डां० अली (दि० वि०) के द्वारा।

निबन्धः- दस दिवसीय सत्र

कक्षाएं 1 जून 2004 से शुरू हो रही है।

श्री उत्कर्ष क्लासेज रजि०

1245, औट्म लाईन, किंग्सवें कैम्प, दिल्ली-9 फोन :- 27659400, 27129550, 9868448606

हस्तशिल्प का खजाना : भारत

○ नवीन पंत

भारत के शिल्पियों ने अपनी कल्पना और प्रतिभा से एक अद्भुत संसार की रचना की है। उनके द्वारा निर्मित उत्कृष्ट, कलात्मक वस्तुओं की विविधता और व्यापकता को देख आश्चर्य होता है। इन शिल्पियों ने मशीनों की कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद अभाव, कठिनाइयां और परेशानियां सहते हुए अपनी कला परम्परा को जीवित रखा है। हस्तशिल्प क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार देने के साथ आय की असमानता को दूर करता है और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करता है।

भारत खजाना है। हजारों वर्षों से यहां के शिल्पियों ने अपनी कला को सजाकर, संवारकर देश–विदेश में लोगों का दिल जीता है। कला के इन पुजारियों ने पीढ़ी–दर–पीढ़ी अपनी कला का संवर्द्धन किया है, उसे निखारा है और उसे नई ऊंचाईयों तक पहुंचाया है।

भारतीय हस्तशिल्प का भंडार विपुल है। देश के हर भाग में स्थानीय शिल्पी कुछ न कुछ विशिष्ट तथा अनुपम बनाते हैं। इस छोटे से लेख में उनकी चर्चा करना संभव नहीं है। अतः हम इस लेख में केवल हस्तशिल्प के कुछ प्रमुख उत्पादों की चर्चा करेंगे। यथा – कालीन, शाल, रेशमी और सूती कपड़े, साड़ियां, खादी, लकड़ी का समान, कांसे और पीतल की मूर्तियां, बरतन, सोने और चांदी के आभूषण।

भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुओं में सर्वोच्च स्थान आभूषणों का है आभूषणों के बारे में आम मान्यता यह है कि वे समृद्धि के

दिनों में श्रृंगार का साधन होते हैं और विपत्ति में कष्ट निवारण का साधन बनते हैं। कुछ अवसरों पर, विशेष रूप से विवाह के अवसर पर, देश के सभी भागों में आभूषणों का पहिनना अनिवार्य होता है। कुछ आभूषण स्त्री के सौभाग्य सुहाग के परिचायक होते हैं।

अनुमान है कि देश में लगभग पांच हजार वर्षों से आभूषण बनाए जा रहे हैं। प्राचीन काल में लोग फूलों, पक्षियों के पंखों बीजों आदि से श्रृंगार करते थे। बाद में भारतीय सुनारों ने इन प्राकृतिक फूलों को अत्यन्त कलात्मक ढंग से सोने–चांदी के आभूषणों में उतार दिया। प्राचीन काल में स्त्री–पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। महाभारत और रामायण में आभूषणों का विशद वर्णन मिलता है। ईसा की तीसरी शताब्दी तक भारत रत्नों, आभूषणों और हस्तशिल्प की वस्तुओं का प्रमुख निर्यातक बन गया था। आभूषण सोना, चांदी, तांबे और हाथीदांत के बनाए जाते थे। शरीर के हर भाग के लिए आभूषण बनाए जाते थे। मनुष्यों के अलावा देवताओं और जानवरों के लिए भी आभूषण बनाए जाते थे।

देश के सभी नगरों और कस्बों में सुनार आभूषण बनाते देखे जा सकते हैं। तथापि, देश के कुछ नगरों में सुनारी का उत्कृष्ट काम होता है। जयपुर रत्नजड़ित आभूषण बनाने, मीनाकारी और कुन्दन आभूषणों में रत्न जड़ने के काम के लिए प्रसिद्ध है। मीनाकारी के अधिकांश आभूषणों में भीतर लाख–पचरा या सुरमई भर दिया जाता है। सोने–चांदी के आभूषणों का सबसे बड़ा बाजार मुम्बई में झवेरी बाजार है। यहां देश के सभी भागों में प्रचलित आभूषण तैयार किया जाते हैं।

कोलकाता के सुनार सामान्यतः 19–20 कैरट के आभूषण तैयार करते हैं, जबकि देश के अन्य भागों के सुनार 22 कैरट सोने के आभूषण तैयार करते हैं। देश के सम्पन्न लोग रत्नजड़ित आभूषण धारण करना पसंद करते हैं। नवरत्न धारण करना विशेष रूप से शुभ समझा जाता है। रत्नों का मूल्य उनके आकार, बनावट और रंग की चमक पर निर्भर करता है। भारत तेजी से रत्नों और आभूषणों के विश्व बाजार में अपने लिए स्थान बना रहा है। वित्त वर्ष 2001–2002 के दौरान

देश से में 34,845 करोड़ रुपये मूल्य के रत्न और आभूषणों का निर्यात किया गया।

राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश जनजातीय क्षेत्रों में चांदी के आभूषण विशेष लोकप्रिय हैं। इन राज्यों में शरीर के हर भाग के लिए चांदी के आभूषण तैयार किए जाते हैं। दिल्ली (चांदनी चौक, दरीबां) चांदी की सबसे बड़ी बाजार है। उड़ीसा में कटक, आंध्र प्रदेश में कलाहात्ती, करीम नगर, तिरूपति और राजमुन्दरी में चांदी की तारकसी का बेहतरीन काम होता है। आभूषणों के अलावा चांदी का अनेक किस्म का सजावटी सामान भी बनाया जाता है। इस तरह के सजावटी सामानों का कलात्मकता और उत्कृष्टता के लिए भारत और विदेशों दोनों जगह में अच्छी मांग है।

हस्तशिल्प क
1. कलात्मक–धातु निर्मित
2. लकड़ी की वस्तुएं
3. हाथ के छपे कपड़े
4. कढ़ाई और क्रोशिए क
5. शाल
6. जरी और जरी की वस
7. नकली आभूषण
8. हस्तशिल्प की अन्य व
योग

सोने–चांदी के अलावा अन्य धातुओं के आभूषणों की भी देश–विदेश में अच्छी मांग है। इस तरह के कुछ आभूषणों में कम मूल्य के रत्न लगाए जाते हैं। प्लास्टिक, ग्लास फाइबर, नकली मोतियों मनकों के भी आभूषण बनाए जाते हैं। देश में स्कूल–कॉलेज की छात्राएं और कार्यरत महिलाएं और विदेशी महिलाएं उन्हें पसंद करती है।

भारतीयों ने कपड़ा बुनने की कला लगभग चार हजार वर्ष पहले सीख ली थी। ईसा के जन्म से पहले भारत अनेक देशों को सूती कपड़ा निर्यात करने लगा था। लगभग दो हजार वर्षों तक भारत सूती कपड़ों का प्रमुख निर्यातक था। भारतीय बुनकरों ने नाना डिजाइनों के कपड़ें, साड़ियां और चादरें तैयार करने में महारत हासिल की है। भारत अठारवीं शताब्दी तक विश्व के अनेक देशों को सूती कपड़ों का प्रमुख निर्यातक था।

स्तुओं का निर्यात

(*करोड़ रुपयों में*)

1998–99	2002–03
ुएं	2165.21
	511.35
	1466.52
म	2477.75
	32.70
	159.47
	138.79
	1391.62
	8343.41

भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां तसर, मूंगा और दूसरी किस्म का रेशम होता है। शहतूत के पेड़ों में पलने वाले कीड़ों से तैयार रेशम कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होता है।

भारतीय शिल्पियों ने सोने–चांदी के तारों और रेशम के विभिन्न रंगों के धागों से जकी या कमरवाब में अनुपम डिजाइन विकसित किए। इनके प्रमुख केन्द्र वाराणसी, मुर्शिदाबाद, तंजोर, अहमदाबाद और हैदराबाद थे। इन स्थानों पर जरी का बहुत ही बारीक और सुन्दर काम होता था।

कांचीपुर और तंजोर मंदिर शैली की रेशमी साड़ियों के लिए विख्यात हैं। इनकी किनारी और पल्लू में मंदिरों के अनुसार डिजाइन बनाए जाते हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात में अद्भुत बहुरंगी रेशमी पटोला साड़ियां तैयार की जाती हैं। पटोला साड़ियां अपने ज्यामितीय डिजाइनों, फूल–पत्तियों और रंगों के सूक्ष्म मिश्रण के कारण पहचानी जाती हैं। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध पैठणी साड़ियां जरी के ताने–बाने पर बुनी जाती थीं। विभिन्न रंगों को बाने में एक–दूसरे से बांध दिया जाता था। मूल पैठणी साड़ी में 200 ग्राम से लेकर एक किलो तक के सोने के तार लगाते हैं जो गिने–चुने लोगों के बस की बात है। असम की मूंगा, मध्य प्रदेश की तसर, गुजरात की बांधनी, गज्जी सेटिन और मशर साड़ियां भी अपनी सुन्दरता से लोगों का मन मोह लेती हैं।

मध्य प्रदेश की चन्देरी और महेश्वरी साड़ियां रेशम और सूत को मिलाकर तैयार की जाती हैं। पश्चिम बंगाल की सूती साड़ियां तंगेल (तंगाइल) और बालूचेरी आकर्षक डिजाइनों में उपलब्ध होती है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विभिन्न रंगों और डिजाइनों की सूती साड़ियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। खादी को पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता सैनिकों की वर्दी कहा था। हाथ कत और हाथ से बुने को खादी कहते हैं। अंग्रेजी शासन के दिनों में गांधीजी ने गांवों के हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए खादी का प्रचार किया था। खादी की विशेषता यह है कि यह गर्मियों में शरीर को शीतल और जाड़े में गर्म रखती है। कभी खादी केवल राजनीतिज्ञों और राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्त्ताओं की पोशाक समझी जाती थी। इधर अपने विशेष गुणों और रोहित बल, रीना ढ़ाका, मालिनी रमानी, मनीष अरोड़ा जैसे डिजाइनर के प्रयासों से खादी को नई पहचान मिली है। अब खादी की विदेशों में भी मांग की जा रही है।

कश्मीर में प्राचीन काल से कालीनों का निर्माण होता

रहा है। पन्द्रहवीं शताब्दी के बाद कालीन निर्माण के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। मुगल सम्राटों ने कालीन निर्माण को जबर्दस्त बढ़ावा दिया। कश्मीर के अलावा आगरा, भदोही–मिर्जापुर, अमृतसर, ग्वालियर और जयपुर कालीन निर्माण के मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तरांचल के सीमावर्ती क्षेत्रों के भोटिए भी सुन्दर कालीनों का निर्माण करते हैं।

कश्मीर में रेशम और ऊन दोनों के आकर्षक कालीन बनाए जाते हैं। कालीनों की उत्कृष्टता का मापदंड प्रतिवर्ग इंच पर लगी गांठे होती हैं। कश्मीर में प्रतिवर्ग इंच 324 गांठों तक के कालीन बनाए जाते हैं। देश के अन्य क्षेत्रों में प्रतिवर्ग इंच 100 से 200 गांठें लगाई जाती हैं। बटिया कालीन इस्तेमाल के साथ–साथ अधिक चमकने लगते हैं। इस तरह के अठारहवीं शताब्दी में बने कालीन विश्व के कुछ संग्रहालयों में है। वर्ष 2001–2002 के दौरान देश से 1788 करोड़ रुपये के ऊनी और 172 करोड़ रुपये के रेशमी कालीन निर्यात किए गएं।

देश में प्राचीन काल से ऊनी चादरें बनाई जाती रही है। लगभग तीन सौ वर्ष पहले कश्मीर में शालों का निर्माण शुरू किया गया। वहां दो तरह के शाल बनाए जाते हैं, अमली और कानी। अमली का अर्थ है कढ़ाई किए हुए। पहले छोटी पहियां बुनी जाती हैं। फिर उन्हें सफाई से जोड़ दिया जाता है और उनमें कढ़ाई की जाती है। सबसे कीमती शाल पशमीना होते हैं। इनका ऊन जंगली तिब्बती बकरियों के पेट के भाग से प्राप्त किया जाता है। सबसे कठिन और सुंदर शाल जामवार होते है। इनमें पचास रंग तक इस्तेमाल किए जाते हैं।

कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तरांचल और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी शाल बनाए जाते हैं। हिमाचल क्षेत्र के शाल अपने ज्यामितिक डिजाइनों, कच्छ के शाल अपने रंगों की छटा, उत्तरांचल के शाल अपनी सादगी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के शाल अपनी रंग–बिरंगी रेखाओं के लिए प्रसिद्ध हैं।

देश के कुछ भागों में कुम्हार मिट्टी के कांच चढ़े, बिना कांच चढ़े अत्यन्त आकर्षक बर्तन, सजावटी सामान, गुलदान, कलश और अमृतवान आदि बनाते हैं। कुछ स्थानों पर इनमें रंग रोगन भी किया जाता है। अलवर में इतने पतले बर्तन बनाए जाते हैं कि उन्हें कागजी कहते हैं। बांकुड़ा का घोड़ा भारतीय हस्तशिल्प का प्रतीक बन गया है। वहां के कुम्हार कई पीढ़ियों से उसकी रचना कर रहे हैं। आजमगढ़, रत्नागगिरी और मदुरै में चिकने, काले और सफ़ेद बर्तन बनाए जाते हैं। कोटा, लखनऊ, जालंधर और रामपुर में रंगीन और चिमित बर्तन बनाए जाते हैं। जयपुर और खुर्जा की नीली पाटरी प्रसिद्ध है। बुरहानपुर की पाटरी कांच चढ़ी भूरे रंग की होती है। उसे पतली लाल रेखाओं से सजाया जाता है। बंगाल में लाल और काले रंग के विशाल कलश, इमर्तवान बनाए जाते है। दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों पर मिट्टी की कलात्मक मनोहारी मूर्तिया, बर्तन आदि बनाए जाते हैं। हैदराबाद और कर्नाटक में वीदरी का काम होता है।

मुरादाबाद में पीतल का काम होता है। तमिलनाडु में पीतल, कांसे की देव मूर्तियां बनाई जाती हैं। सहारनपुर और कर्नाटक लकड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में जयपुर स्पंगानेर और बागरू, उत्तर प्रदेश में फरूखाबाद, मथुरा और गुजरात के कुछ जिलों में कपड़ों में हाथ से छपाई की जाती है। लखनऊ का चिकन और रामपुर, भोपाल का क्रोशिए और कढ़ाई का काम प्रसिद्ध है।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड देश में हस्तशिल्प के विकास और पुरानी परम्परा को बनाए रखने के लिए हर संभव सहायता देता है। बोर्ड ने हस्तशिल्प के प्रशिक्षण, डिजाइन–विकास, प्रौद्योगिकी के उन्नयन, बिक्री और निर्यात बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। देश के सभी क्षेत्रों में बोर्ड के क्षेत्रीय डिजाइन और तकनीकी केंद्र है।

नौवीं योजना के दौरान देश से 41,470 करोड़ रुपये (रत्न आभूषण छोड़कर) की हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात किया गया। दसवीं योजना के दौरान 95,000 करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात का लक्ष्य है। ❑

(वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार)

समुद्र भी खाद्य एवं औषध का स्रोत बन कर उभरने लगे हैं

○ शिवेन्द्र कुमार पांडे

पृथ्वी में जीवित रहने के लिए पानी एवं भोजन की अनिवार्यता का महत्व समझने के कारण मानव समुदाय प्रारंभिक काल से ही समुद्रतटीय क्षेत्रों में निवास करता आया है। विश्व की दो–तिहाई जनसंख्या 50 किलोमीटर चौड़ी समुद्रतटीय पट्टी के भीतर निवास करती है। भारत में ही 33 करोड़ लोग एक 100 किलोमीटर चौड़े समुद्रतटीय क्षेत्र के भीतर जीवनयापन करते हैं। इसका कारण है कि समुद्रतटीय क्षेत्र जीवन के लिए आवश्यक पानी, भोजन, मनोरंजन, परिवहन एवं व्यापार के स्रोत रहे हैं।

हमारी पृथ्वी में तीन भौतिक क्षेत्र हैं– वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। पृथ्वी में पाए जाने वाले महासागर, समुद्र, नदी, झील, तालाब, हिम जमाव इत्यादि जल समूहों को संयुक्त रूप से जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल के भीतर सबसे अधिक पानी व्यापक रूप से फैले महासागरों में विद्यमान है – विश्व भर का 97 प्रतिशत या 361,150,000 वर्ग किलामीटर पानी। शेष बचा पानी झीलों, तालाबों, नदियों, हिम क्षेत्रों और धरती के अंतर में भू–जल भण्डार के रूप में मिलता है एवं इसका थोड़ा अंश वाष्प और बादल के रूप में वायुमंडल में व्याप्त रहता है। लेकिन विशाल विस्तार के कारण जलमंडल विश्व पर्यावरण रचना में मुख्य परिवाहक की भूमिका निभाता है।

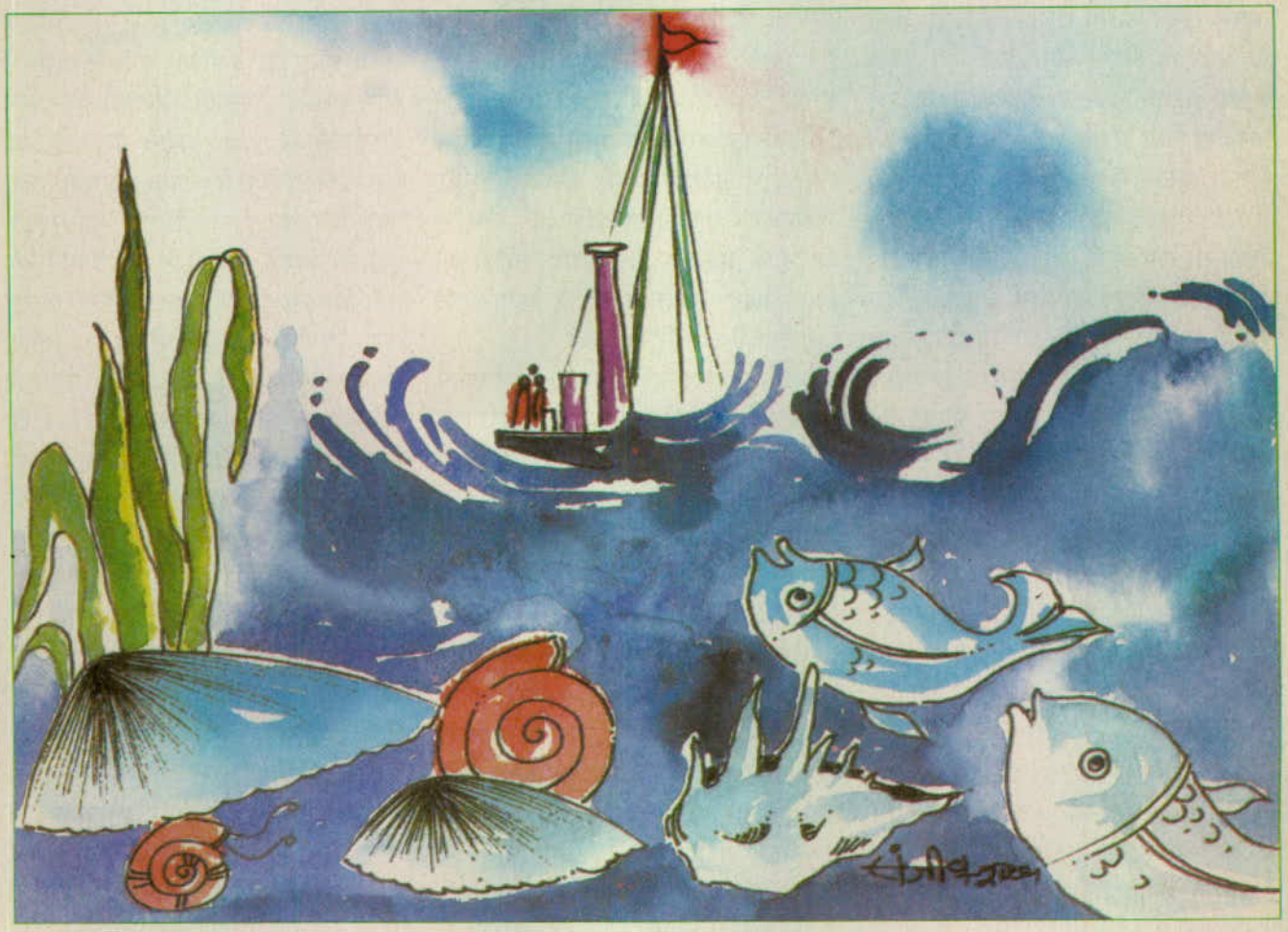

पृथ्वी में प्राकृतिक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के अलावा इस विशाल जल पिंड में प्राणी–जगत के सबसे अधिक जीव निवास करते हैं एवं इसमें खाद्य, औषधि, खनिज, ऊर्जा इत्यादि के भंडार भरे पड़े हैं। समुद्रतटीय क्षेत्रों को अपना निवास स्थान बनाने के पश्चात ही मानव को समुद्रों की इस क्षमता का ज्ञान होने लगा। जैसे–जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, उसने समुद्र के अंतर से अपने भोजन के लिए खाद्य पदार्थों को खोजना आरंभ किया एवं इस प्रक्रिया के फलस्वरुप साहसिक समुद्री यात्राओं की नींव पड़नी आरंभ हो गई।

हजारों वर्षों से मनुष्य, महासागरों का उपयोग नौकापरिवहन, मछली पकड़ने एवं नमक प्राप्त करने के लिए करता रहा है। समुद्र हमेशा से खाद्य पदार्थों का एक विशाल स्रोत रहा है और मानव ने इसका दोहन समुद्र तटीय क्षेत्रों में निवास करने के साथ ही आरंभ कर दिया था। प्रमुख समुद्री भोजन मछली को प्रोटीन का एक विश्वस्त तथा सस्ता स्रोत माना जाता है। समुद्री भोजन में पौधे एवं जंतु दोनों आते हैं, परंतु मछली का भोजन रूप में अत्यधिक सामान्य, लोकप्रिय तथा अधिक मांग है। आजकल प्रतिवर्ष लगभग 9 करोड़ टन समुद्री भोजन समुद्रों से निकाला जाता है। भारतीय समुद्रों से लगभग 2 करोड़ टन मछली प्रति वर्ष पकड़ी जाती है। इसके अलावा भारतीय समुद्रों से भोजन के रूप में समुद्री झींगा, केकड़े, भाम्बुक, डैम्स, शुक्ति इत्यादि जैसे कवच प्राणी भी पकड़े जाते हैं। लेकिन विश्व के अन्य भागों में समुद्री पानी से भोजन प्राप्त करने के लिए उल्लिखित जीवों के अलावा व्हेल एवं कई अन्य अपृष्ठवंशी जीवों का भी शिकार किया जाता है, जो स्थानीय उपलब्धता पर निर्भर करता है।

साधारणतः 'सी–फूड' का मतलब होता है मछली, झींगा (प्रॉन), समुद्री झींगा (लॉब्स्टॅ) आदि जिसमें शाकाहारियों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। लेकिन समुद्री शैवाल शाकाहारियों का आहार बन सकते हैं। समुद्री शैवाल हरे, लाल, भूरे एवं अन्य आकर्षित रंग के होते हैं और समुद्र तटों में पाए जाते हैं। इनका उपयोग पहले से ही टूथपेस्ट, आइसक्रीम, कान्तिवर्द्धक (कॉजमेट्इक) दवाओं, खाद्य आदि में हो रहा है। इसी प्रकार कुछ प्रमुख रसायन जिनका उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है, वे क्रमशः लाल तथा भूरे शैवालों से निष्कर्षित किए जाते हैं। औषध क्षेत्र में 'प्रस्टाग्लैन्डिन' एक ऐसा यौगिक है जिसमें जननक्षमता–रोधी गुण होते हैं एवं इसका निष्कर्षण एक प्रकार की लाल समुद्री शैवाल से किया जाता है। औषध और रसायन निष्कर्षण के अलावा समुद्री शैवाल का उपयोग चारे व उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा समुद्री पानी में औषध निर्माण के लिए कई अन्य समुद्री जीव पाए जाते हैं और इनमें शोध के साथ–साथ इनका उपयोग भी निरंतर बढ़ रहा है। लेकिन अब समुद्री शैवालों का उपयोग भोजन में सलाद, अचार, रसदार सब्जी, जेली–जाम, दलिया आदि के रूप में आरंभ हो चुका है और शायद भविष्य का प्रमुख खाद्य स्रोत बनने के कगार पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है।

वर्तमान में समुद्रों से भोजन प्राप्त करने की गतिविधियां मुख्यतः उसके सतही क्षेत्र के भीतर व कुछ निचली गहराई तक ही सीमित है। लेकिन कई पेलैजिक जीव, समुद्रों की गहराईयों में निवास करते हैं जिनका भोजन के रूप में उपयोग किया जा सकता है इन्हें पकड़ने के लिए नए–नए उपकरणों का विकास किया जा रहा है। पिछले तीन दशकों में किए गए समुद्री गवेषण से ज्ञात होता है कि हिन्द महासागर इस प्रकार के पेलैजिक जीवों का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है।

समुद्री शैवाल जैविक समुद्री संसाधन हैं एवं भारतीय समुद्र में लगभग 800 किस्म के समुद्री शैवाल पाए जाते हैं, जिनमें से केवल 60 किस्मों का उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया जा रहा है। वर्तमान में 'केल्प' जैसे कुछ विशाल प्रकार के शैवालों से अनआक्सीय अपघटन प्रौद्योगिकी अपना कर गैस उत्पादन के प्रयास भी आरंभ किए जा चुके हैं।

दूसरी ओर महासागरों में अतुल खनिज संपदा भरी पड़ी है। समुद्री जल में ही साठ रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन व्यापारिक स्तर पर इनमें से केवल छह को ही निकाला जा रहा है। चूंकि समुद्री जल में इन घुलनशील रसायनों का 85 प्रतिशत अंश सोडियम तथा क्लोरीन होता है, इसलिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि समुद्री पानी में सांद्रित नमक का निष्कर्षण मानव ने सबसे पहले आरंभ किया।

वैसे, महासागरों का सबसे बड़ा भंडार है – उसका पानी, जिसकी आज सर्वत्र कमी होती जा रही है। परन्तु समुद्री पानी खारा होता है, इसलिए उसे उपयोग में लाने के लिए उसका खारापन दूर करने के तकनीकी उपाय करने पड़ते हैं, जो एक खर्चीली विधि है। बावजूद इसके स्वच्छ पानी की छलांग लगती मांग (जनसंख्या वृद्धि के कारण, प्रत्येक 21 वर्ष में पानी की मांग विश्व में दुगनी हो जाती है) के कारण विश्व के कई देश प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर, समुद्री पानी को स्वच्छ पानी में परिवर्तित करने के गंभीर प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार के कई संयंत्र खाड़ी देशों, भारत के गुजरात तट और कई समुद्री जहाजों में कार्यरत है।

"भारतीय समुद्री उत्पाद निर्यात विकास अधिकरण" के अनुसार भारत से प्रतिवर्ष 4 से 5 लाख टन समुद्री उत्पादों (मछली, झींगा, केकड़ा, समुद्री झींगा) का निर्यात किया जा रहा है और इसकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन भारत सरकार ने समुद्री शैवालों के निर्यात को प्रतिबंधित सूची में रखा है, ताकि समुद्रीय–पारिस्थितिकी के शोषण पर नियंत्रण रखा

जा सके और इसके लिए एक विशिष्ट लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

महासागरों में घटने वाली क्रियाओं की सक्रियता पर समुद्रीय जल (एक स्थान विशेष में) के प्रकाश अवशोषण गुण प्रमुख भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सौर विकरण ही महासागरों को गर्मी प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। साफ पानी में प्रकाश की किरणें 100 मीटर से अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि समस्त प्रकाश इस ऊपरी पानी परत में विद्यमान निलंबित कणों व तैरते पदार्थों द्वारा अवशोषित हो जाता है। अब चूंकि सौर विकरण के प्रभाव में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विकासरत रहना पेड़–पौधों की अनिवार्यता है, इसी कारण तटीय क्षेत्र जैविक–समृद्धता में भरपूर होते हैं। अर्थात समुद्रतटीय क्षेत्रों में ही समृद्ध समुद्री शैवाल पाए जाते हैं।

शैवाल उपलब्धता की दृष्टि से भारत एक समृद्ध देश है, क्योंकि वह तीन दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ है और उसकी मुख्य भूमि (अंडमान–निकोबार व लक्ष्य द्वीपों को छोड़) की समुद्रतटीय–रेखा, पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से गुजरात, कोंकण, मलाबार घाट होते हुए कन्याकुमारी में ऊपर की ओर धूमती हुई कोरमण्डल और बंगाल के सुंदरवन पार करती हुई बांग्लादेश की सीमा से मिलने तक लगभग 5500 किलोमीटर लंबी है। फिर भारत की उष्णकाटिबंधी जलवायु तो जैविक समृद्धता का प्रमुख स्रोत है।

अमेरिका और यूरोपियन देशों में समुद्री–शैवाल की मांग दिन पर दिन बढ़ता देख, भारत में सक्रिय "पेप्सी कंपनी" ने शैवाल उत्पादन को व्यापारिक स्तर पर भुनाने के प्रयास आरंभ कर दिए हैं। तमिलनाडु सरकार ने पिछले दिनों इस कंपनी को 100 हेक्टेयर तटीय–क्षेत्र (पाक जलडमरूमध्य स्थित) में शैवाल खेती के साथ 1000 टन अर्द्ध–परिष्कृत उत्पाद प्रति वर्ष निर्यात की अनुमति प्रदान की है। इसके साथ–साथ पेप्सी ने अपने परीक्षण–नमूनों की प्रथम खेप निर्यात भी कर दी है, जिसे उसने भारतीय मॅरीन कैमिकल्स रिसर्च इंस्टिट्यूट, भावनगर के साथ मिलकर उपजाया था। वर्ष 2003–04 में पेप्सी ने 12,000 अमेरिकी डालर का युकेयुमा–कोकोनी किस्म की शैवाल उगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके माध्यम से 3000 टन कैरागीनन नामक अर्द्ध–परिष्कृत खाद्य जैल का निर्माण किया जा सकता है। इस खाद्य–जैल का उपयोग चाकलेटों, आइसक्रीम, पालतू जीवों के खाद्य, टूथपेस्ट आदि के निर्माण में किया जाता है और इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव 2000 अमेरिकी डालर प्रति टन है। पेप्सी ने इसके निर्माण के लिए अपने फार्म के समीप रामानन्द जिले में जमीन व मकान भी खरीद लिए हैं।

शैवालों की खेती, एक जनशक्ति उपयोग आधारित व्यापार है। पेप्सी के अनुसार, उनकी इस परियोजना में 24,000 लोगों को उत्पादन कार्य में लगाया जाएगा, मुख्यतः महिलाओं को, क्योंकि वे कृषि कार्य व शैवालों के यमलन (ट्विनिंग) में दक्ष होती हैं।

इस प्रकार के जनहित प्रस्ताव को कोई भी सरकार अनदेखा नहीं कर सकती है, क्योंकि इस प्रकार का व्यापार रोजगार के द्वार खोल देगा, जिसकी भारत में बहुत आवश्यकता है। परंतु प्रकृति द्वारा स्थापित एक अतिसंवेदनशील समुद्री तंत्र में, मात्र अल्पकालीन जनहित की भावना से प्रेरित हो, इस प्रकार के व्यवसाय को व्यापक स्तर पर अपनाना, भारत के लिए अभी बुद्धिमानी का कार्य नहीं होगा। पर्यावरण तंत्र में, कई घटकों का एक–दूसरे पर निर्भर होना स्पष्ट होता जा रहा है, लेकिन समुद्रों के विषय में अभी हमारा ज्ञान कम है एवं इसके लिए अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, पेप्सी के इस व्यावसायिक प्रयास से उत्पन्न, पर्यावरण–पर–प्रभाव की निरंतर जांच–पड़ताल करते रहना आवश्यक होगा, ताकि भविष्य में इस प्रकार के व्यावसायिक प्रस्तावों का अनुमोदन करने के पूर्व हम आश्वस्त रहें कि "पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखते हुए, इस व्यापार को बढ़ाया जा सकता है।" यही, समय की मांग है।

भारत के समुद्र तटों में प्रवाल–भित्ति (कोरल रीफ्स), कच्छीय वनस्पति, समुद्री घास, बालू तट, कीचड़ स्थल आदि जैसे कई संवेदनशील पारिस्थितिकीय तंत्र विद्यमान हैं, जो एक हरफन–मौला खिलाड़ी के समान अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। इन प्राकृतिक आवासों में संसार की सबसे चित्ताकर्षक न प्राणाधार समुद्री नर्सरियां पाई जाती हैं, चाहे वह मछली हो, या फिर गैस्ट्रोपोडा व क्रस्टेशिया क्यों न हो। फिर इन संवेदनशील तंत्रों की एक अन्य विशेषता है कि ये कई प्रकार के "सक्रिय जीवाणुओं" (ग्बाइऑएक्टिव मॉलिक्यूल) के परपोषी (होस्ट) भी होते हैं। हाल के वर्षों में "राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, गोवा" के अनुसंधानों से जानकारी मिलने लगी है कि ज्वारीय व अंतर्देशीय ज्वार प्रभावित क्षेत्रों से जीवधारियों को पकड़ने के क्रम में ये विशिष्ट गुणधारी सक्रिय जीवाणु शिकार के साथ भारी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। इन जीवाणुओं की विशेषता है कि इनका प्रत्यक्ष उपयोग मानव स्वास्थ्य संरक्षण के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। अलग–अलग पारिस्थितिकीय तंत्रों में विद्यमान व बदलते मौसम के साथ–साथ इन जैव–सक्रिय जीवाणुओं के उपयोगिता गुण भी एक समान नहीं होते हैं, अर्थात उनके गुण–मात्रा में अंतर पाया जाता है। इस दृष्टि से हमारे समुद्र–तटीय क्षेत्र आर्थिक रुप में एक अतिसमृद्ध व्यापारिक स्रोत हैं। फिर यहीं से हम तेल एवं प्रकृति गैस का उत्पादन भी कर रहे हैं और कई खनिज भंडार भी इस क्षेत्र में विद्यमान

होने की प्रामाणिक जानकारी से हम अवगत हैं। इन सब व्यापारिक गतिविधियों के कारण इस संकरे क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस संपूर्ण संवेदनशील पारिस्थितिकीय तंत्र (समुद्र तटीय क्षेत्र) को संरक्षण प्रदान करते हुए ही व्यापारिक कार्यों को गति प्रदान करना, बुद्धिमानी भरा कार्य होगा। अर्थात केवल एक–दो विशिष्ट प्राकृतिक तंत्रों (सुंदरवन, मनार की खाड़ी या ग्रेट निकोबार) को संरक्षण प्रदान करने से इस अभिष्ट की पूर्ति नहीं होगी।

फिर इन संवेदनशील पारिस्थितिकीय तंत्रों का विशिष्ट स्थलों में भौतिक रुप में विद्यमान होना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। समुद्रतटीय क्षेत्रों को विघटनकारी समुद्री लहरों की महाशक्ति से निरंतर जूझना पड़ता है, जिससे सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए प्रकृति ने इनकी एक नियोजित रूप में स्थापना की है। उष्णकटिबंधी समुद्र कई प्रकार की कोरल–खाड़ियों से भरे पड़े हैं, जो सबसे पहले इन लहरों के प्रभाव को तटीय क्षेत्र में कम करते हैं। इसके पश्चात बालू घाट, कीचड़ व कच्छीय वनस्पतियां लहरों का प्रभाव झेलते हुए, उसकी गति को कम कर अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। सुंदरवन जैसे विशाल वेट–लैण्ड प्रदेश स्वयं अपने–आप में पर्यावरण प्रदूषण को निम्न करने में समर्थ व असाधारण जैविक समृद्धता के स्रोत हैं (विश्व में सबसे अधिक बाघ यहीं पाए जाते हैं), जिसके लिए हमें कोई आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ता है।

इसलिए यह कहा जा सकता है कि हमारे समुद्री–तट, विश्व में सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकीय तंत्र के अंग हैं, जो अपने प्रभाव क्षेत्र के समुद्री–भूभाग को एक उपजाऊ क्षेत्र बनाते हुए, एक तट–रक्षक के समान कार्यरत हैं व अपनी कार्यकुशलता से अंतर्देशीय सूखा रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

भारत ने वर्ष 2001–02 के दौरान 424470 टन समुद्री–आहार का निर्यात, विश्व के 70 देशों को किया था जिसका कुल मूल्य था 5957.05 करोड़ रुपये (1253.35 मिलियन अमेरिकी डालर)। अब ये समुद्री उत्पाद, भारत में एक प्रमुख निर्यात बन कर उभर चुके हैं। 10वीं योजना में भारत से समुद्री आहार निर्यात का लक्ष्य है 2 बिलियन अमेरिकी डालर की सीमा पार करना।

इस प्रकार के उभरते हुए लुभावने आर्थिक परिदृश्य में भारत को सावधानी बरतनी होगी, कि इस संवेदनशील समुद्री तंत्र का प्राकृतिक पर्यावरण यथावत स्थापित रहे, ताकि हमें उसका आर्थिक दोहन निरंतर करते रहने का सुयोग विद्यमान रहे, क्योंकि ये मुख्यतः अक्षय स्रोत हैं। इसी में भारत का कल्याण निहित है। ❑

(लेखक कोल इंडिया लिमिटेड के सेवानिवृत मुख्य महाप्रबंधक(गवेषण) एक भूवैज्ञानिक हैं।)

GEOGRAPHY
by MAJID HUSAIN
"एक स्थापित लेखक और शिक्षण का 43 वर्षों से अधिक का अनुभव"
एक नाम जिसे परिचय की जरूरत नहीं
प्रथम बैच में 6th Topper (2002)
BATCHES : 8th JUNE, 2004 (Eng./हिन्दी)

GEN. STUDIES
by RAMESH SINGH
"सामान्य अध्ययन को सहज करके पढ़ानेवाला भारत का अकेला नाम"
▸ केवल Class सुनें, G.S. तैयार
▸ Flexi-module की व्यवस्था
BATCHES :
14th JUNE, 2004 (Eng./हिन्दी)

INDIAN ECONOMY
COMPETITIVE ECONOMY
by RAMESH SINGH
(Delhi School of Economics)
"दिल्ली और दिल्ली के बाहर सबसे लोकप्रिय और सबसे विश्वासी नाम जो किसी को भी Economy समझना सिखला सकता है! किसी को भी!"
Useful for :
IAS, PCS, P.O., MBA, SSC, Railways, etc.
"Economy यहां clear नहीं तो भारत में कहीं भी संभव नहीं"- Students
BATCHES : 14th Jan./9th Feb./5th March/29th March/22nd April
– 20 Classes/60 Hrs. six days a week
– Very affordable Fees.

CIVILS INDIA
An Institute For IAS
A/12-13, 202-203, ANSAL BUILDING, BEHIND BATRA CINEMA, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009
Ph.: 27652921, 27651344, 9810553368, 9818244224

बर्ड फ्लू बना नई आपदा

○ संजय वर्मा

बर्ड फ्लू वायरस की अभी तक कोई प्रभावी रोकथाम नहीं हो पाई है और इससे बचाव का टीका बनने में भी छह माह का समय और लगने की संभावना है, इसलिए अभी तक तो इससे बचाव का एकमात्र उपाय यही है कि इस विषाणु से संक्रमित पक्षियों को जलाकर मार दिया जाए। अनुमान है कि इस बार लगभग 50 लाख से एक करोड़ मुर्गे बर्ड फ्लू की आशंका में मार दिए गए। मुर्गों को मारने से वायरस के प्रसार पर कुछ अंकुश जरूर लगा, लेकिन इसका थाईलैंड समेत अनेक एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा।

यह मानव सभ्यता ही है कि पृथ्वी पर उसे इतनी अनुकूल स्थितियां मिलीं कि यहां पर न सिर्फ जीवन पनपा, बल्कि इस जीवन को बरकरार रखने के लिए प्रकृति ने अनेक तरह से संसाधन भी जुटा दिए। इसके बाद भी अनेक आपदाएं और प्रकृति व स्वयं मनुष्यजनित समस्याएं व रोग ऐसे हैं, जो हमारी सभ्यता के सामने जब–तब बड़े संकट के रूप में सामने आ ही जाते हैं। यदि हम रोगों का ही जिक्र करें, तो सर्दी–जुकाम–बुखार के अलावा एड्स, मैड काऊ, सार्स और अब बर्ड फ्लू ने मानव समुदाय के सामने इतनी बड़ी चुनौतियां पेश की हैं कि उनसे छुटकारा पाना आसान नहीं लगता है। हाल में एशिया के बड़े भूभाग पर फैली और शेष दुनिया को भीषण चिंता में डाल दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि बर्ड फ्लू भी पिछले साल दुनिया भर में फैले सार्स की तरह नियंत्रण से बाहर हो जाएगा और न सिर्फ कीमती जानें लील लेगा, बल्कि तमाम अर्थव्यवस्थाओं को चौपट कर देगा। हालांकि बर्ड फ्लू एशिया के ही करीब 10 देशों में फैला और शेष विश्व को इसके प्रति अलर्ट करके आपदा को थामने के उपाय किए गए, लेकिन इसका व्यापक असर हुआ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बर्ड फ्लू पक्षियों को होने वाला एक विशेष किस्म का इन्फ्लूएंजा है। इसे 'एवियन इन्फ्लूएंजा' भी कहा जाता है

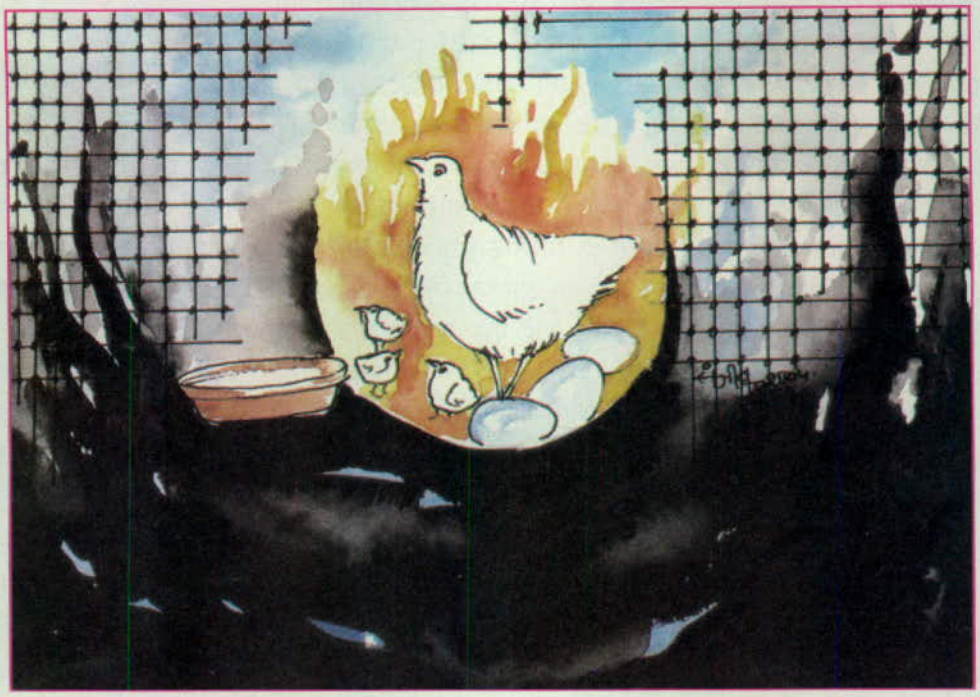

और हाल में इसका संक्रमण 'एच 5 एन 1' नामक वायरस (विषाणु) के कारण विशेष रूप से मुर्गों में फैला। इसे पक्षियों को होने वाला सर्दी–जुकाम–बुखार कहा जा सकता है, लेकिन इसका काफी तीक्ष्ण प्रभाव होता है और इसकी गिरफ्त में आने पर अधिकांश पक्षियों की 24 घंटे के अंदर मौत हो जाती है। माइग्रेट (प्रवास) करने वाले जलीय पक्षियों से लेकर गंदे बाड़ों में पलने वाले मुर्गों, बत्तखों और सूअरों में भी इसका वायरस संक्रमण फैलाता है।

सूअरों में पक्षी प्रजाति और स्तनपाई जीवों की मिश्रित रक्त वाहिकाएं होती हैं, इसलिए उन पर यह वायरस हमला कर सकता है। चूंकि कुछ मनुष्यों में भी मिश्रित वाहिकाएं होती है, इसलिए यह वायरस उन्हें भी अपनी चपेट में ले लेता है। यह वायरस तेजी से अपना स्वरुप बदलने में माहिर है और अपने से भिन्न जेनेटिक संरचनाओं के अनुकूल बनाने में सक्षम है, इसलिए यह मानव समुदाय के सामने बड़ा संकट खड़ा कर रहा है।

एक जीव प्रजाति से दूसरी जीव प्रजाति पर किसी वायरस की यह छलांग विज्ञान के नजरिए से 'एंटीजेनिक' कहलाती है और यह मानवों के लिए इसीलिए आपदाकारी मानी जाती है, क्योंकि इस विषाणु के क्रिया–कलाप और मानवों पर इसके असर को पढ़ पाना आसान नहीं होता। इसका वायरस मृत पक्षियों में भी 10 दिनों तक जीवित और सक्रिय रहता है और यदि मुर्गे आदि संरक्षित करके डीप फ्रीज किए गए हैं, तो यह वायरस कई साल सक्रिय रहता है।

नाक और गले के रास्ते शरीर में प्रवेश करने वाला हेमेग्गुटिनिन (एच5) और न्यूरामिनिडेस (एन1) वायरस पक्षियों की कोशिकाओं और प्रतिरोधी शक्ति को नष्ट कर डालता है और इसकी रोकथाम कर पाना फिलहाल संभव नहीं है। इसी तरह बर्ड फ्लू फैलाने वाला एक अन्य वायरस–एच7एन7 है, जो वर्ष 2003 में नीदरलैंड के पक्षियों में फैला था। प्रवासी पक्षी भी बर्ड फ्लू वायरस से ग्रसित हो जाते हैं। हांगकांग में वर्ष 2002 में अनेक स्थानों पर मरे पाए गए जलीय पक्षियों में एच5एन1 वायरस पाए जाने से इसकी पुष्टि होती है।

चपेट में इंसानः यह सही है कि बर्ड फ्लू पक्षियों की बीमारी है, लेकिन एड्स से लेकर सार्स तक के रोगों ने साबित किया है कि पशु–पक्षियों से संपर्क के चलते मनुष्य उन्हें होने वाली बीमारियों से बच नहीं सकता। बर्ड फ्लू के बारे में भी यही तथ्य लागू होता है। जो मानव बस्तियों पशुओं के बाड़े और पोल्ट्री फार्मों के नजदीक स्थित हैं, उन बस्तियों में हमेशा पशु–पक्षियों के रोग फैलने की आशंका रहती है।

इसके अलावा मांसाहार की प्रवृत्ति भी मनुष्यों को दूसरी जीव प्रजातियों के रोग देती है। बर्ड फ्लू के बारे में आशंका यह है कि जबसे इंसान ने मुर्गे का मांस खाना शुरू किया है, तबसे वह इस किस्म के फ्लू की चपेट में आता रहा होगा, लेकिन स्थानीय स्तर पर हुई कुछ मौतों के कारण कभी मामला गंभीर नहीं समझा गया। अब भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण के दौर में जब दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक न सिर्फ व्यापार का विस्तार हुआ है, बल्कि खाद्य सामग्रियों का आयात–निर्यात हो रहा है, तो ऐसे में बर्ड फ्लू के भी फैलने की संभावना पैदा होती ही है। अनुमान है कि इस बार चीन और थाईलैंड में मुर्गों का बर्ड फ्लू हुआ था, पर चूंकि इन संक्रमित मुर्गों को अन्य एशियाई देशों में निर्यात किया गया, तो बर्ड फ्लू दूसरे देशों में भी जा पहुंचा।

बर्ड फ्लू अपने–आप में इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब इसका वायरस मनुष्यों तक जा पहुंचता है और फिर इस वायरस के इंसान से इंसान में फैलने की संभावना बनती है, तो मामला जटिल हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस बार कुछ ऐसा ही हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) के मुताबिक वियतनाम के थाई बिंच नामक प्रांत में 23 और 30 वर्ष की जिन दो महिलाओं की 23 जनवरी को बर्ड फ्लू से मौत हुई, उन्हें बर्ड फ्लू का वायरस मुर्गे से नहीं, बल्कि बर्ड फ्लू से प्रभावित अपने भाई से मिला, जिसे इस वायरस ने मुर्गे के कारण चपेट में लिया था। बर्ड फ्लू के इतिहास में डब्ल्युएचओ इसे पहला ऐसा मामला बताया, जो मानव से मानव में बर्ड फ्लू के प्रसार के कारण संभव हो पाया।

इससे समस्या के उतने ही गंभीर हो जाने की आशंका है, जितनी कि 2003 में सार्स के कारण दुनिया संकट में पड़ी थी। सार्स की चपेट में आने से दुनिया भर में 30 देशों के 800 से ज्यादा लोग मारे गए थे। चूंकि अभी तक बर्ड फ्लू की रोकथाम करने वाला कोई टीका भी नहीं बन पाया है, इसलिए कह सकते हैं कि यदि बर्ड फ्लू से बचाव के उपाय नहीं किए गए, तो यह त्रासदी कभी भी बड़ा रूप धर सकती है।

कौन है जिम्मेदारः ग्लोबल गांव में तब्दील होती दुनिया में यह तय करना वास्तव में बहुत मुश्किल है कि सार्स और बर्ड फ्लू जैसे रोगों का प्रसार किसकी गलती या लापरवाही के कारण हुआ। फिर भी अनुमान यह लगाया जाता है कि बर्ड फ्लू के लिए वही चीन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जहां से पिछले साल सार्स के विषाणु पूरी दुनिया में फैले थे।

हालांकि चीन ने इस आरोप से यह कहकर इंकार किया कि उसके देश में बर्ड फ्लू नहीं, कोरोना वायरस फैला है। इसके बाद सबसे ज्यादा शक थाईलैंड

पर किया गया, जिसके 76 प्रांतों में से 31 में यह निश्चित रूप से फैला था और इससे निपटने हेतु वहां लाखों मुर्गों को मारने के लिए सेना तक बुला ली गई।

यूं तो थाईलैंड ने भी पहले वहां के मुर्गों में चिकेन कालरा और ब्रोंकाइटिस की बीमारी होने की बात कही, लेकिन बाद में जनवरी के अंतिम सप्ताह में बैंकाक में हुई तीन दिवसीय बैठक में थाई सरकार के प्रधानमंत्री थाकशिन थिनवार्था ने यह स्वीकार कर लिया कि उनकी सरकार सही वायरस का पता लगाने में और उसकी रोकथाम करने में असफल रही। चूंकि थाईलैंड सरकार ने समस्या की गंभीरता को नहीं समझा और थाईलैंड से हजारों टन मुर्गों का जापान और यूरोप सहित विभिन्न देशों को निर्बाध रूप से निर्यात होता रहा, इससे यह बीमारी चीन, थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया, ताइवान, इंडोनेशिया, पकिस्तान, लाओस, वियतनाम समेत एशिया के कुल 10 देशों में फैल गई।

जब 27 जनवरी को इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलर्ट जारी किया और लोगों से एशियाई देशों की यात्रा स्थगित करने को कहा, तब तक करीब 12 लोगों की बर्ड फ्लू से मौत हो चुकी थी और सैकड़ों इसके संक्रमण से जूझ रहे थे। इस बीमारी के फैलने की एक वजह मांसाहार तो है, लेकिन यह वायरस दिसंबर, 2003 से लेकर जनवरी, 04 में ही ज्यादा क्यों फैला, इसके लिए उन चीनी त्योहारों को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिनमें मुर्गे का मांस खाए जाने की परंपरा है।

हर साल 22 दिसंबर को चीनी लोग थैंक्स गिविंग पर्व मनाते हैं, उसमें भी मुर्गे का भोजन अनिवार्य माना जाता है। इसके अलावा यह साल चीन में 'बंदर वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके उल्लास में लोगों ने जमकर मुर्गे खाए। चूंकि मांग पूरी करने के लिए ज्यादातर मुर्गे थाईलैंड से मंगाए गए थे, इसलिए बर्ड फ्लू का वायरस एशिया के अनेक देशों में आनन–फानन में फैल गया।

मर्ज है पुराना: बात चाहे सार्स की हो या फिर बर्ड फ्लू की, कहा जा सकता है कि ये सभी बीमारियां सदियों पुरानी हो सकती हैं। चूंकि पहले अधुनातन तकनीक और चिकित्सा के उचित साधनों का अभाव था, इसलिए यह पता नहीं चल पाता था कि मनुष्यों को किस बीमारी ने अपनी चपेट में लिया है। सामान्य किस्म का इन्फ्लूएंजा भी सदियों से इंसान को हैरान–परेशान करता रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मत है कि बर्ड फ्लू का अतीत सौ साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। सौ वर्ष पूर्व इटली में बर्ड फ्लू के ही फैलने की बात कही जाती है, हालांकि इससे संबंधित आंकड़ें नहीं मिलते हैं। अलबत्ता कुछ दूसरे किस्म के फ्लू मानव समुदाय के लिए बड़ा संकट रहे हैं, यह 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू से साबित होता है। स्पेनिश फ्लू से रोगग्रस्त होकर दुनिया भर में लगभग दो करोड़ लोगों के मारे जाने को अनुमान लगाया गया था।

बताते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेकर जब दुनिया भर के सैनिक स्वदेश लौटे, तो इस फ्लू के विषाणु उनके साथ समूचे विश्व में फैल गए। इस घटना के करीब 40 साल बाद 1957 में एशियाई फ्लू का प्रकोप हुआ, जिसमें 98 हजार लोगों के मारे जाने का अनुमान लगाया गया।

हांगकांग में 1997 में तो बर्ड फ्लू ही फैला था और छह लोग ही इसकी चपेट में आने से मारे गए थे, लेकिन 1968 में यहां जो फ्लू फैला, उसे 'हांगकांग फ्लू' कहा गया और इसके कारण 46 हजार लोगों के मारे जाने की बात कही जाती है।

मरे मुर्गे, चौपट अर्थव्यवस्था: चूंकि बर्ड फ्लू वायरस की अभी तक कोई प्रभावी रोकथाम नहीं हो पाई है और इससे बचाव का टीका बनने में भी छह माह का समय और लगने की संभावना है, इसलिए अभी तक तो इससे बचाव का एकमात्र उपाय यही है कि इस विषाणु से संक्रमित पक्षियों को जलाकर मार दिया जाए।

शायद यही वजह है कि 1997 में हांगकांग में जहां 15 लाख मुर्गे जलाने पड़े थे, वहीं इस बार थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और भारत में भी असंख्य मुर्गों को जलाकर समाप्त करना पड़ा। अनुमान है कि इस बार लगभग 50 लाख से एक करोड़ मुर्गे बर्ड फ्लू की आशंका में मार दिए गए।

मुर्गों को मारने से वायरस के प्रसार पर कुछ अंकुश जरुर लगा, लेकिन इसका थाईलैंड समेत अनेक एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। दुनिया में मुर्गी उत्पादों के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा उत्पादक थाईलैंड तो पिछले साल तक हर साल 50 हजार टन मुर्गे निर्यात करके 1.3 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा कमाता रहा है, लेकिन इस बार वहां का मुर्गी पालन उद्योग चौपट हो गया।

बर्ड फ्लू के वायरस से बचने के लिए पश्चिमी देशों ने एशिया से मुर्गों का आयात बंद कर दिया है और वे अपनी जरूरत के लिए फिलहाल अमेरिकी मुर्गों पर निर्भर हो गए हैं, इससे एशिया की ग्रामीण अर्थव्यवस्था खासी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा चूंकि पूरी दुनिया में यात्रा संबंधी अलर्ट जारी कर दिया गया, इस कारण वह एयरलांइस उद्योग एक बार फिर संकट में पड़ सकता है, जो सार्स के कारण भारी मंदी का हाल ही में सामना कर चुका है। ❑

(लेखक नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली में कार्यरत हैं।)

इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस

○ माधव भास्कर जोशी

विश्व के अर्थशास्त्रियों ने अब इस बात को मान लिया है कि सूचना प्रौद्योगिकी किसी भी देश के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वे इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि इस तकनीक का उपयोग कर आम आदमी के जीवन स्तर को आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में और भी बेहतर बनाया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का उद्देश्य है सरकार द्वारा दी जा रही जन सेवाओं एवं सुविधाओं को आम नागरिक तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा पहुंचाना।

उदाहरणार्थ :

1. सरकारी सुविधाओं और योजनाओं की उपयोगिताओं के बारे में जनसाधारण को अवगत कराना।
2. सरकारी कामकाज को पारदर्शी बनाना।
3. सरकारी सुविधाओं को सुव्यवस्थित रूप में दक्षता के साथ आम नागरिक तक पहुंचाना।
4. दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा जुड़ना
5. सरकारी पद्धतियों एवं कामकाज में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी को समूल नष्ट करना।

इस नवीन इलेक्ट्रॉनिक पद्धति को अपनाने से सरकारी सेवाएं अधिक कार्यक्षम बनेंगी। इस दृष्टि से सूचना प्रौद्योगिकी के सरकारी कामकाज में उपयोग से तकनीकी रूप में उसकी सेवाएं और अधिक सुदृढ़ बनकर आम जनता तक पहुंच सकेंगी। आज जबकि हर व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी सिर्फ पलभर में इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकता है तो वह यह भी चाहेगा कि जिस देश में वह रह रहा है वहां के प्रशासन एवं सरकारी तंत्र की जानकारी भी उसे इसी तरह आसानी से मिले, इसके साथ ही सूचना तकनीकी के इस्तेमाल से सरकार को भी अपनी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने एवं उनका क्रियान्वयन करने में आसानी होगी। इन सब बातों को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए सरकारी कार्य योजनाओं को सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से आम नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास शुरू किया गया है।

इस नई तकनीकी की विशेषता यह है कि सूचना के सभी माध्यम अब आम नागरिकों तक पहुंच सकते हैं। साथ ही कागजी कार्यवाही एवं पत्र–व्यवहार की मद में जो खर्च होता है उसे भी बचाया जा सकता है, जिससे अंततः सरकारी कोष पर भार हल्का करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही सरकार एवं आम नागरिक के बीच सीधा संवाद भी स्थापित हो सकेगा।

'टच स्क्रीन कियोस्क' जहां किसान अपनी भूमि संबंधी जानकारी बिना किसी की सहायता से प्राप्त कर सकता है।

ई–गवर्नेंस – आज की जरूरत

विश्व के अर्थशास्त्रियों ने अब इस बात को मान लिया है कि सूचना प्रौद्योगिकी किसी भी देश के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वे इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि इस तकनीक का उपयोग कर आम आदमी के जीवन स्तर को आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में और भी बेहतर बनाया जा सकता है। यही कारण है कि आज सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सभी संगठन, चाहे वे सरकारी हों या गैर–सरकारी, भरपूर निवेश कर रहे हैं। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को समय पर समझा है एवं शिक्षा, उद्योग तथा सरकार के कामकाज में तेजी से अपनाया जा रहा है। ई–गवर्नेंस के उपयोग से निम्नलिखित लाभ मिलते है :

- सरकारी कामकाज में बेहतर पारदर्शिता।
- सूचनाओं को बेहतर एवं जल्दी पहुंचाया जा सकता है।
- सरकार की कार्यकुशलता एवं दक्षता बढ़ती है।
- सरकारी कार्यों जैसे – परिवहन, ऊर्जा,

स्वास्थ्य, पानी, सुरक्षा एवं नागरिक जरूरतों के अन्य कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन संभव होता है।

ई–गवर्नेंस के लाभ को समझने के लिए ये जरूरी है कि पहले हम पुरानी पद्धति, जो कागजी कार्यवाही के रूप में की जाती थी, उसकी कमियों को जान लें। यह सर्वविदित है कि कागजी कार्यवाही में आम आदमी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ बिंदुओं को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं :

नागरिकों की समस्याएं

1. नागरिकों के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं होती कि किस अधिकारी को कब, कैसे मिला जाए। इसके साथ ही सरकारी कामों एवं तौर–तरीकों की हर नागरिक को जानकारी भी नहीं होती और न ही कोई सहायता इस बाबत उपलब्ध होती है।
2. अधिकारियों से मिलने में काफी परेशानियां एवं समय की बर्बादी भी होती है।
3. समय पर कार्यों का निष्पादन न होना न ही जवाबदेही होना। समय पर ठोस निर्णयों का न लिया जाना साथ ही सरकारी विभागों में आपस में सामंजस्य न होना भी जनता की मुसीबत बढ़ाता है।
4. पारदर्शिता के अभाव के कारण दलालों, बिचौलियों के माध्यम से नागरिकों को गुमराह किया जाता है जो अंततः भ्रष्टाचार के रूप में परिणत होता है।

सरकारी कर्मचारियों की समस्याएं

- जानकारी ढूंढ़ना मुश्किल होता है। विभिन्न सरकारी दस्तावेजों को ढूंढ़ने एवं मिलान करने में खासी परेशानी होती है।
- बड़ी संख्या में सरकारी दस्तावेजों को संभाल कर रखना एवं समय पर उसे उपलब्ध करना कठिन हो जाता है।
- जानकारियों को संबधित व्यक्तियों तक पहुंचाना भी मुश्किल होता है।
- विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य न होने के कारण कई काम अधूरे रह जाते हैं।
- सरकारी तंत्र एवं तौर–तरीकों में लाल फीताशाही के कारण आमतौर पर बहुत समय लग जाता है इस वजह से कई कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाते।

ई–गवर्नेंस की उपयोगिता

ई–गवर्नेंस के द्वारा उपर्युक्त समस्याओं को बखूबी सुलझाया जा सकता है। ई–गवर्नेंस में सर्वप्रथम यह प्रयास किया जाता है कि विभिन्न सरकारी विभागों एवं कार्यालयों को इंटरनेट के जरिए एक–दूसरे से जोड़ा जाए। इसके लिए यह जरूरी है कि सभी कार्यालय को कंप्यूटर का उपयोग कर उन्हें आपस में जोड़कर एक नेटवर्क बनाया जाए। आम नागरिक इस नेटवर्क से सुचारू रूप से जुड़ सके, इसके लिए विभिन्न जगहों पर कंप्यूटरों का प्रबंध किया जाना चाहिए। वेबसाईट के माध्यम से आम नागरिक तक सभी जरूरी सूचनाओं को उपलब्ध करवाया जा सकता है। वेबसाईट एक सर्वोत्तम माध्यम है क्योंकि इसके द्वारा किसी भी कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट से जुड़कर ई–गवर्नेंस का फायदा लिया जा सके।

ई–गवर्नेंस के लाभ

सूचनाओं का एकत्रीकरण : ई–गवर्नेंस के द्वारा सभी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक पटल पर किसी एक जगह रखा जा सकता है और जब भी जरूरत पड़े वहां से उसे लिया जा सकता है। एक साथ कई जगह इन सूचनाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।

कहीं भी–कभी भी : कम्प्यूटर में दर्ज सूचनाओं को एक साथ कई जगह सभी संबंधित व्यक्तियों के द्वारा देखा जा सकता है। इस कारण समय की बहुत बचत होती है।

कार्यों के निष्पादन में तेजी : चूंकि दस्तावेज कहीं भी–कभी भी एक साथ देखे जा सकते हैं इसलिए कार्यों का निष्पादन जल्दी संभव हो पाता है। अभी तक दस्तावेजों को विभिन्न जगह पहुंचाने में काफी समय लग जाता था। जिसकी वजह से निर्णय में देरी होती थी और साथ ही संबंधित व्यक्ति को उचित समय पर उसका लाभ नहीं मिल पाता था।

योजना का बेहतर क्रियान्वयन : विभिन्न योजनाओं को ई–गवर्नेंस के माध्यम से एक समन्वित रूप में देख सकने के कारण भविष्य के लिए अच्छी योजनाओं को बनाया जा सकता है। साथ ही चालू योजनाओं को भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है।

दस्तावेजों का रख–रखाव : कागजी रिकार्ड में अपनी कई दिक्कतें होती है जैसे कागज का गल जाना खराब होना, खो जाना, चोरी अथवा स्याही की छाप मिटने की संभावनाएं होती है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में दस्तावेजों को रखने पर दस्तावेज सुरक्षित रहते हैं। इसलिए कागजी कामकाज की जगह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है।

कठिनाइयां

सुविधाओं का अभाव : सभी जगह इस तरह से नेटवर्क अभी तक तैयार नहीं किए जा सकें है। कंप्यूटर जैसे साधनों की उपलब्धता कम है इस कारण आम नागरिक अभी तक इस योजना से पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाए हैं विभिन्न विभागों से सूचनाओं का एकत्रीकरण भी एक कठिन कार्य है।

सूचनाओं की सही उपलब्धता : किसी विषय पर समग्र जानकारी एवं सूचना को एक जगह उपलब्ध कराने में समय और साधन दोनों की जरूरत होती है यह एक कठिन कार्य है इस कारण वर्तमान में कई बार दोनों तरह से यानी कागजी एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का सहारा लेना होता है।

खुफिया जानकारी के गलत इस्तेमाल की संभावना : अगर सही सुरक्षा तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया गया तो कई बार जानकारी गलत जगह पर पहुंच सकती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि गोपनीय सामग्री और दस्तावेजों को सुरक्षा तकनीकों जैसा कि पासवर्ड इत्यादि के द्वारा सुरक्षित रखा जाए। ❑

(लेखक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सोसाइटी में परामर्शदाता के रूप में कार्यरत हैं।)

IAS

द हिस्टोरिका

PCS

सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित संस्थान

कक्षा कार्यक्रम

इतिहास एवं सामान्य-अध्ययन

रमेश चन्द्रा के मार्गदर्शन में

मुख्य विशेषतायें

मुख्य परीक्षा

- ✦ चार महीने का विस्तृत कार्यक्रम ।
- ✦ प्रत्येक टॉपिक पर व्याख्यान ।
- ✦ टॉपिक से संबंधित संभावित प्रश्नों का उत्तर-प्रारुप एवं उत्तर लेखन ।
- ✦ उत्तर-लेखन पर विशेष बल; अतिरिक्त कक्षायें ।
- ✦ प्रत्येक विषय पर विगत वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण ।

प्रारम्भिक परीक्षा

- ✦ निश्चित सफलता के लिए 'नवीन', 'निर्णायक', 'मौलिक' एवं प्रामाणिक तकनीक।
- ✦ पाठ्यक्रम के प्रत्येक टॉपिक पर व्याख्यान, विस्तृत बिन्दुवार कम्प्यूटराईज्ड नोट्स।
- ✦ प्रत्येक टॉपिक के समापन के पश्चात् प्रारम्भिक परीक्षा पैटर्न पर टेस्ट।
- ✦ परीक्षा के एक माह पूर्व आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की तरह 5 छद्म-परीक्षाओं का आयोजन।

प्रारम्भिक परीक्षा मूल्यांकन टेस्ट सीरीज

नामांकन प्रारंभ
सीमित स्थान

तिथि - 16, 17, 18, 19 एवं 20 अप्रैल
फीस - 500 रू0 मात्र (100 रू० प्रति प्रश्नपत्र)
नोट - उपर्युक्त टेस्ट सीरीज सामान्य अध्ययन एवं इतिहास विषय में उपलब्ध है।

✦ प्रत्येक दिन छद्म-परीक्षा से पहले दो घंटे व्याख्यान जिसमें प्रारम्भिक परीक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा की जायेगी

पत्राचार कार्यक्रम- कार्यक्रम का संयोजन दूर स्थित विद्यार्थियों एवं क्लास-कोचिंग लेने में असमर्थ विद्यार्थियों को दृष्टि में रखकर तैयार किया गया है।

फीस - प्रारम्भिक परीक्षा - 2000/- रू० मात्र मुख्य परीक्षा - 2500/- रू० मात्र

नोट : पत्राचार कार्यक्रम हेतु दिल्ली में भुगतान हेतु बैंक ड्रॉफ्ट रमेश चन्द्रा के नाम भेजें

2063(BASEMENT), OUTRAM LINES, KINGSWAY CAMP, DELHI- 9 TEL.: (011) 55153204 CELL : 9818391120

15 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस पर विशेष

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 : मील का पत्थर

○ जी.सी. सुराना

उपभोक्ता को बाजार का राजा कहा गया है। इस राजा की दयनीय स्थिति जग जाहिर है। उसका एक नहीं नाना प्रकार से शोषण हो रहा है। कभी माल या सेवा की घटिया किस्म के कारण तो कभी कम माप–तौल के कारण, कभी नकली वस्तुएं उपलब्ध होने के कारण, कभी माल की काला बाजारी या जमाखोरी के कारण तो कभी आवश्यकतानुसार समय पर माल उपलब्ध नहीं होने के कारण तो कभी स्तरहीन विज्ञापनों के कारण तो कभी आकर्षक विक्रय संवर्धन योजनाओं के कारण, उपभोक्तावादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता के हितों की अनदेखी की जा रही है।

सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए समय–समय पर अनेक अधिनियम पारित किए हैं। इन अधिनियमों में इंडियन पैनल कोड 1860 : इंडियन कन्ट्रेक्ट एक्ट, 1872 : सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 1930 : अनिष्टकर मादक वस्तु अधिनियम, 1930 : कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण एवं विपणन) अधिनियम, 1937 : ड्रग एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 : ड्रग (नियंत्रण) अधिनियम 1950 : सम्प्रीतक तथा नाम का अनुचित प्रयोग अधिनियम, 1950 : औद्योगिक (विकास एवं विनिमय) अधिनियम, 1951 : भारत मानक अधिनियम, 1952 : खाद्य अपमिश्रण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1954 : वाट एवं माप–तौल अधिनियम, 1956 : एम.आर. टी.पी. अधिनियम, 1969 : वाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) अधिनियम, 1977 : काला बाजार नियंत्रण अधिनियम, 1980 : वाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 : भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 आदि उल्लेखनीय है।

दिसंबर 1986 में भारत सरकार ने अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया आदि देशों में प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमों एवं व्यवस्थाओं का गहराई से अध्ययन करने के पश्चात् एक वृहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 बनाया। इन अधिनियम में सन् 1991, 1993 एवं 2002 में संशोधन किए गए। यह अधिनियम उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन, उपभोक्ता परिषदों की स्थापना के लिए व्यवस्था, उपभोक्ताओं के विवादों एवं उनसे संबंधित मामलों के निपटारे के लिए व्यवस्था, उपभोक्ता विवादों का सरलता एवं शीघ्रता से निपटारा करने आदि विभिन्न उद्धेश्यों की पूर्ति के लिए लागू किया गया है।

उपभोक्ता कौन है

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार एक व्यक्ति माल एवं सेवा दोनों का उपभोक्ता हो सकता है।

उपभोक्ता के अधिकार

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। उपभोक्ता निम्न 'सुपर सिक्स' अधिकारों द्वारा अपने हितों की रक्षा कर सकता है।

1. सुरक्षा का अधिकार (Right of Protection)
2. संसूचित किए जाने का अधिकार (Right of be informed)
3. पहुंच का अधिकार (Right of Access)
4. सुनवाई का अधिकार (Right to be heard)
5. क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार (Right to seek redressal)
6. शिक्षा का अधिकार (Right of Education)

उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा तथा उनके हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए सरकार को परामर्श प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदें स्थापित की गई है। केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना करने की व्यवस्था भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत है।

त्रिस्तरीय अर्द्ध न्यायिक व्यवस्था

उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान अथवा उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में त्रिस्तरीय अर्द्धन्यायिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अनुसार जिला मंचों, राज्य आयोगों एवं राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। यह त्रिस्तरीय अर्द्धन्यायिक व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी

एवं व्यावहारिक साबित हो रही है क्योंकि इनमें सामान्य न्यायालयों की भांति वैधानिक औपचारिकताओं यथा – सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधानों का पालन नहीं करना पड़ता है। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को त्वरित एवं सस्ता न्याय प्राप्त होता है और उनके समय एवं धन की बचत होती है।

जिला मंच

राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके प्रत्येक जिले के लिए उपभोक्ता विवाद निवारण मंच स्थापित करती है जिसे 'जिला मंच' के नाम से जाना जाता है। आवश्यकता होने पर एक जिले में एक से अधिक जिला मंच भी स्थापित किए जा सकते हैं। प्रत्येक जिला मंच मे अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होते हैं। इस मंच का अध्यक्ष वही होता है जो जिला न्यायाधीश है या रहा है या बनने की योग्यता रखता है। इस मंच में अन्य दो सदस्यों में से एक का महिला होना आवश्यक है। ये सदस्य 35 वर्ष से कम आयु के नहीं तथा मान्यता प्राप्त व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें अर्थशास्त्र, वाणिज्य, लेखाशास्त्र, उद्योग, जन सामान्य के मामलों या प्रशासन सम्बन्धी समस्याओं को निपटाने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।

हमारे देश में जिला मंचों की संख्या 570 है और इनमें उपभोक्ताओं द्वारा 1574075 शिकायतें दर्ज कराई गई है। इन पंजीकृत मामलों में से 84.44 प्रतिशत मामलों का निपटारा हो चुका है और 15. 56 प्रतिशत अर्थात् 244889 मामले लम्बित हैं। यह जिला मंचों के अच्छे कार्य परिणाम का सूचक माना जा सकता है।

राज्य आयोग

उपभोक्ता न्यायिक अभिकरण की त्रिस्तरीय अर्द्धन्यायिक व्यवस्था के द्वितीय स्तर पर प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अपने राज्य में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना करती है जिसे राज्य आयोग के नाम से जाना जाता है।

राज्य आयोग में अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्यन्यायाधीश की सलाह से राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति की इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जाती है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो।

अध्यक्ष के अतिरिक्त दो सदस्य और होते है जिनमें एक आवश्यक रूप से महिला होती हैं। ये सदस्य 35 वर्ष से कम आयु के नहीं हो तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो। साथ ही ये योग्य, सत्यनिष्ठ एवं ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाशास्त्र, उद्योग, जन सामान्य के मामले या प्रशासन सम्बन्धी समस्याओं को निपटाने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। इन सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस चयन समिति में अध्यक्ष सहित तीन सदस्य होते हैं। चयन समिति का अध्यक्ष राज्य आयोग का अध्यक्ष होता है।

राज्य आयोग माल या सेवा या क्षतिपूर्ति के ऐसे दावों की सुनवाई करता है जो 20 लाख रूपये से अधिक किन्तु 1 करोड़ रुपये तक के होते हैं। ऐसे दावों के अतिरिक्त राज्य में जिला मंचों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरूद्ध की गई अपील पर भी यह आयोग सुनवाई करता है।

हमारे देश में 33 राज्य आयोग गठित हैं जिनमें 301056 मामलें रजिस्टर्ड किए गए हैं। इन पंजीकृत मामलों में से 200727 मामलों का निपटान किया गया है और शेष 100329 मामलें लंबित हैं।

राष्ट्रीय आयोग

उपभोक्ता विवादों के निपटान हेतु केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना जारी करके 'राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग' जिसे राष्ट्रीय आयोग कहा जाता है, का गठन किया है। यह आयोग उपभोक्ताा विवादों के समाधान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च एवं स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसका कार्यालय दिल्ली में है। इस आयोग का एक अध्यक्ष और कम से कम चार और अधिक से अधिक जो कि निर्धारित किए जाए, सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष वही होता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो। इसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इस आयोग के अन्य सदस्यों में से एक सदस्य अनिवार्य रूप से महिला होती है। ये सदस्य 35 वर्ष से कम आयु के नहीं हो तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो।

राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। चयन समिति में तीन सदस्य होते हैं – एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य। इस समिति का अध्यक्ष वही होता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो और उसे मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामांकित किया गया हो।

यह आयोग उन सभी शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल अथवा सेवाओं का मूल्य अथवा क्षतिपूर्ति की राशि का दावा 1 करोड़ रुपये से अधिक का है। इसके अतिरिक्त राज्य आयोगों के निर्णयों के विरूद्ध अपील की सुनवाई भी यह आयोग करता है।

इस आयोग द्वारा दिए गए आदेश से असन्तुष्ट पक्षकार आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। परन्तु राष्ट्रीय आयोग के आदेशानुसार किसी पक्षकार को कुछ धन का भुगतान करना है तो ऐसे अपीलार्थी की अपील उस समय

तक उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि वह उस धन का 50 प्रतिशत या 50,000 रुपये जो भी दोनों में कम हो, जमा नहीं करा दिए हो।

हमारे देश में गठित राष्ट्रीय आयोग के समक्ष 24251 मामलें रजिस्टर्ड हुए हैं जिनमें से 16439 मामलों का निपटारा हो चुका है और शेष 7912 मामले लम्बित हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आयोग द्वारा 67.5 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया गया है तथा 32.5 प्रतिशत मामलें निपटारे की प्रतीक्षा में है।

आदेशों के क्रियान्वयन

जिला मंच, राज्य आयेग एवं राष्ट्रीय आयोग के आदेशों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 25 में निम्न प्रावधान महत्वपूर्ण हैं

1. इस अधिनियम के अन्तर्गत दिए गए अंतरिम आदेश की अनुपालना नहीं करने पर जिला मंच, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग आदेश की पालना नहीं करने वाले पक्षकार की सम्पत्ति को जब्त कर सकते हैं।
2. यदि सम्पत्ति की जब्ती तीन माह से अधिक अवधि तक प्रभावी रहती है और इस अवधि की समाप्ति पर आदेश की पालना नहीं करना जारी रहता है अर्थात् आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो जब्त की गई सम्पत्ति का विक्रय किया जा सकेगा। विक्रय से प्राप्त राशि से शिकायतकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी और शेष राशि का अधिकृत पक्षकार को भुगतान किया जाएगा।
3. यदि किसी व्यक्ति की जिला मंच या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार कोई राशि देय है तो ऐसा व्यक्ति इस राशि की प्राप्ति के लिए इन्हें (जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग) आवेदन करेगा और ये संबन्धित जिलाधीश द्वारा उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार भूमि के बकाये लगान की वसूली की जाती है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन की ओर प्रारम्भ से ही पर्याप्त ध्यान दिया है और इस हेतु समय–समय पर अनेक उपभोक्ता हितैषी अधिनियम भी पारित किए हैं। इनमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तो मील के पत्थर के समान है। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए निम्न प्रयास किए जाने चाहिए :–

- उपभोक्ता को क्रेता की सावधानी के नियम का पालन करते हुए माल का क्रय करने के पूर्व उसकी गुणवत्ता, मूल्य, नाप–तौल, शुद्धता, आवश्यकता की पूर्ति के अनुरूप है अथवा नहीं आदि की जानकारी कर लेनी चाहिए।
- उपभोक्ता को माल एवं सेवा से संबन्धित आवश्यक तथ्यों की जानकारी के लिए अपलब्ध साहित्य से अवगत होना चाहिए।
- झूठे और भ्रामक विज्ञपनों के बारे में उपभोक्ताओं को सावधान रहना चाहिए।
- उपभोक्ता को सुरक्षा एवं गुणवत्ता के लिए जब और जहां उपलब्ध हो आईएसआई मार्क, आदि प्रमाणित किस्म के माल का क्रय करना चाहिए।
- उपभोक्ता को क्रय किए माल की उचित रसीद/केश मेमों लेना चाहिए।
- उपभोक्ता को जहां लागू हो गारंटी/वारंटी कार्ड ले लेना चाहिए जिस पर विक्रेता द्वारा विधिपूर्ण मोहर लगाई गई हो और हस्ताक्षर किए गए हो।
- दोषपूर्ण वस्तुओं अथवा त्रुटिपूर्ण सेवाओं की बिक्री या अनुचित अथवा अवरोधक व्यापारिक व्यावहारों को अपनाये जाने के विरुद्ध उपभोक्ताओं को जिला मंच, राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करनी चाहिए।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों के निपटान के लिए गठित जिला मंच, आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों में परस्पर तालमेल होना चाहिए।
- इन अर्द्ध–न्यायिक संस्थाओं में सदस्यों की नियुक्ति में राजनीति नहीं होनी चाहिए। योग्य, निष्ठावान एवं अनुभवी व्यक्तियों की सेवाएं ली जानी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र में जिला मंचों की स्थापना की जानी चाहिए।
- शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु जिला मंचों एवं राज्य आयोगों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।
- स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की भागिता को बढ़ाया जाय तथा महिलाओं को भी जागरूक करने का प्रयास किया जाय।
- आर्थिक विषमता के कारण असंगठित उपभोक्ताओं को संगठित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- उपभोक्ताओं में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति चेतना उत्पन्न करनी चाहिए।
- उपभोक्ताओं को माल पर अंकित मूल्य से बहुत कम मूल्य वाली वस्तुएं क्रय नहीं करनी चाहिए तथा अंकित मूल्य से अधिक मूल्य का भुगतान भी नहीं करना चाहिए।
- दोषी व्यक्तियों को किसी भी स्तर पर बचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। उन्हें तो कठोर दण्ड दिया ही जाना चाहिए।
- उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों द्वारा शिकायतों का निपटारा निर्धारित समय में किया जाय और इनके द्वारा दिए गए निर्णयों/आदेशों का शीघ्र क्रियान्वयन होना चाहिए। ❑

(वरिष्ठ संकाय सदस्य राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पाली)

बन रही है चिर यौवन की संभावनाएं

○ चंद्रशीला गुप्ता

अब जवानी के सूरज डूबने पर रोक लगने की संभावना है। पेंसिलवानिया विश्वविद्यालय के मेडिकल सेंटर के डा. ली स्वीने ने 'जीन थैरेपी' के माध्यम से वृद्धावस्था की शिथिल एवं निस्तेज पड़ी मांसपेशियों में हरकत पैदा कर दी है। अब इससे बुढ़ा चुकी मांसपेशियों को सुधारा जा सकेगा।

'जराविज्ञान' या जेरेण्टोलॉजी नामक विज्ञान की यह शाखा भले ही आधुनिक विज्ञान की देन हो प्राचीन काल से ही मनीषी एवं आयुर्वेदज्ञ बुढ़ापे एवं मृत्यु के कारणों की तलाश में है। आयुर्वेद में अनेकानेक उपाय वर्णित है। पुराणों में राजा ययाति के पुत्र पुरू द्वारा अपने वृद्ध माता–पिता को अपनी जवानी देकर उन्हें पुनः युवा बना देने का वर्णन है।

वही कोशिश वर्षों से चल रही है। इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में मानव ने अपने ही 'जीनोम' का मानचित्र तैयार कर आनुवांशिकी के इतिहास में क्रांतिकारी अध्याय जोड़ा था। जीनोम को पढ़ने के बाद अब जवानी के सूरज डूबने पर रोक लगने की संभावना है। पेंसिलवानिया विश्वविद्यालय के मेडिकल सेंटर के डा. ली स्वीने ने 'जीन थैरेपी' के माध्यम से वृद्धावस्था की शिथिल एवं निस्तेज पड़ी मांसपेशियों में हरकत पैदा कर दी है। अब इससे बुढ़ा चुकी मांसपेशियों को सुधारा जा सकेगा।

पिछले दिनों अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी एक और कमाल कर दिखाया है। कोशिका में मौजूद टेलोमियर्स को बरकरार रख जवानी को सदाबहार बनाने का दावा किया है। साल्टलेक सिटी स्थित विश्वविद्यालय के डा. रिचर्ड कॉथन एवं उनके साथियों ने अपनी शोध रिपोर्ट में कहा है कि क्रोमोसोम्स के इन पूंछनुमा टेलोमियर्स को छोटे होने से बचाना होगा तभी युवावस्था को वृद्धावस्था के कहर से बचा सकते हैं।

टेलोमियर्स घिसते–टूटते जाते हैं

जेरेण्टालाजिस्ट बुढ़ापे के कारणों की तलाश में शरीर की इकाई 'कोशिका' की केंद्रीय लड़ियां 'क्रोमोसोम' का लगातार अध्ययन कर रहे थे। ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र 'जीन' कोलेकर पीढ़ी–दर–पीढ़ी यात्रा करते हैं। डा. रिचर्ड कॉथन कहते हैं कि क्रोमोसोम के सिरे पर एक टोपीनुमा संरचना 'टेलोमियर' होती है जो कोशिका विभाजन के लिये जिम्मेदार है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हरेक कोशा करीब सौ बार विभाजित होती है और इसके पश्चात् उसका टेलोमियर समाप्त होने लगता है जिससे वह कोशा वृद्ध होने लगती है और इस प्रकार शरीर वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है। साथ ही यह टेलोमियर विहीन कोशा शरीर की क्षमता में ह्रास करने वाली प्रोटीन का निर्माण करने लगती है और इस तरह शरीर पर दोहरी मार पड़ती है। डा. कॉथन का कहना है कि अगर कोशिका को 'टेलोमरेज' एन्जाइम

समय रहते मिल जाए तो टेलोमियर बरकरार रह सकता है। संभवतः औषधि निर्माता भविष्य में इसको बड़े पैमाने पर बनाकर सर्वसाधारण को उपलब्ध कराएगें।

झुर्रियों की दवा खोज निकाली है

युवावस्था की विदाई चेहरे और फिर शरीर के अन्य भागों पर पड़ती झुर्रियों से स्पष्ट होती है। दरअसल शरीर की कोशिकाओं के मध्य एक पदार्थ होता है 'कोलोजन'। किसी मकान को बनाते समय ईंट के मध्य जो कार्य सीमेंट करती है, ठीक वही काम 'कोलोजन' कोशिकाओं के मध्य करता है। इसी कोलोजन के सख्त पड़ने का परिणाम है त्वचा पर झुर्रियां। एक अमेरिकी वैज्ञानिक राबर्ट कॉमन ने मटर से ऐसा रसायन खोज निकाला है जो मानव शरीर में झुर्रियां लाने के लिये दोषी कोलोजन को सख्त कर देगा। चूहों पर इसके प्रयोग सफल रहे हैं। बुढ़ाये चूहों में इस रसायन को पहुंचाने पर मांसपेशियों की शिथिलता खत्म हो जोश भर गया। इंस्टीट्यूट फॉर एक्सपेरीमेण्टल जेरेण्टॉलाजी के संस्थापक डा. फेडरिक वजीर ने कोलोजन के रासायनिक स्वरूप का व्यापक अध्ययन किया है।

भविष्य में जीन गैरेज जाकर रिपेयरिंग करवानी होगी

पेंसिलवेनिया विश्वविद्यालय के डा. स्वीने ने चूहों में 'जीन रिपेयर' करके फुर्ती व शरीर में कसावट लाने में सफलता पाई है। वे मानते हैं कि चूहों और मानव के बीच समानता है। डा. स्वीने ने सन–फ्रांसिस्को में अपनी शोध रिपोर्ट पढ़ते हुए बताया कि चूहों की मांसपेशियों की क्षमता में तीन गुनी वृद्धि देखी गई। संपूर्ण प्रक्रिया में जिस जीन का व्यवहार जांचा गया, उसे 'इन्सुलिन ग्रोथ फैक्टर' या 'आई जी एफ–1' कहा गया है।

जीन की आवश्यक मरम्मत और फिर यौवन बरकरार रखना ठीक वैसे ही है जैसे पुरानी गाड़ी को गैरेज में भिजवाकर ठोक–पीटकर, कलपुर्जे बदलवाकर एवं रंगरोगन कर नई बनवा दी जाए। लगता है अब आने वाली पीढ़ियां अपनी छुट्टियां जीन–गैरेज में बिताएगी।

इटली में यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी के प्रो. पेल्लिकी ने बुढ़ापे के लिए दोषी बिगडैल जीन 'पी–66 एम. एच.सी.' को ढूंढ निकाला है। इसकी मरम्मत से भी यौवन के स्थिर रहने की आशा बंधी है। ये प्रयोग चूहों पर किए गए और अगली पीढ़ी में इसे चूहों के शरीर से गायब कर दिया – परिणामतः चूहे दुगुने समय तक जवान रहे। डा. पेल्लिकी का दावा है कि वर्ष 2020 तक यह तकनीक मानव के लिये उपलब्ध रहेगी। जाहिर है हमारे लिये बुढ़ापे की चिन्ता में कमी हो सकती है।

कुछ अन्य वैज्ञानिक ऐसी दवा की खोज में जुटे हैं कि जिससे न केवल शरीर के बुढ़ापे की दर कम हो जाए वरन बुढ़ापे को प्राप्त काया का कायाकल्प हो पुनः युवा बन जाए। इसी सिलसिले में एक हारमोन 'डी हाइड्रोप्लांड्रोस्टेरॉन' की जानकारी मिली है जो नैसर्गिक रूप से यौन हारमोन (एस्ट्रोजन एवं टेस्टोस्टेरॉन) का पूर्वगामी है।

इसी कड़ी में आगे पता चला है कि मस्तिष्क के नीचे स्थित छोटी–सी 'पीनियल ग्रंथि' से बनने वाले हारमोन मैलेटोनिन से वृद्धावस्था जल्दी आती है। दरअसल बचपन में ही पीनियल ग्रंथि सक्रिय रहती है। और उम्र के साथ–साथ इसमें ह्रास आता जाता है और मेलेटोनिन की मात्रा कम होते–होते खत्म हो जाती है।

जवानी की गोलियां

चिर–यौवन के लिये इंसान की दीवानगी के कारण अनेक नुस्खे भी बाजार में आते रहते हैं जो बाद में चाहे टाय–टाय फिस्स साबित हो जाएं। अठारहवीं शताब्दी में इग्लैण्ड में एक यौवनदायी चाय या 'टी ऑफ लांगेटिविटी' खूब बिकी, बाद में जांच में उसमें सौंफ, सनाय व चंदन का चूरा निकला। उसके बाद एक अमृतपेय का दावा भी हुआ लेकिन यह भी झूठा निकला। इग्लैण्ड में डा. ओसलन की जवानी की गोलियां भी खासी लोकप्रिय हुई। अब इनके सेवन से बुढ़ापा तो रुका नहीं लेकिन चुस्ती जरूर बढ़ी। हुआ दरअसल यूं कि डा. ओसलन ने अपने गठिया के मरीजों को 'प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड' की गोलियां दी तो उन्हें गठिया में मुक्ति के साथ शरीर में चुस्ती–फुर्ती भी मिली। अतः उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए 'जी–एच–3' नाम से जवानी की गोलियां बाजार में ला दी और लोगों को उसका फायदा भी नजर आया।

उपवास कारगर है बुढ़ापा रोकने के लिये

वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि लिये जाने वाले आहार की मात्रा उसके बुढ़ापे के आने की गति का नियमन करती है। इसकी व्याख्या कुछ यूं की गई है कि आहार कम उपलब्ध होने पर शरीर में चयापचय की दर धीमी हो जाती है जिसके फलस्वरूप शरीर की समस्त जैविक क्रियाएं जिसमें कोशिका विभाजन भी शामिल है, मंद हो जाती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि कोशिका की विभाजन क्षमता निश्चित यानी करीब सौ होती है अर्थात सौ विभाजनों के बीच अंतराल बढ़ने से सौ विभाजन पूरे होने में ज्यादा समय लगेगा साथ ही टेलोमियर के खत्म होने की अवधि बढ़ जाएगी।

वैज्ञानिकों द्वारा निष्कर्ष यही निकाला गया कि उपवास या जरूरत से कम भोजन ग्रहण वृद्धावस्था के आगमन को धीमा करता है यानी हमें हमारे पूर्वजों एवं बुजुर्गों द्वारा किए जाने वाले साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक धार्मिक उपवासों को अपनाना होगा। समस्त धर्मों हिन्दू, जैन इस्लाम आदि में उपवास को महत्व दिया गया है। ❑

(स्वतंत्र लेखक)

तुम्हारा धर्म

○ आरती 'ऋतु' भारतीय

बुद्धिजीवी होने के कारण मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वोपरि समझा जाता है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कर्तव्यों में बंधा हुआ है। विचारों में घिरा हुआ मनुष्य ही अच्छे–बुरे के विषय में निर्णय लेता है और फिर अपने धर्म का निर्धारण करता हैं। मनुष्य का धर्म उसके कर्मों पर आधारित होता है। अच्छे कर्म करने वाला मनुष्य धर्मात्मा और बुरे कर्म करने वाला मनुष्य कुधर्मी कहलाता है। विभिन्न धर्मों के मध्य फंसा हुआ मनुष्य कभी–कभी न चाहते हुए भी अनर्गल कर्मों में लिप्त हो जाता है जबकि मनुष्य की अन्तरात्मा उसे उस कार्य को करने से रोकती है पर उसकी आवाज मनुष्य तक नहीं पहुंच पाती। मनुष्य का अपनी अंतरात्मा से संपर्क अति आवश्यक होता है तभी वह सच्चा और दृढ़ इच्छाशक्ति वाला बन सकता है। मनुष्य को विभिन्न धर्मों के अंधे भ्रम में न पड़कर अपने कर्मों का निर्धारण स्वयं करना चाहिए। मार्क रूदर फोर्ड का कथन है कि – "तुम्हें अपना धर्म स्वयं बनाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए वही उपयोगी होगा जिसे तुम स्वयं बनाओगे।" प्रत्येक प्राणियों से भिन्न मनुष्य के जीवन का एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है और मनुष्य का यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, अपना उद्देश्य पूर्ण करे और अपना जीवन सार्थक बनाए। अन्य प्राणियों की भांति जन्म लेना और फिर मर जाना मनुष्य का कार्य नहीं है मनुष्य तो स्वभावतः कर्मशील और बुद्धिजीवी होता है, मनुष्य का समाज होता है और समाज की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ ऐसे मोड़ भी मानव जीवन में आते हैं जब वह अपने कर्म को

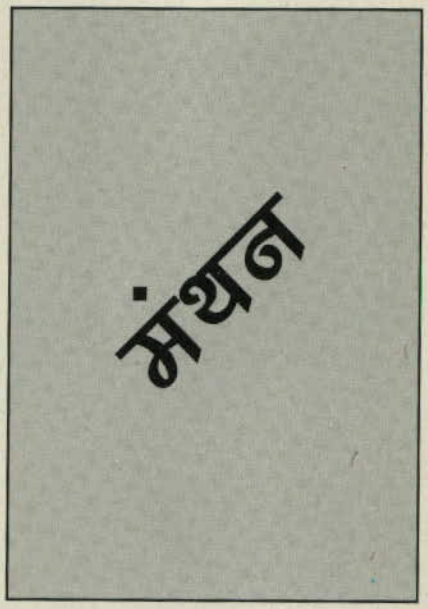

लेकर भ्रम में पड़ जाता है, समाज के भय और मर्यादा के कारण वह उन कर्तव्यों से भी विमुख हो जाता है जो उसे पूर्ण करने चाहिए। फ्रैंकलिन ने कहा है कि – "अपने व्यवहार को सच्चा रखो बदनामी की चिन्ता मत करो, गंदगी कच्ची मिट्टी की दीवार से चिपक सकती है, पॉलिश किए हुए संगमरमर से नहीं।" एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए व्यक्ति को "पॉलिश किया हुआ संगमरमर" बनना चाहिए जिससे गंदगी चाहे भी तो नहीं चिपक सकती।

मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसने आश्चर्यजनक और असंभव कार्यों को परिणाम तक पहुंचाया है, वही इतना सक्षम और शक्तिशाली है कि जो चाहे सो कर सकता है आवश्यकता होती है तो बस थोड़ी लगन की, परिश्रम की, लक्ष्य के प्रति समर्पण और कर्म के प्रति निष्ठा की। मनुष्य के भीतर असीमित शक्ति का स्रोत होता है उसकी असीमित शक्ति का उदाहरण हम हर जगह देख सकते हैं पृथ्वी से लेकर आकाश तक कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां मनुष्य ने अपनी बौद्धिकता और क्षमता के प्रदर्शन न किए हों। आश्चर्यजनक, जोखिमपूर्ण और असंभव कार्यों को अंजाम देने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति हमारे ही बीच से गए हैं हमारी ही तरह वे पंचतत्व से निर्मित होते हैं। उनका स्मरण हमें गर्व से भर देता है।

तुम भी जो कुछ करना चाहते हो, वह कर सकते हो। ऐरी शेफर ने कहा है कि – "जीवन में शारीरिक और मानसिक परिश्रम के बिना कुछ नहीं मिल सकता, दृढ़चित्त और महान उद्देश्य वाला मनुष्य जो करना चाहे कर सकता है।" तुम भी एक महान उद्देश्य को पूर्ण करने का संकल्प लो अपनी सुसुप्त शक्तियों को अपनी कर्मशीलता द्वारा बाहर उत्पन्न करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा, लगन एवं परिश्रम का उपयोग करो। संघर्षशीलता मनुष्य के जीवन का लक्षण हैं संघर्ष में प्राप्त असफलता मनुष्य के सफल होने की शुरुआत है।

"जब जीवन ही है संघर्ष
तो होता रहे संघर्ष...
भावनात्मक... विचारात्मक... या फिर
सिद्धांतात्मक.....
हम क्यों त्याग दें अपना लक्ष्यपथ
हम क्यों त्याग दें धैर्य अपना
क्यों नहीं हमें त्याग देतीं जिज्ञासाएं...
क्यों नहीं हम नष्ट कर देते
अंतर्मन के मोह को.....
और क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हम लक्ष्य
अपना.....।
क्यों नहीं दिखाते अपना अपूर्व
साहस.....।" ❑

महिलाओं ने की मिसाल कायम

❍ राकेश मोहन कण्डारी

उत्तरांचल के रूद्रप्रयाग जनपद की सुदूरवर्ती ग्राम पंचायत है – कोदिमा। यहां की महिलाओं ने सहकारिता के दम पर बारह वर्षों की कड़ी मेहनत से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बंजर व बेकार पड़ी लगभग 50 हेक्टेयर भूमि पर एक घना मिश्रित वन तैयार किया है।

सहकारिता पंचायती राज व्यवस्था का मूलमंत्र है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के पीछे यही भावना रहीं है कि पंचायतों के निवासी अपने लिए एक 'आर्दश स्वराज' की स्थापना करें, अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें। इसके अतिरिक्त पंचायतों के अधीन उपलब्ध भौतिक संसाधनों का उपयोग स्वयं कर सकें।

भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था कर पंचायतों के अधीन विभागों में वृद्धि की गई है बल्कि पंचायतों के अधिकारों में भी वृद्धि की गई है। और इसके आशातीत परिणाम भी सामने आए हैं। हालांकि यह व्यवस्था अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। पंचायती राज व्यवस्था की अच्छाईयों को अभी व्यापक स्तर पर एक बड़े जन समुदाय तक पहुंचाना बाकी है। लेकिन फिर भी कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिन्होंने एक मिसाल कायम की है।

ऐसी ही एक ग्राम पंचायत है उत्तरांचल के रूद्रप्रयाग जनपद की सुदूरवर्ती ग्राम पंचायत कोदिमा। यहां की महिलाओं ने सहकारिता के दम पर बारह वर्षों की कड़ी मेहनत से 6000फीट की ऊँचाई पर स्थित बंजर व बेकार पड़ी लगभग 50 हेक्टेयर भूमि पर एक घना मिश्रित वन तैयार किया है।

ग्राम कोदिमा उत्तरांचल में रूद्रप्रयाग जनपद का एक सुदूरवर्ती गांव है। जनपद मुख्यालय से लगभग 60 किमी. दूर है। गांव की जनसंख्या लगभग 500 है। यहां के निवासी अत्यन्त कर्मशील हैं। ग्रामीणों की उद्यमशीलता का ही प्रतिफल है कि लगभग 6000 फीट की ऊँचाई पर बांज, बुराश, काफल, चीड़, अतीस का सुन्दर सघन मिश्रित वन तैयार हो गया है। यहां के निवासी इसका श्रेय यहां की महिलाओं को देते हैं, गांव के सामाजिक कार्यकर्त्ता भरत सिंह बिष्ट कहते हैं कि "महिला शक्ति के बिना यह कार्य असंभव था।"

इन महिलाओं ने 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बंजर भूमि पर एक घना मिश्रित वन तैयार किया है

इस जंगल को तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहां के महिला मंगल दल ने की है। महिला मंगल दल की अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी देवी बताती हैं कि वर्षों पहले से यह जमीन बेकार पड़ी थी, यहां ग्रामीण अपने पशुओं का चरान व चुगान करते थे। इससे हमें कई तरह के नुकसान हो रहे थे। एक तो जमीन बंजर

पड़ी थी, जिसका क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा था, दूसरे ग्रामवासियों के पशु जंगल में अतिक्रमण कर रहे थे तथा हमारे संरक्षित वन में पेड़ों का कटान बढ़ रहा था, इससे गांव में कई बार विवाद भी हो रहे थे।

फिर महिला मंगल दल, युवक मंगल दल तथा ग्रामवासियों ने मिलकर एक समिति का निर्माण किया, इस समिति में दो पुरुष गजेसिंह नेगी तथा ध्यात सिंह व दो महिलाएं जानकी देवी एवं विजय लक्ष्मी को सदस्य बनाया गया तथा ग्राम प्रधान को इस समिति का पदेन अध्यक्ष बनाया गया।

इस समिति के निर्माण का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में जारी अवैध वृक्षपातन, चरान व चुगान रोकना था, समिति ने मिलकर यह फैसला किया कि इस क्षेत्र में पशुचारण व कटाई नहीं की जाएगी और जो भी ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा उस पर अर्थदण्ड लगाया जाएगा।

गांव के तत्कालीन प्रधान लीलासिंह बिष्ट कहते हैं कि "हमने सोचा भी नहीं था कि यहां एक ऐसा घना जंगल विकसित हो जाएगा। प्रारम्भ में हमारा उद्देश्य यहां सिर्फ गोचारण तथा घास, लकड़ी, चारे की अनियमित कटाई रोकना था। क्योंकि कभी–कभी एक ही व्यक्ति पूरी घास काट लेता था और ग्रामीणों को कुछ नहीं मिलता था और गांव में विवाद हो जाता था। फिर हमने समिति के सहयोग से एक नियम बनाया कि प्रत्येक पांच वर्षों में इस जंगल की छंटाई सम्पूर्ण ग्रामवासियों द्वारा समिति की देख–रेख में किया जाएगा तथा इस क्षेत्र में चरान व चुगान पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया इसके अच्छे परिणाम निकलते गए और परिणाम आपके सामने है।"

अपनी इस उपलब्धि से उत्साहित समिति की सदस्य श्रीमती जानकी देवी एवं विजय लक्ष्मी देवी कहती हैं कि इस नए जंगल के वन से हमें काफी फायदा पहुंचा है। जंगली जानवर अब इसी जंगल तक सीमित रह कर, हमारी खेती को नुकसान नहीं पहुंचा पाते है और एक निश्चित समय पर छंटाई से हमें यहां से चारा, जलावन की लकड़ी भी प्राप्त होती रहती है, तथा इससे समय की बचत होती है, जिसका उपयोग हम बच्चों की शिक्षा तथा घरेलू कार्यों में करते है।

गांव की पहली महिला प्रधान (वर्तमान) श्रीमती रुक्मणी देवी जंगल की प्रगति पर काफी उत्साहित हैं वे कहती है कि "यह जंगल हम ग्रामवासियों की बारह वर्षों की कड़ी मेहनत का नतीजा है और इसका पूरा श्रेय यहां के महिला मंगल दल को जाता है।" कोदिमा ग्रामवासियों के सर्मपण व लगन को देख कर वन विभाग ने वहां पर संयुक्त वन प्रबंधन परियोजना के अर्न्तगत 15 लाख की तीन वर्षीय योजना प्रारम्भ की है इसके अर्न्तगत अब तक कुल 35 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण, गाइडवाल तथा चैक डैम बनाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। ❑

ज्ञान-सागर

→ यूरोप में वेस्किन सिटी संसार का सबसे छोटा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 0.44 वर्ग कि.मी. में है।

→ 11.11.94 में नीलाम हुई पुस्तक 'दी कोडेक्स हैमर' विश्व की सबसे मंहगी पुस्तक है जो 1,92,30,000 पौंड में बिकी।

→ भारत में डाक सेवा दुनिया का सबसे बड़ा संचार तंत्र है। देश में 1 लाख 55 हजार से भी ज्यादा डाकघर हैं।

→ बेन हर (1959 में बनी) और टाइटैनिक (1997 में बनी) सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली फिल्म है, इन दोनों ने 11–11 आस्कर पुरस्कार जीते हैं।

→ क्वालाल्मपुर मलेशिया में स्थित 'पेट्रोनॉस टॉवर' विश्व की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत है जो 452 मी. ऊंची है।

→ क्षेत्रफल कि दृष्टि से रूस विश्व में सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल 17,075,000 वर्ग कि.मी. है।

→ दक्षिण अफ्रीका संसार में सबसे ज्यादा सोना उत्पादन करने वाला देश है जो प्रतिवर्ष 494.6 टन सोने का उत्पादन करता है।

→ कोवे जापान में स्थित विश्व का सबसे लंबा झूला पुल है। जिसका नाम 'अकस हि केयको' है और जो 1990 मी. लंबा है।

→ 1889 में बनकर तैयार हुई एफिल टॉवर विश्व की सबसे ऊंची इमारत है जिसकी ऊंचाई 330 मी. है। यह पेरिस फ्रांस में स्थित है।

→ चेक गणराज्य में स्थित स्ट्रेयेक स्टेडियम जिसकी क्षमता 2,40,000 है। यह विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम में शुमार है।

→ प्रथम विश्व युद्ध (1914–1918) जिसमें 36 देशों ने भाग लिया तथा इस युद्ध में 1 करोड़ तीस लाख सैनिक हताहत हुए।

→ हडप्पा सभ्यता क्षेत्र की दृष्टि से मिश्र या सुमेरियाई सभ्यता से कहीं अधिक विशाल थी जो लगभग 12,99,600 वर्ग कि.मी. में फैला हुआ था।

→ पंद्रह साल बाद मार्च 2004 में, पाकिस्तानी दौरे पर गई भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर एक मात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में खेल चुके हैं।

→ ऋगवेद में 'ॐ' शब्द का उल्लेख 1028 बार किया गया है।

→ ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी शेन वार्न दुनिया के सर्वप्रथम स्पिनर है जिन्होंने टेस्ट मैच में 500 विकेट लेने का गौरव प्राप्त किया है। इन्होंने यह गौरव मार्च 2004 में हासिल किया।

→ ऑस्ट्रेलिया संसार में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन करने वाला देश है जो प्रतिवर्ष 4,10,00,000 कैरेट का उत्पादन करता है।

(संकलन – प्रबीर कुमार)

मानसिक तनाव – एक जैव-रासायनिक रोग

प्रत्येक व्यक्ति अपने मूड में परिवर्तन, क्षणिक अधीरता, निराशा, अपने किसी चहेते को खोने से होने वाला सामान्य दुख अनुभव करता है। लेकिन कार्य करने, खुशी महसूस करने अथवा रूचि बरकरार रखने की योग्यता में हस्तक्षेप करनेवाली एक कष्टकारी अथवा लंबी उदासी महज अधीरता से जुड़ा एक मामला भर नहीं है, बल्कि यह एक बीमारी है। शोधकर्ताओं ने दर्शाया है कि यह (अवसाद) मस्तिष्क में होनेवाले जैव– रासायनिक असंतुलन का परिणाम है। अवसाद से ग्रसित 80 प्रतिशत लोगों का आधुनिक औषधियों से सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है इन औषधियों की आदत भी नहीं पड़ती और इनका गलत इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। कभी–कभी इस उपचार के दौरान या बाद में थेरेपी या परामर्श वांछित होती है।

उत्तेजित करनेवाली अथवा 'मूड डिसऑर्डर' के रूप में भी निरूपित की जानेवाली यह बीमारी लाखों लोगों को अपना शिकार बनाती हैं और अक्सर घातक सिद्ध होती है। बावजूद इसके, बहुत ही कम रोगियों की पहचान हो पाती है तथा कम ही लोगों का उचित रूप से इलाज किया जा रहा है। इस उपेक्षा की भारी कीमत मानव एवं आर्थिक संसाधन की व्यापक हानि के रूप में चुकाई जा रही है। यह बहुत ही आम एवं विध्वंसक किस्म की बीमारी है जो आज अमेरिका सरीखे विकसित देशों तक में व्यापक रूप से पाई जाती है। मुख्य किस्म के अवसाद के अतिरिक्त कई लोग उन्माद–अवसादी रोग (बाई पोलर डिसऑर्डर) से ग्रसित होते हैं। इसकी पहचान मूड में आमूल परिवर्तन – गंभीर उदासीनता से बढ़ी हुई एवं असंगत प्रफुल्लता– के रूप में होती है। मानवीय पीड़ा के रूप में चिकित्सारहित अवसाद के परिणाम बेहद ही घातक होते है। इनमें आत्मसम्मान की क्षति, अल्कोहल एवं ड्रग्स के जरिए 'आत्म–चिकित्सा', परिवार एवं कैरियर का तितर–बितर होना, स्थाई विकलांगता, अयोग्यता और कई मामलों में मृत्यु जैसे तत्व शामिल हैं। आजकल बच्चों एवं किशोरों की मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है।

आंकड़ों के मुताबिक इस बीमारी के इलाज पर प्रतिवर्ष 1535 अरब डालर खर्च होता है। साथ ही इसमें समय एवं उत्पादकता की हानि, कार्मिक बदलाव, चिकित्सीय देखरेख और जीवन की हानि से जुड़ी लागत शामिल हैं। इन लागतों को न केवल प्रभावित व्यक्ति वरन् उसका परिवार, मित्र, नियोक्ता, सहयोगी और वृहत स्तर पर समाज सम्मिलित रूप से वहन करता है। इस समस्या की गंभीरता, आकार एवं लागत को देखते हुए अपेक्षाकृत कम व्यापक बीमारियों के मुकाबले इससे जुड़ी सूचनाओं, शिक्षा एवं अनुसंधान पर किया जानेवाला खर्च अन्य बीमारियों पर खर्च किए जाने की तुलना में बेहद कम है।

और तो और, अवसाद से ग्रसित अधिसंख्य लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनकी इस बीमारी का पूर्ण उपचार संभव है। वे इस बीमारी के लिए स्वयं को दोषी समझते हैं और दूसरों द्वारा ऐसा करार दिए जाते हैं। यही वजह है कि उनका परिवार एवं उनके मित्र

अलग–थलग पड़ जाते हैं। जबकि, तथ्यों की सही जानकारी रहने पर वे शायद पीड़ित व्यक्ति को कारगर इलाज ढूढ़ने में अपना समर्थन और सहयोग देते।

कारण

संभवतः अवसाद के कई कारण हैं और इसकी कई किस्में हैं। हालिया शोधों से ज्ञात हुआ है कि अवसाद की बीमारी वंशानुगत भी होती है। बाई पोलर डिसऑर्डर, जो इसका सबसे गंभीर स्वरूप है, अधिकांशतः आनुवंशिक होता है।

तनाव अथवा महत्वपूर्ण जुड़ावों के टूटने सरीखी कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियां विशेष रूप से कमजोर इंसानों में अवसाद को अवक्षेपित कर सकती हैं। अवसाद की उत्पत्ति में जीन एवं पर्यावरण के परस्पर व्यवहार की भूमिका एवं इससे जुड़े आनुवंशिक तत्वों को ठीक–ठीक जानने हेतु अनुसंधान जारी है।

लक्षण

अवसाद से पीड़ित व्यक्ति एवं उसके इर्द–गिर्द के लोगों में इसके लक्षणों को आसानी से पहचाना जा सकता है बशर्ते लक्षणों के बारे में जानकारी हो। ये लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं। ऊर्जा एवं रूचि में ह्रास, खुशियों को महसूस करने की घटती क्षमता, घटती या बढ़ती निद्रा अथवा भूख, एकाग्रता में कठिनाई, अस्थिरता, मंद या अस्पष्ट सोच, खिन्नता, निराशा या घबराहट की अतिशय भावनाएं, नकारेपन की भावना और मौत व आत्महत्या के बारे में लगातार सोच आदि अवसाद के प्रमुख लक्षणों में शुमार हैं।

यदि उपर्युक्त लक्षणों में से अधिकांश दो सप्ताह या उससे अधिक अवधि तक आपके अंदर विद्यमान रहते हैं, तो आप संभवतः अवसाद के शिकार है। कभी–कभी अवसाद, उन्माद के साथ अदला–बदली करता है। इस अवस्था को उन्माद–अवसादी रोग कहा जाता है। उन्मादी अवसाद व्यक्ति के मूड में कुछ समय के लिए आमूल परिवर्तन ला देता है। इस अवधि में उसे अपना ऊर्जा–स्तर बढ़ा हुआ महसूस होने लगता है। उसे नींद की आवश्यकता कम मालूम होने लगती है। उसे अपनी योग्यता पर अनावश्यक रूप से बहुत अधिक भरोसा होने लगता है। उसके अंदर बेहद तेज व अप्रत्याशित भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। वह शीघ्र ही उत्तेजित हो उठता है। वह अचानक किसी से इश्क करने जैसा बेहद विध्वंसकारी परिणामों वाला आवेगात्मक एवं अविवेकपूर्ण व्यवहार करने लगता है।

निदान एवं उपचार

विभिन्न शोधों से यह जाहिर हुआ है कि इस रोग से निजात पाने हेतु सहायता मांगने वालों में से कुछ ही इसके निदान व उपचार हेतु संबंधित विशेषज्ञ के पास जाते हैं।

अवसाद की बीमारी का पता लगने के बाद समुचित उपचार के रूप में रोगी को अक्सर हल्के ट्रैंक्यूलाइजर एवं नींद की गोलियां (दोगुनी मात्रा में) दी जाती हैं। इतना ही नहीं, समुचित उपचार सुझाए जाने के दौरान दवाओं की खुराकों को बारंबार उस मात्रा से कम रखा जाता है जो चिकित्सीय लाभों के पर्याप्त स्तर की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। इस किस्म के संवेदनशील मामलों में व्यक्ति को गैर–विशेषज्ञों से दूर ही रहना चाहिए।

अवसाद के उपचार में मुख्यतः साइक्लिक एन्टी–डिप्रेशेंट का उपयोग किया जाता है। इसके सकारात्मक परिणामों को सिर्फ अवसाद के रोगी द्वारा ही महसूस किया जाता है। इस किस्म के परिणाम आने में छह सप्ताह तक लग जाते हैं।

अवसाद के सटीक निदान एवं एन्टी–डिप्रेशेन्ट दवाओं के सही प्रयोग के लिए जैव–रासायनिक थैरेपी के विशेषज्ञ चिकित्सकों से ही संपर्क किया जाना चाहिए। संपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान चिकित्सीय निगरानी आवश्यक रूप से रखनी चाहिए। दरअसल, उपचार के दौरान इन दवाओं का प्रयोग करने वालों में से लगभग 80 फीसदी लोगों में इसके परिणाम सकारात्मक रहे हैं और अधिकांश रोगी अपनी सामान्य दिनचर्या पुनः शुरू करने में कामयाब रहे हैं। कईयों के लिए साइकोथेरेपी अथवा परामर्श उपयोगी साबित हुआ है।

जीवन को सहज बनाएं

प्रत्येक व्यक्ति को दिन के उन क्षणों को पहचानना चाहिए जब वह अपेक्षाकृत बेहतर महसूस करता है और जिसका वह अपने पक्ष में फायदा उठा सकता है। व्यक्ति को बड़े कार्यों को छोटे–छोटे टुकड़ों में विभाजित करना चाहिए। उसके बाद प्राथमिकता तय करते हुए उन्हें एक–एक कर अंजाम देना चाहिए। इसके अलावा उसे अपने ऊपर अत्यधिक जिम्मेदारी लेने तथा खुद के लिए अत्यधिक कठिन लक्ष्य निर्धारित करने से बचना चाहिए। व्यायाम, खेल–कूद या सांस्कृतिक या धार्मिक या फिर सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने सरीखी गतिविधियां किसी व्यक्ति को बेहतर महसूस करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। हालांकि, इसकी 'अति' नहीं की जानी चाहिए क्योंकि बेहतर महसूस करने की प्रक्रिया कुछ समय तो लेती ही हैं।

किसी भी व्यक्ति को अल्कोहल एवं हानिकारक औषधियों (ड्रग्स) के सेवन से परहेज करना चाहिए। इस प्रकार की 'आत्म–चिकित्सा' क्षणिक रूप से उत्साह प्रदान तो कर सकती है लेकिन अंततः यह अवसाद के अहसास को और अधिक गहरा कर देती है।

अवसाद से पीड़ित होने पर व्यक्ति थका–हारा, बेकार, असहाय और निराश महसूस कर सकता है। वह हिम्मत हारने लगता है। इसलिए, यह समझ लेना महत्वपूर्ण है कि ये लक्षण और नकारात्मक सोच दोनों ही तनाव के अंग हैं। उपचार का असर शुरू होते ही, नकारात्मक सोच लुप्त हो जाती है। ❑

(पसूका से साभार)

नए प्रकाशन

अनजान पड़ोसी

पुस्तकः अनजान पड़ोसी, भारत–नेपाल; लेखकः रामसागर शुक्ल; प्रकाशकः सनातन प्रकाशन, 4/137, विकास खंड, गोमती नगर, लखनऊ; मूल्यः 250/– रुपये।

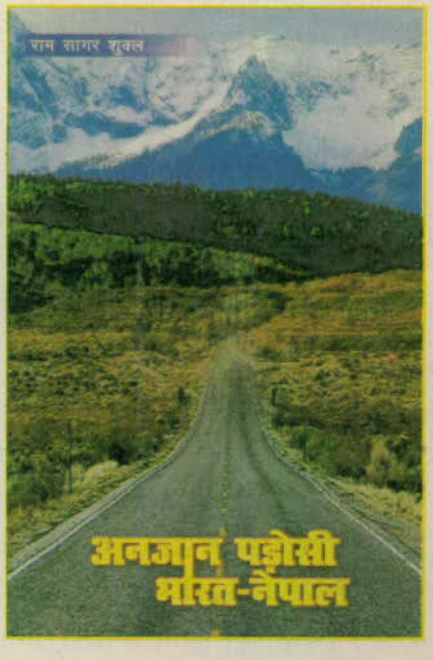

नेपाल का नाम सुनते ही मस्तिष्क में तत्काल जो छवि उभरती है वह है हिमालय की छाया में स्थित उस देश की जो भौगोलिक रूप से भारत की तुलना में बहुत छोटा होते हुए भी विविधताओं से भरपूर है। नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। धर्म–निरपेक्ष भारत और धर्म–तिरस्कृत चीन के बीच स्थित होने के कारण भू–राजनीतिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तिब्बत भू–भाग और दक्षिण में भारत के पांच प्रदेशों से मिलती है। यह प्रदेश हैं – उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।

लगभग अठारह सौ किलोमीटर लंबी इस सीमा के आरपार भारत और नेपाल के नागरिक बिना रोकटोक किसी भी समय आ–जा सकते हैं। ऐसी सुविधा दुनिया में और कहीं नहीं है।

नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक सुदृढ़ आधार भारत भी है। भारत में नेपाल के नागरिक बड़ी संख्या में आते–जाते रहते हैं। व्यापार–वाणिज्य के अतिरिक्त रोजगार, उच्च शिक्षा तथा चिकित्सा के लिए वे बहुधा यहां आते हैं। भारत में नेपाल के लोगों को वही सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती रही है जो यहां के नागरिकों को प्राप्त हैं। यही कारण है कि भारतीय सुरक्षा सेनाओं के अतिरिक्त नेपाल के नागरिकों के लिए संघ लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं के माध्यम से केंद्रीय सेवाओं में प्रवेश के द्वार खुले हुए हैं। नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं सूची में लाकर उसे गौरवान्वित किया गया है।

भारत के लोग बड़ी संख्या में हर वर्ष पर्यटन के लिए नेपाल जाते हैं। हिंदुओं और बौद्धों के अनेक पवित्र तीर्थ स्थल भी उन्हें स्वाभाविक रूप से आकर्षित करते हैं। नेपाल की आंतरिक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उन भारतीयों का भी कम योगदान नहीं रहा है जो पीढ़ियों से वहां जाकर बसते गए। हिंदुओं के पावन तीर्थ, काठमांडू स्थित भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर के मुख्य पुजारी लगभग एक हजार वर्षो से केरल के नंबूदिरी समुदाय से आते रहे हैं। खान–पान, आचार–व्यवहार, चिंतन आदि में भारत और नेपाल के लोगों के विचार एक–दूसरे से काफी मिलते हैं। नेपाली एक मधुर, प्रांजल भाषा है जो अर्धभागधी से विकसित हुई है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने के कारण यह इतनी सरल है कि आसानी से बोली, पढ़ी और समझी जा सकती है।

नेपाल लगभग तीन हजार वर्षों के अपने लिखित इतिहास में राजतंत्र रहा है। इस अवधि में वहां अनेक उतार–चढ़ाव आए। राजवंश बदलते रहे। लेकिन सत्ता राजा अथवा राणाओं के हाथ में रही। जब राणा लोग प्रभावशाली थे तो उन्होंने राजा को अपनी कठपुतली बना दिया था। यह स्थिति 1950 में बदली जब तत्कालीन नेपाल–नरेश त्रिभुवन पीर विक्रम शाह देव को उनके आग्रह पर भारतीय हस्तक्षेप के बाद उन्हें वास्तविक सत्ता मिली। राणाशाही समाप्त हुई और भारत ने नेपाल को उत्कृष्ट कूटनीतिक दर्जा देकर वहां विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ किया।

इस क्रम में सबसे प्रमुख काम बिहार में रक्सौल स्थित भारतीय सीमा से बीरगंज, सिमरा, भैंसिया और शिवभंजन पहाड़ होते हुए त्रिभुवन राजपथ का निर्माण था। 1954 में इस राजमार्ग को विधिवत् खोलने के बाद काठमांडू आना–जाना बहुत सरल हो गया था। उस समय नेपाल में सड़कें नहीं थीं और कहीं जाने के लिए भी दुर्गम पहाड़ों से होकर पैदल यात्राएं ही एकमात्र विकल्प होती थीं। 1950 के दशक में इंडियन एयरलाइन्स काठमांडू से नेपाल के तत्कालीन गंतव्य स्थलों जैसे सिमरा (बीरगंज), विराटनगर, पोखरा, भेरेहवा और

मंगलवा के लिए 24 सीटों वाले डकोटा विमानों से जोड़ता था। इन्हीं विमानों से अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भी होता था। लेकिन तब ये यात्राएं केवल दिल्ली, कोलकाता और पटना के लिए ही होती थीं। उस समय भारतीय राजदूतावास काठमांडू का सबसे प्रमुख विदेशी ठिकाना माना जाता था। वैसे कहने को वहां ब्रिटेन, अमेरिका और चीन के दूतावास भी थे। लेकिन उनका महत्व केवल सांकेतिक ही था। भारत प्रारंभ से ही नेपाल के चतुर्दिक विकास में अग्रणी रहा है।

1990 के दशक में नेपाल में जनतांत्रिक भावनाओं के व्यापक जागरण के फलस्वरूप वहां राजतंत्र को झुकना पड़ा। संप्रभुता तो नरेश के पास ही रही लेकिन सत्ता राजनीतिक दलों के हाथ में आ गई। इस परिवर्तन का वास्तविक लाभ किसे मिला? यह आज विवाद का विषय है। नेताओं के अपने निहित स्वार्थों और परस्पर विरोधी खींचतान के कारण नेपाल में प्रजातंत्र नहीं चल सका। षड़यंत्रों के जाल में फंसा नेपाल आपसी कलह और सत्ता–संघर्ष का शिकार हो गया।

इस प्रक्रिया में धुर वामपंथी और दक्षिणपंथी विचार–धाराओं के संघर्ष से उत्पन्न देश में अराजकता का दोष भारत को दिया गया। नेपाल का एक वर्ग प्रारंभ से ही भारत को शत्रु बताता आया है। अंतर्राष्ट्रीय कुचक्र के कारण इस वर्ग को भारत–नेपाल संबंधों में निरंतर कटुता बढ़ाने में भरपूर प्रोत्साहन मिला।

इस पुस्तक में भारत–नेपाल के बनते–बिगड़ते संबंधों तथा उनके कारणों की सम्यक विवेचना की गई है। नेपाल के शीर्षस्थ नेताओं से लेखक ने साक्षात्कार कर यह जानने का प्रयास किया है कि आखिर क्यों और कौन से तत्व इन दरारों को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच शत्रुवत संबंध बनाए रखना चाहते हैं। भारत किसी भी कीमत पर नेपाल से शांति ही बनाएं रखना चाहेगा। इसी में दोनों देशों की भलाई है। यह पुस्तक भारतीय पाठकों को नेपाल की समसामयिक वस्तुस्थिति से भली भांति अवगत कराती है। नेपाल के नेताओं तथा सामान्य लोगों को भी यह आत्मान्वेषण और चिंतन के लिए प्रेरित करती है कि क्या उन्हें हर समय भारत की आलोचना ही करनी चाहिए? इसका औचित्य क्या है? हर समय नकारात्मक दृष्टिकोण रखने से उन्हें क्या उपलब्धि होगी?

पुस्तक की छपाई और साज–सज्जा उत्कृष्ट है। एक गंभीर विषय पर गहराई से विचार करने में यह पुस्तक निश्चय ही उपयोगी सिद्ध होगी। ❑

IAS/PCS
आरोहण
AN INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES IAS/IPS
❋ हिन्दी माध्यम का विश्वसनीय संस्थान ❋
❋ प्रारंभिक से साक्षात्कार तक आपके साथ ❋

उपलब्ध विषय :-
- भूगोल (प्रारंभिक + मुख्य)
- दर्शनशास्त्र (सिर्फ मुख्य)
- हिन्दी साहित्य
- इतिहास (सिर्फ प्रारंभिक)
- सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक + मुख्य)
- निबंध

हिन्दी माध्यम के लिए बेहतर विकल्प एवम् सर्वाधिक अंकदायी विषय

एकमात्र संस्थान जो प्रारंभिक परीक्षा (भूगोल) में सफलता की पूरी गारंटी देता है, अन्यथा फीस वापसी*

विशेष आकर्षण :-
♦ विषय चयन से संबंधित निःशुल्क मार्गदर्शनः सिविल सेवा के अभ्यर्थियों (विशेषकर हिन्दी माध्यम) के समक्ष प्रमुख समस्या वैकल्पिक विषय के चयन, पुनः उसकी तैयारी के तौर-तरीकों की होती है। विषय का सही चयन (विशेषकर दूसरा वैकल्पिक विषय) न कर पाना ही सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। अतः यहां के एक्सपर्ट (बड़ा-बड़ा प्रशासनिक अधिकारी भी) द्वारा अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि, रुचि अर्थात हर पहलुओं पर गौर करते हुए निष्पक्ष मार्गदर्शन किया जाता है। अर्थात मेरे लिए आपकी सफलता सर्वोपरि है, जिसे आप खुद भी महसूस करेंगे।
नोट : इसके लिए कार्यालय में अंशुमन (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) से संपर्क कर समय निश्चित कर लें।

अन्य आकर्षण :-
- मुख्य परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्ति हेतु विस्तृत एवं गहन अध्ययन वैज्ञानिक विधि द्वारा।
- निश्चित समय - अंतराल पर आंतरिक परीक्षाओं का आयोजन।
- आंतरिक परीक्षा के टापर्स को (प्रोत्साहन के लिए) पूरी फीस तत्काल वापस।
- सामान्य अध्ययन अलग-अलग विशेषज्ञों द्वारा।
- प्रत्येक छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन की सुविधा।
- छात्र एवं छात्राओं के रहने की अलग-अलग व्यवस्था।
- SC/ST/OBC को फीस में छूट।

पत्राचार कोर्स भी उपलब्ध

पता : 204, दूसरी मंजिल, A -23, 24 सतीजा हाउस (बत्रा सिनेमा हाल के पीछे), डा. मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
Tel. : 011-27652362 (O), 0-9868259370

नामांकन अधिकतम 30

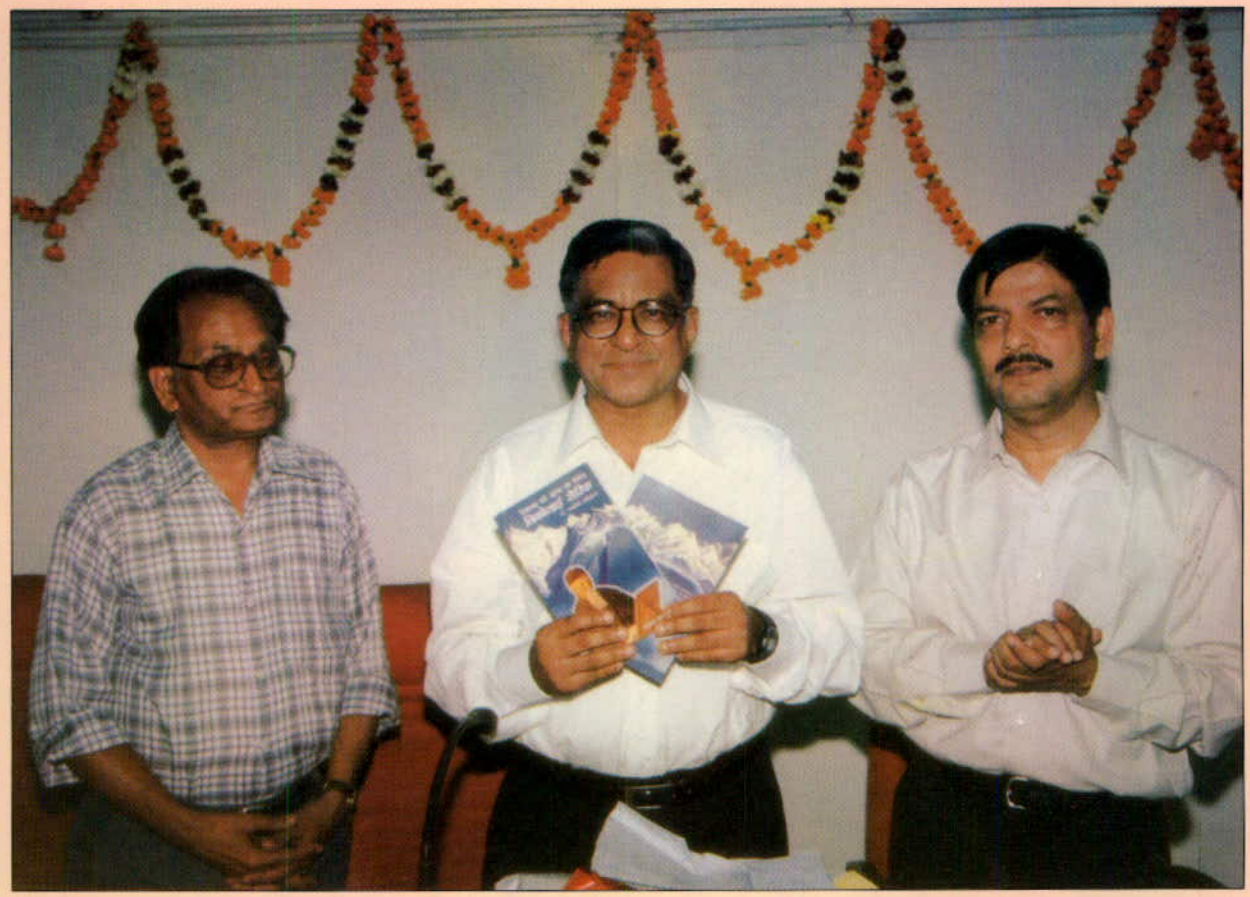

प्रकाशन विभाग द्वारा आयोजित एक समारोह में हिंदी पुस्तक निकोलाई रोरिक का विमोचन करते हुए प्रकाशन विभाग के पूर्व निदेशक डा. ओ. पी. केजरीवाल (बीच में) साथ में हैं पुस्तक के लेखक डा. जगदीश चंद्रीकेश और प्रकाशन विभाग के निदेशक प्रो. उमाकांत मिश्रा (दायें)।

(आवरण II का शेष)

पास भारतीय नारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की अनेक योजनाएं हैं लेकिन इनका प्रचार नहीं हो सका है।

इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रतिनिधि श्रीमती रोमी शर्मा ने कहा कि महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को बदलना आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आयोग ने एक पाठ्यक्रम तैयार किया है जिसे स्कूलों और कालेजों में शुरू किया जा सकता है। यह हमारे भावी अफसरशाहों और नीति निर्धारकों के साथ ही आम लोगों के लिए लाभप्रद होगा। उन्होंने इसके लिए सरकारी सूचना तंत्र की विशिष्ट भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि आकाशवाणी महिलाओं की समस्याओं के प्रति आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने बताया कि अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त आयोग द्वारा देश भर में दूर–दूर तक अपनी पहुंच बनाने के लिए राज्य स्तरीय महिला आयोग की स्थापना भी शामिल है।

चर्चा में प्रकाशन विभाग की बच्चों की पत्रिका की संपादक श्रीमती विभा जोशी और महात्मा गांधी वांड्मय की सहायक संपादक श्रीमती अंजनी भूषण ने भाग लिया। गोष्ठी का संचालन रोजगार समाचार की संपादक श्रीमती शालिनी नारायणन ने किया।

शालिनी नारायणन

प्रो0 उमाकांत मिश्रा, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पटियाला हाऊस, नई दिल्ली–110 001 से प्रकाशित एवं मुद्रित तथा अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली–110 020 में मुद्रित। दूरभाष : 26388830–33
संपादक : राजेन्द्र राय

रजि.सं.एल. 12036 यू (डीएन) 53/2003–05 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस–प्राप्त पंजी सं. 951/
Reg. No. D.L.12036 (DN) 53/2003-05 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi. R.N. 951/

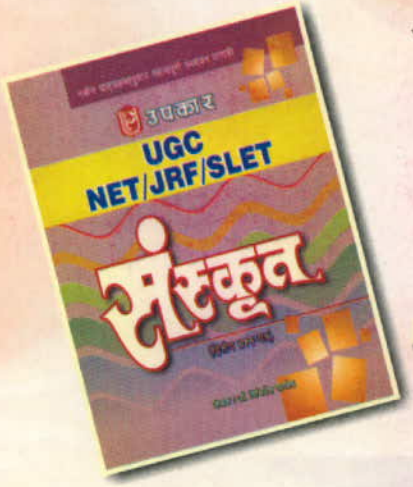

अध्यापन कार्य यानि राष्ट्र का निर्माण

यू.जी.सी.-नेट/जे.आर.एफ./स्लेट

परीक्षा की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षोपयोगी विशेष सामग्री

U.G.C.-NET General Paper	420	140.00
CSIR-UGC NET Chemical Sciences (Paper I)	997	135.00
CSIR-UGC NET Chemical Sciences(Paper II)	463	240.00
CSIR-UGC NET Mathematics (Paper I)	987	175.00
CSIR-UGC NET Physics	500	220.00
CSIR-UGC NET Life Sciences	317	300.00
UGC-NET Geography	336	150.00
UGC-NET Obj. Geography (Paper II)	320	110.00
UGC-NET English (Paper-II)	925	135.00
UGC-NET English Litt. (Paper II)	940	65.00
UGC-NET Psychology (Paper-II)	322	100.00
UGC-NET History (Paper-III)	996	135.00
UGC-NET Commerce (Paper-II)	968	90.00

उपयोगी पुस्तकें	Code No.	Price
UGC-NET जनरल पेपर *(डॉ. लाल एवं जैन)*	200	150.00
UGC-NET जनरल पेपर *(डॉ. मिथिलेश पाण्डेय)*	271	135.00
UGC-NET संस्कृत (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	509	140.00
UGC-NET संस्कृत (तृतीय प्रश्न-पत्र)	1047	240.00
UGC-NET संस्कृत (तृतीय प्रश्न-पत्र)	1019	290.00
UGC-NET अर्थशास्त्र *(डॉ. अनुपम अग्रवाल)*	521	265.00
UGC-NET हिन्दी (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	567	190.00
UGC-NET हिन्दी (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1114	130.00
UGC-NET हिन्दी (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	763	198.00
UGC-NET भूगोल *(डॉ. एम. एस. सिसोदिया)*	54	175.00
UGC-NET भूगोल (तृतीय प्रश्न-पत्र)	206	110.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	685	320.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (तृतीय प्रश्न-पत्र)	201	250.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1125	90.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	681	320.00
UGC-NET राजनीति विज्ञान (तृतीय प्रश्न-पत्र)	777	70.00
UGC-NET इतिहास (द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न-पत्र)	204	205.00
UGC-NET इतिहास (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	659	130.00
UGC-NET इतिहास (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	714	175.00
UGC-NET वाणिज्य (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	682	225.00
UGC-NET संगीत (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	779	60.00
UGC-NET मनोविज्ञान (द्वितीय प्रश्न-पत्र)	1048	120.00
UGC-NET मनोविज्ञान (तृतीय प्रश्न-पत्र)	1022	45.00
CSIR-UGC लाइफ साइंसेज	1116	480.00

उपकार प्रकाशन 2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा – 282 002 फोन : 2531101, 2530966, 2602653; फैक्स : (0562) 2531940
E-mail : upkar1@sancharnet.in
ब्रॉंच आफिस : 4840/24, गोविन्द लेन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली – 2 फोन : 23251844, 23251866